



तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन-२०२४-२५

13th **ANNUAL REPORT 2024-25**



ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ
उत्कल ग्रामीण बैंक
UTKAL GRAMEEN BANK
Sponsored by STATE BANK OF INDIA





13th Annual Report 2024-25 UTKAL GRAMEEN BANK

निर्देशक मण्डल BOARD OF DIRECTORS



श्री सूर्यकान्त दाश
अध्यक्ष
Shri Surya Kanta Dash
Chairman



श्री ताराकान्त भक्त
मनोनीत निर्देशक, ओडिशा सरकार
Shri Tarakanta Bhakta
Nominee Director, Govt. of Odisha



श्री राहुल कांत
मनोनीत निर्देशक, भारतीय रिजर्व बैंक
Shri Rahul Kant
Nominee Director, Reserve Bank of India



श्री कमलकांत पटनायक
मनोनीत निर्देशक, नाबार्ड
Shri Kamalkanta Pattnaik
Nominee Director, Nabard



श्री प्रियदर्शन
मनोनीत निर्देशक, भारतीय स्टेट बैंक
Shri Priyadarshan
Nominee Director, State Bank of India



श्री शौलेश चंद्र भट्ट
मनोनीत निर्देशक, भारतीय स्टेट बैंक
Shri Sailesh chandra Bhatt
Nominee Director, State Bank of India

13th Annual Report 2024-25 UTKAL GRAMEEN BANK

बैंक का शीर्ष प्रबन्धन TOP MANAGEMENT OF THE BANK



श्री सूर्यकान्त दाश
अध्यक्ष

Shri Surya Kanta Dash
Chairman



श्री प्रसनजीत नारायण हौता
महा प्रबन्धक (I)
Shri Prasanjit Narayan Hota
General Manager (I)



श्री रश्मी रंजन साए
महा प्रबन्धक (II)
Shri Rashmi Ranjan Sai
General Manager (II)



श्री बंशीधर साहु
महा प्रबन्धक (III)
Shri Bansidhar Sahoo
General Manager (III)



श्री कुलमणी ठाकुर
महा प्रबन्धक (सतर्कता)
Shri Kulamani Thakur
General Manager (Vigilance)

13th Annual Report 2024-25 UTKAL GRAMEEN BANK

क्षेत्रीय प्रबन्धक REGIONAL MANAGERS



श्री संदीप कुमार प्रधान
क्षेत्रीय प्रबन्धक, ब्रह्मपुर
Shri Sandeep Kumar Pradhan
Regional Manager, Berhampur



श्री सुभद्रा प्रसाद महांती
क्षेत्रीय प्रबन्धक, संबलपुर
Shri Subhada Prasad Mohanty
Regional Manager, Sambalpur



श्री संजीव कुमार मिश्रा
क्षेत्रीय प्रबन्धक, भवानीपाटणा
Shri Sanjeeb Kumar Mishra
Regional Manager, Bhawanipatna



श्री चंदन कुमार झा
क्षेत्रीय प्रबन्धक, फुलबाणी
Shri Chandan Kumar Jha
Regional Manager, Phulbani



श्री अनन्त प्रसाद पण्डा
क्षेत्रीय प्रबन्धक, जयपुर
Shri Ananta Prasad Panda
Regional Manager, Jeypore



श्री देवेश रंजन धर
क्षेत्रीय प्रबन्धक, रायगडा
Shri Debesh Ranjan Dhar
Regional Manager, Rayagada



श्री भिनीत कुमार राई
क्षेत्रीय प्रबन्धक, बरगड
Shri Vineet Kumar Rai
Regional Manager, Bargarh



श्री सूर्यकान्त साहु
क्षेत्रीय प्रबन्धक, बलांगीर
Shri Suryakanta Sahoo
Regional Manager, Bolangir

विभाग प्रमुख HEAD OF THE DEPARTMENT (HOD)



श्री कईलाश चन्द्र मिश्र
Shri Kailash Chandra Mishra,
HOD, Accounts & Compliance Dept.



श्री राधा श्याम दाश
Shri Radha Shyam Dash,
HOD, Planning & Development Dept.



श्री रमेश महाकुड
Shri Ramesh Mahakur,
HOD, Advances Dept. & NPAM Dept.



श्री विर बाहादूर कुमार
Shri Bir Bahadur Kumar
HOD, Personnel Dept.



श्री पंकज कुमार रॉय
Shri Pankaj Kumar Roy
HOD, Inspection & Audit Dept.



उत्कल ग्रामीण बैंक

तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन २०२४-२५



शुभ कामनाओं सहित
श्री सूर्यकान्त दाश
अध्यक्ष

उत्कल ग्रामीण बैंक
मुख्य कार्यालय, दुरसंचार भवन,
नया बसस्टैंड के पास, बलांगीर - ७६७००१
दूरभाष - ०६६५२-३५७२६४

www.utkalgrameenbank.co.in
chairman@ukgb.in





अध्यक्ष का संदेश

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय हितधारकों,

मुझे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्कल ग्रामीण बैंक की 13वीं वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

बैंक अपनी 433 शाखाओं, 8 क्षेत्रीय कार्यालयों, 1 सेवा शाखा, 8 एएमएच और 1221 सीएसपी के माध्यम से ओडिशा के 17 दक्षिणी और पश्चिमी जिलों के निवासियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिनमें ज्यादातर दुर्गम इलाके, पहाड़ी, वामपंथी उग्रवाद और आकांक्षी जिले शामिल हैं, जिसका उद्देश्य वंचित और अब तक वित्तीय रूप से वंचित आबादी की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना है।

माननीय बोर्ड एवं प्रायोजक बैंक से प्राप्त दूरदर्शी मार्गदर्शन; प्रबंधन द्वारा अपनाई गई उपयुक्त रणनीतियां, हमारी शाखाओं एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किए गए निरंतर प्रयास तथा सबसे महत्वपूर्ण, हमारे मूल्यवान ग्राहकों से प्राप्त निरंतर समर्थन से हमें कई मापदंडों में सुधार लाने में मदद मिली, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

लाभप्रदता:

- शुद्ध लाभ पिछले वर्ष के ₹136.76 करोड़ रुपये से 23.57% बढ़कर 31.03.2025 को ₹169.00 करोड़ रुपये हो गया।
- 31.03.2025 तक परिसंपत्तियों पर रिटर्न पिछले वर्ष के 1.37% से बढ़कर 1.54% हो गया।
- इक्विटी पर रिटर्न पिछले वर्ष के 8.19% से बढ़कर 31.03.2025 तक 10.04% हो गया।
- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान शुद्ध ब्याज आय (शून्य) 10.57% बढ़कर ₹400.15 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹361.91 करोड़ रुपये थी।
- 31.3.2025 तक शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 3.90% पर बनाए रखा गया है।

व्यापार:

- बैंक का कुल कारोबार 16.95% की वृद्धि के साथ ₹2353.82 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।
- कुल जमा में 11.85% की वृद्धि दर्ज की गई और 31.03.25 को यह ₹10211.11 करोड़ रुपये हो गया।
- CASA अनुपात 31.03.24 को 62.25% से बढ़कर 31.03.25 को 62.69% हो गया।
- कुल अग्रिम राशि में 26.72% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई, जो ₹1272.23 करोड़ रुपये रही और यह ₹6033.00 करोड़ रुपये हो गई।
- आवास ऋण ₹177.55 करोड़ रुपये बढ़कर 33.92% वार्षिक वृद्धि के साथ ₹701.01 करोड़ रुपये हो गया।
- स्वर्ण ऋण 41.34% वार्षिक वृद्धि के साथ ₹381.97 करोड़ रुपये बढ़कर ₹1306.00 करोड़ रुपये हो गया।
- 31.03.2025 तक कृषि ऋण 27.27% वृद्धि के साथ ₹3046.26 करोड़ रुपये रहा।
- 31.03.2025 तक एसएचजी बकाया ऋण 83.32% वृद्धि के साथ ₹1375.47 करोड़ रुपये हो गया।
- 31.03.2025 को निवल संपत्ति ₹511.41 करोड़ रुपये से बढ़कर ₹680.41 करोड़ रुपये हो गई।
- 31.03.2025 तक प्रति शाखा कारोबार बढ़कर ₹37.52 करोड़ रुपये हो गया।
- 31.03.2025 तक प्रति कर्मचारी कारोबार बढ़कर ₹10.97 करोड़ रुपये हो गया।

संपत्ति गुणवत्ता:

- सकल एनपीए पिछले वर्ष के ₹356.09 करोड़ रुपये से घटकर 31.03.2025 तक ₹303.11 करोड़ रुपये हो गया।
- 31.03.2025 तक शुद्ध एनपीए ₹1.40 करोड़ रुपये है।
- 31.03.2025 तक सकल एनपीए और शुद्ध एनपीए क्रमशः 5.02% और 0.02% है।
- प्रावधान कवरेज अनुपात 99.54% है।

पूँजी पर्याप्तता:

- पूँजी पर्याप्तता अनुपात पिछले वर्ष के 12.37% से बढ़कर 31.03.2025 को 12.58% हो गया।

इसके अलावा, हमने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत सभी का कवरेज सुनिश्चित करने पर भी समान रूप से ज़ोर दिया है। वित्त वर्ष 208751 के दौरान, PMJDY के तहत नए खाते खोले गए, PMJJBY के 159218, PMSBY के 298298 और APY के 48647 नामांकन हुए, जिससे बजट की 100% प्राप्ति सुनिश्चित हुई।

इसके अलावा, अपने डिजिटल लेनदेन की पहुंच बढ़ाने के लिए, हमने कई नई प्रौद्योगिकी पहलों को लागू किया है, जैसे संपर्क रहित डेबिट कार्ड, भारत आधार सीडिंग इनेबलर (BASE), मोबाइल बैंकिंग, भारत बिल भुगतान सेवा (BBPS), LOS आदि, जो न केवल हमारे संचालन क्षेत्र में हमारी डिजिटल उपस्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेंगे, बल्कि हमारे ग्राहक अनुभव में मूल्य जोड़कर नए ग्राहकों को भी आकर्षित करेंगे।

मैं हमारे बड़ी संख्या में निष्ठावान ग्राहकों के समर्थन और योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूँ तथा बैंक के समग्र विकास के लिए उनके निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए सभी हितधारकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

सादर,
सूर्यकांत दाश
चेयरमैन



प्रेषण पत्र

उत्कल ग्रामीण बैंक
प्रधान कार्यालय : बलांगीर

दिनांक : ३०.०४.२०२५

सेवा में,
सचिव,
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय,
वित्तीय सेवाएं विभाग, बैंकिंग प्रभाग,
जीवन दीप भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली - ११०००१

प्रिय महोदय,

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, १९७६ की धारा २० के प्रावधानों के अनुसरण में मैं इस पत्र के साथ निम्नलिखित प्रलेख प्रेषित कर रहा हूँ :

१.१ अप्रैल, २०२४ से ३१ मार्च, २०२५ तक की अवधि के दौरान बैंक के कार्य-कलापों एवं गतिविधियों के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट।

२.३१ मार्च, २०२५ को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र एवं लाभ एवं हानि लेखों की प्रति।

३.१ अप्रैल, २०२४ से ३१ मार्च, २०२५ तक की अवधि के लिए बैंक के लेखों के संबंध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की प्रति।

भवदीय,

(सूर्य कान्त दाश)
अध्यक्ष



बैंक का निदेशक मंडल श्री सूर्य कान्त दाश अध्यक्ष

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मनोनीत

1) श्री राहुल कान्त

सहायक महा प्रबन्धक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
भुवनेश्वर

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मनोनीत

3) श्री शैलेश चन्द्र भट्ट

उप-महा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक,
स्थानीय प्रधान कार्यालय, भुवनेश्वर

4) श्री प्रियदर्शन

उप-महाप्रबन्धक,
ए एण्ड एस विभाग
भारतीय स्टेट बैंक, कार्पोरेट केन्द्र, मुम्बई

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा मनोनीत

2) श्री कमलकान्त पट्टनायक

उप-महा प्रबन्धक
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक,
क्षेत्रीय कार्यालय, ओडिशा, भुवनेश्वर

ओडिशा सरकार द्वारा मनोनीत

5) श्री. ताराकान्त भक्त

उप सचिव, वित्त विभाग
ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर

निदेशको की समिति

लेखा परीक्षा समिति

1. श्री शैलेश चन्द्र भट्ट, DGM, SBI, LHO, BBSR
2. श्री कमलकान्त पट्टनायक, DGM, NABARD, BBSR
3. श्री राहुल कान्त, AGM, RBI, BBSR
4. श्री ताराकान्त भक्त, Deputy Sec., GoO, BBSR

ग्राहक सेवा समिति

1. श्री राहुल कान्त, AGM, RBI, BBSR
2. श्री कमलकान्त पट्टनायक, DGM, NABARD, BBSR
3. श्री शैलेश चन्द्र भट्ट, DGM, SBI, LHO, BBSR

सूचना प्रौद्योगिकी उपसमिति

1. श्री शैलेश चन्द्र भट्ट, DGM, SBI, LHO, BBSR
2. श्री कमलकान्त पट्टनायक, DGM, NABARD, BBSR
3. श्री राहुल कान्त, AGM, RBI, BBSR
4. श्री शैलेश चन्द्र भट्ट, DGM, SBI, LHO, BBSR

धोखाधड़ी निगरानी समिति

1. श्री सूर्य कान्त दाश, CHAIRMAN, UGB
2. श्री शैलेश चन्द्र भट्ट, DGM, SBI, LHO, BBSR
3. श्री राहुल कान्त, AGM, SBI, CC, MUMBAI
4. श्री ताराकान्त भक्त, Deputy Sec., GoO, BBSR

जोखिम प्रबंधन समिति

1. श्री राहुल कान्त, AGM, RBI, BBSR
2. श्री कमलकान्त पट्टनायक, DGM, NABARD, BBSR
3. श्री शैलेश चन्द्र भट्ट, DGM, SBI, LHO, BBSR

५५ वर्ष से अधिक के कर्मचारियों की विशेष समीक्षा समिति

1. श्री राहुल कान्त, AGM, SBI, CC, MUMBAI
2. श्री शैलेश चन्द्र भट्ट, DGM, SBI, LHO, BBSR
3. श्री ताराकान्त भक्त, Deputy Sec., GoO, BBSR



बैधानिक लेखा परीक्षक

अगस्ती एंड आसोसीएट

UCN No. - 0260360

97, यूनिट - 9, भोईनगर,
भुवनेश्वर-751022

e-mail- Agasti_associates@yahoo.com

शाखा परिक्षक

1. एम्/एस् अमरकान्त एण्ड एसोसिएट्स
2. एम्/एस् एम्.के. थेबारिया एण्ड एसोसिएट्स
3. एम्/एस् आर. के.जेना एण्ड को.
4. एम्/एस् पी ए एम् एस एण्ड को.
5. एम्/एस् बि.एन. मिश्रा एण्ड एसोसिएट्स
6. एम्/एस् एस.एस. टेकरीवाल एण्ड एसोसिएट्स
7. एम्/एस् एच के चन्दक एण्ड को.
8. एम्/एस् डि.भि.आर. मुर्ति एण्ड को
9. एम्/एस् दिलिप समीर एण्ड एसोसिएट्स
10. एम्/एस् एन. प्रधान एण्ड एसोसिएट्स
11. एम्/एस् आर. आर. मिश्रा एण्ड को.
12. एम्/एस् एम्. आर. गुप्ता एण्ड को.
13. एम्/एस् राजेश बिश्वनाथ एण्ड एसोसिएट्स
14. एम्/एस् के.जि.अग्रवाल एण्ड को.
15. एम्/एस् एम्. के एण्ड एम्. के
16. एम्/एस् एम्.यु. एसोसिएट्स
17. एम्/एस् बहमनन्दा एण्ड का
18. एम्/एस् नालम् एसोसिएट्स
19. एम्/एस् पी आर के एस एण्ड एसोसिएट्स
20. एम्/एस् एस् पि पि एण्ड एसोसिएट्स
21. एम्/एस् सतपथी एण्ड एसोसिएट्स

क्षेत्रीय कार्यालय

ब्रह्मपुर

हर्ष आर्केड, सुब्बाराव स्क्वायर
ब्रह्मपुर, गंजम-767001
ro.berhampur@ukgb.in

जयपुर

एन्.के.टी रोड, होटेल उडस्, प्रथम मंजिल
PO- जयपुर - 764003, जिला - कोरापुट
ro.jeypore@ukgb.in

बरगड

खजूटिकीरा शिव मंदिर के पास
At/Po/Dist.- बरगड
ro.bargarh@ukgb.in

बलांगीर

दुरसंचार भवन, द्वितीय मंजिल
नया बस स्टैंड के पास,
At/Po/Dist. बलांगीर 767001
ro.bolangir@ukgb.in

रायगडा

कनवेंट रोड, सेक्रेड हार्ट स्कूल के पास
At/Po/Dist. रायगडा - 765001
ro.rayagada@ukgb.in

संबलपुर

पोद्दार पेट्रोल पंप के सामने कटक रोड, धनुपाली
धनुपालि, जिला- संबलपुर
ro.sambalpur@ukgb.in

फूलबनी

पेनजी साही, एफसीआई रोड
At/Po फूलबनी जिला - कंधमाल 766801
ro.phulbani@ukgb.in

भवानीपटना

बहादुर बागीचा पाडा के पास
भवानीपटना
जिला - कलाहांडी
ro.bhawanipatna@ukgb.in



मुख्य निष्पादक संकेतक

(रू. हजारों में)

क) मुख्य निष्पादन संकेतक	2022-23	2023-24	2024-25
1 क्षेत्रगत जिले	17	17	17
2 शाखाओं की संख्या	433	433	433
क) ग्रामीण	364	364	364
ख) अर्द्ध शहरी	54	54	54
ग) शहरी	15	15	15
3 कुल स्टाफ (प्रायोजक बैंक के स्टाफ को छोड़कर)	1396	1426	1481
इनमें से अधिकारी	773	750	818
4 जमा	80453695	91295200	102111105
वृद्धि %	5.26	13.48	11.85
5 बकाया उधारियां,	5784736	5673181	5196828
6 कुल बकाया, ऋण और अग्रिम	37572285	47607688	60329960
वृद्धि %	21.16	26.71	26.72
उपरोक्त 6 में से, प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण	30531327	36321079	45390446
ऊपर के 6 में से, गैर लक्षित वर्ग को ऋण	7040958	11286609	14939515
ऊपरोक्त 6 में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को ऋण	10288374	10494166	10285561
ऊपरोक्त 6 में से छोटे किसान/सीमांत किसान /कृषि जीवी को ऋण	16170599	19419108	24714311
ऊपरोक्त 6 में से संख्या लघु को ऋण	561563	586571	562194
7 क्रेडिट जमा अनुपात	46.70	52.15	59.08
8 निवेश	54146711	54396588	51657379
एसएलआर निवेश	43389849	38446586	33814877
गैर एसएलआर निवेश	10756862	15950002	17842502
ख) औसत			
9 औसत जमा	75987635	83522236	91795767
वृद्धि %	1.94	9.92	9.91
10 औसत उधार	2986529	4145735	5441285
वृद्धि %	-35.04	38.81	31.25
11 औसत ऋण और अग्रिम	34827088	43720119	53093810
वृद्धि %	17.18	25.53	21.44
12 औसत निवेश	49972658	49030695	49597196
वृद्धि %	2.13	-1.88	1.16
औसत एसएलआर निवेश	45930861	39390727	36372819
वृद्धि %	2.10	-14.24	-7.66
औसत गैर एस.एल. आर. निवेश	4041797	9639968	13224377
वृद्धि %	2.57	138.51	37.18
13 औसत कार्यकारी निधि	91282602	99890927	109892139



(रुपये हजारों में)

ग) वर्ष के दौरान वितरित ऋण	2022-23	2023-24	2024-25
14 वर्ष के दौरान वितरित ऋण	28937826	39780362	53536259
% वृद्धि	43.09	37.47	34.58
ऊपर 14 से प्राथमिकता क्षेत्र के लिए ऋण	19982700	26239387	40745978
ऊपर 14 से गैर लक्षित वर्ग को ऋण	8955126	13540975	12790280
ऊपर 14 से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति को ऋण	4223821	2875731	2872634
घ) उत्पादकता			
15 प्रति शाखा	272577	320792	375153
प्रति कर्मचारी	84546	97407	109683
ड) वसूली प्रदर्शन			
16 संपूर्ण			
मांग	30001243	33550034	42399202
वसूली	17450040	20713291	33573523
अतिदेय	12551203	12836743	8825679
वसूली % (जून की स्थिति)	58.16	61.74	79.18
17 कृषि क्षेत्र			
मांग	18062765	19555079	26329243
वसूली	10967885	12331433	18509222
अतिदेय	7394880	7223646	7820021
वसूली % (जून की स्थिति)	60.72	63.06	70.30
18 गैर कृषि क्षेत्र			
मांग	11938478	13994955	16069959
वसूली	6482155	8381858	15064301
अतिदेय	5456323	5613097	1005658
वसूली % (जून की स्थिति)	54.29	59.89	93.74
च) आस्तियों का वर्गीकरण			
19 क) मानक	32589852	44046742	57298890
ख) अवमानक	246848	185879	279397
ग) संदिग्ध	4468823	3151174	2567495
घ) हानि	266762	223893	184178
कुल	37572285	47607688	60329960
मानक आस्तियां कुल अग्रिमों व ऋणों के प्रतिशत के रूप में	86.74	92.52	94.98
छ) लाभ प्रदत्ता का विश्लेषण			
20 प्राप्त ब्याज			
क) जमा पर	2991957	3497899	3972711
ख) उधारियों पर	147643	245815	309094




(रुपये हजारों में)


	2022-23	2023-24	2024-25
21.वेतन (अवकाश नकदी सहित)	1339340	1736245	2594154
22.अन्य परिचालन व्यय	541004	777914	686848
23.वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	2086593	551772	-58727
क) अनुत्पादिक आस्तियों पर	305000	208338	-114875
ख) अन्य प्रावधान	1781593	343434	57049
ग)परिशोधन	0	0	0
24.प्राप्त ब्याज			
क) ऋण एवं अग्रिम पर	3156254	3706581	4542892
ख) निवेश पर	3377526	3656206	3740466
ग) अन्य	0	0	0
25.अन्य आय	986073	814482	911651
26.लाभ/हानि	643110	1367624	1690028
27.शेयर पूँजी जमा प्रप्ति	16536883	16830873	16830873
28.डी.आई. एवं सीजिसी			
क) दावों का निपटान	348972	348972	348972
ख) मिला हुआ दावा जो अब तक समेटा नहीं	0	0	0
ग) निगम से स्थगित दावे	0	0	0
29.संचायी प्रावधान			
क) अनुत्पादिक आस्तियों पर	4177194	3560946	3017101
ख) मानक आस्तियों पर	97663	135224	178112
ग) मृत आस्तियों पर	0	0	0
30.अस्वीकृत ब्याज वर्ष के दौरान	183448	77794	85638
31.वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गये ऋण			
क) खातों की संख्या	10790	9406	6531
ख) राशि	677151	824162	428818
32.संचित हानि	13084425	11716801	10026773
33.संरक्षित	0	0	0
निवल अनुत्पादिक आस्तियां	805239	0	13969
% सकल अनुत्पादिक आस्तियां के लिए प्रावधान	83.84	100.00	99.54
% सकल अनुत्पादिक आस्तियां अग्रिमों की	13.26	7.48	5.02
% शुद्ध अनुत्पादिक आस्तियां अग्रिमों की	2.41	0	0.02
पूँजी पर्याप्तता अनुपात	10.83	12.37	12.58




Deposit (Cr)




Profit/ Loss (Cr)




Advances (Cr)




Profit/ Loss Per Employee (Lakh)




Business (Cr)




Profit/ Loss Per Branch (Lakh)



Business Per Employee (Cr)



Business Per Branch (Cr)





निदेशक मंडल की रिपोर्ट 2024-25

निदेशक मंडल को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 20 के अनुसार, 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उत्कल ग्रामीण बैंक (यूजीबी) की 13वीं वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखा विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और बैंक के व्यवसाय और संचालन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है।

संक्षिप्त परिचय

उत्कल ग्रामीण बैंक का गठन 01.11.2012 को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत पूर्ववर्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित उत्कल ग्राम्य बैंक, बोलंगीर और आंध्रा बैंक द्वारा प्रायोजित ऋषिकुल्या ग्राम्य बैंक, बरहामपुर, के विलय के बाद हुआ था। एकीकृत इकाई के रूप में, यह बैंक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित है और इसका मुख्यालय बोलंगीर में है।


संचालन का क्षेत्र और शाखा नेटवर्क

बैंक ओडिशा के पश्चिमी और दक्षिणी भागों के 17 जिलों में कार्यरत है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और जहाँ आदिवासी बहुल आबादी है। 31 मार्च, 2025 तक, बैंक की 433 शाखाएँ हैं, जो 3 नेटवर्कों और 8 क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत समूहीकृत हैं, जो बोलनगीर, बरगढ़, संबलपुर, भवानीपटना, जयपुर, रायगढ़, बरहामपुर और फूलबनी में स्थित हैं। संबलपुर में एक एसएआरबी और आठ एएमएच (प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक) भी कार्यरत हैं। इसके अलावा, बैंक के 1221 ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) हैं, जिनका प्रबंधन 6 कॉर्पोरेट बैंकिंग प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। 433 शाखाओं में से, 15 शाखाएँ शहरी क्षेत्रों में, 54 शाखाएँ अर्ध-शहरी क्षेत्रों में और शेष 364 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।

व्यावसायिक समीक्षा

बैंक का कारोबार 31 मार्च 2025 तक 16.95% की दर से ₹ 2353.82 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹16,244.11 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि 31 मार्च 2024 तक यह ₹13,890.29 करोड़ रुपये था।

वित्त वर्ष के दौरान ₹2,353.82 करोड़ रुपये की व्यावसायिक वृद्धि में ₹1081.59 करोड़ रुपये (11.85%) की पूर्ण जमा वृद्धि और ₹1272.23 करोड़ रुपये (26.72%) की पूर्ण अग्रिम वृद्धि शामिल थी।



लाभ विश्लेषण

बैंक ने 31.03.25 को ₹169.00 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि 31.03.24 को ₹136.76 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। इस प्रकार, मानक परिसंपत्तियों के लिए ₹4.29 करोड़ रुपये और धोखाधड़ी के लिए 1.49 करोड़ रुपये के प्रावधान के बाद 23.37% की वृद्धि दर्ज की गई। हालाँकि, वर्ष के दौरान एनपीए प्रावधान के लिए ₹11.49 करोड़ रुपये और चोरी एवं सेंधमारी प्रावधान के लिए ₹0.07 करोड़ रुपये को शुल्कों में वापस कर दिया गया।

बैंक का परिचालन लाभ 31.3.2025 को ₹28.72 करोड़ रुपये (14.96%) की नकारात्मक वृद्धि के साथ ₹163.22 करोड़ रुपये रहा, जबकि 31.3.2024 को यह ₹191.94 करोड़ रुपये था।



परिचालन लाभ

शुद्ध लाभ

आय और व्यय


(करोड़ रुपये में)

विवरण	2022-23	2023-24	2024-25	वृद्धि %
ब्याज आय	676.36	736.28	828.33	12.50
ब्याज व्यय	313.96	374.37	428.18	14.37
गैर-ब्याज आय	98.61	81.45	91.17	11.93
गैर-ब्याज व्यय	188.03	251.42	328.10	30.50
सकल लाभ/परिचालन लाभ (a)	272.97	191.94	163.22	-14.95
करों	0	0	0	0.00
आस्थगित कर परिसंपत्ति और पिछले वर्ष के समायोजन (अतिरिक्त)	0	0	0	0.00
प्रावधान और आकस्मिकताएँ (b)	208.66	55.18	-5.78	-110.64
पूर्व अवधि मूल्यहास और किराया	0	0	0	0.00
शुद्ध लाभ(+)/हानि(-) (a-b)	64.31	136.76	169.00	23.65

शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई)

वित्त वर्ष के दौरान कुल ब्याज आय ₹828.33 करोड़ रुपये रही, जबकि कुल ब्याज व्यय ₹428.18 करोड़ रुपये रहा। चालू वित्त वर्ष में शुद्ध ब्याज आय ₹400.15 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह ₹361.91 करोड़ रुपये थी।

(करोड़ रुपये में)





ब्याज व्यय

- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जमा पर दिया गया ब्याज पिछले वित्त वर्ष के ₹349.79 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर ₹397.27 करोड़ रुपये हो गया है, जो ₹47.48 करोड़ रुपये (13.57%) की वृद्धि है।
- बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उधार (एसबीआई और नाबार्ड पुनर्वित्त से) पर ब्याज के रूप में ₹30.91 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान यह ₹24.58 करोड़ रुपये था, जिसमें ₹5.73 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

(करोड़ रुपये में)




परिचालन व्यय

परिचालन व्यय वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ₹76.68 करोड़ रुपये (30.50%) बढ़कर ₹328.10 करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में ₹251.42 करोड़ रुपये था।

ब्याज आय

- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ब्याज आय ₹92.05 करोड़ रुपये (@ 12.50%) की पूर्ण वृद्धि के साथ ₹736.28 करोड़ रुपये से बढ़कर ₹828.33 करोड़ रुपये हो गई।
- बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 में ऋण और अग्रिमों से ₹454.29 करोड़ रुपये की ब्याज आय अर्जित की है, जबकि 2023-24 में यह ₹370.66 करोड़ रुपये थी, जिसमें ₹83.63 करोड़ रुपये (@22.56%) की वृद्धि हुई है।
- वित्त वर्ष 2024-25 में निवेश से प्राप्त ब्याज आय ₹374.05 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वित्त वर्ष के ₹365.62 करोड़ रुपये की तुलना में 2.31% की वृद्धि के साथ ₹8.43 करोड़ रुपये रही।

(करोड़ रुपये में)



एनपीएस के लिए प्रावधान:

बैंक का एनपीएस 31.03.2024 के ₹356.09 करोड़ रुपये से घटकर 31.03.2025 को ₹303.11 करोड़ रुपये हो गया, इस प्रकार एनपीएस के लिए ₹11.49 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रभारों में वापस कर दिया गया है और मानक परिसंपत्तियों के प्रावधान



के लिए ₹4.29 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं, जिससे अग्रिमों पर उपलब्ध कुल प्रावधान ₹319.52 करोड़ रुपये हो गए हैं (मानक परिसंपत्तियों पर ₹17.81 करोड़ रुपये और एनपीए पर ₹301.71 करोड़ रुपये का संचयी प्रावधान शामिल है)।

(करोड़ रुपये में)

संपत्ति	2022-23		2023-24		2024-25	
	असाधारण	प्रावधानों	असाधारण	प्रावधानों	असाधारण	प्रावधानों
मानक	3258.99	9.77	4404.68	13.52	5729.89	17.81
उप- मानक	24.68	2.46	18.58	18.58	27.94	26.54
खराब और संदिग्ध	446.88	388.58	315.12	315.12	256.75	256.75
नुकसान	26.68	26.68	22.39	22.39	18.42	18.42
कुल एन.पी.ए.	498.24	417.72	356.09	356.09	303.11	301.71
कुल अग्रिम	3757.23	427.49	4760.77	369.61	6033.00	319.52

अनुपात विश्लेषण

(करोड़ रुपये में)

एस.एन	अनुपात	2022-23	2023-24	2024-25	
				कार्यालय/ अनुपात	% परिवर्तन
1	अग्रिमों पर प्रतिफल	9.06	8.48	8.56	0.94
2	निवेश पर प्रतिफल	7.26	7.48	7.57	1.20
3	जमा की लागत	3.94	4.19	4.33	3.34
4	उधार की लागत	4.94	5.93	5.68	-4.22
5	औसत कोष की लागत	3.98	4.27	4.40	3.04
6	औसत निधियों पर वापसी	7.98	7.94	8.07	1.64
7	प्रबंधन की लागत	2.06	2.52	2.99	18.65
8	कार्यशील निधियों में % के रूप में आय का अनुपात	1.08	0.82	0.83	1.22
9	नेट मार्जिन	0.73	1.38	1.55	12.32
10	वित्तीय मार्जिन	3.99	3.64	3.66	0.55
11	जोखिम लागत	2.29	0.55	-0.05	-109.09
12	संपत्ति पर वापसी	0.70	1.37	1.54	12.41
13	व्यय अनुपात	40.79	56.71	66.78	17.76
14	सकल एनपीए	498.24	356.09	303.11	-15.30
15	शुद्ध एनपीए	80.52	0	1.40	-
16	सकल एनपीए के लिए % प्रावधान	83.84	100	99.54	0.00
17	सकल एनपीए से अग्रिम	13.26	7.48	5.02	-33.16
18	शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए का %	2.41	0	0.02	-
19	सीआरएआर	10.83	12.37	12.58	1.70

बैलेंस शीट का आकार

मार्च 2025 तक बैलेंस शीट का आकार ₹11,734.97 करोड़ रुपये है, जो मार्च 2024 के स्तर से ₹ 1,214.34 करोड़ रुपये अधिक है।



पूँजी भंडार अधिकृत पूँजी

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन अधिनियम) 2015 के अनुसार, बैंक की अधिकृत पूँजी को ₹10 रुपये प्रति शेयर के 50,00,000 इक्विटी शेयरों (कुल 5 करोड़ रुपये) से बढ़ाकर ₹10 रुपये प्रति शेयर के 200,00,00,000 इक्विटी शेयरों (कुल ₹2000 करोड़ रुपये) कर दिया गया, जो भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 12 मई 2015 और नाबार्ड परिपत्र संख्या 156/आईडीडी.09/2015 के तहत कुल मिलाकर ₹2000 करोड़ रुपये हो गया।

प्रदत्त पूँजी

बैंक की चुकता पूँजी 31.03.2025 तक 1683,08,72,780 रुपये (10 रुपये प्रति शेयर के 168,30,87,278 शेयर) थी। भारत सरकार, राज्य सरकार और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 50:15:35 के अनुपात में अभिदान किया गया। हमारे बैंक की शेयर पूँजी स्थिति इस प्रकार है:

(रुपये में)

हितधारक	शेयर होल्डिंग्स	31.03.2024 तक पूँजी	31.03.2025 तक पूँजी
भारत सरकार	50%	841,54,36,390	841,54,36,390
प्रायोजक बैंक (एसबीआई)	35%	589,08,05,470	589,08,05,470
ओडिशा सरकार	15%	252,46,30,920	252,46,30,920
कुल	100	1683,08,72,780	1683,08,72,780

निम्नलिखित तालिका टियर-I, टियर-II पूँजी, रिजर्व और सीआरएआर की गणना की स्थिति बताती है:

(करोड़ रुपये में)

	पूँजी	2022-23	2023-24	2024-25
1	टीयर 1			
	a. प्रदत्त पूँजी	1653.69	1683.09	1683.09
	b. शेयर पूँजी जमा	0.00	0.00	0.00
	c. संचित हानि	1308.44	1171.68	1002.68
	कुल टियर-I पूँजी	345.25	511.41	680.41
2	टियर-II			
	a. शाश्वत बंधन	8.13	8.13	8.13
	b. सामान्य प्रावधान और आरक्षित निधि	9.77	13.52	17.81
	कुल टियर-II पूँजी	17.90	21.66	25.95
	कुल योग (टियर I + टियर II)	363.15	533.07	706.36
3	a. वित्तपोषित जोखिम परिसंपत्तियों अर्थात् बैलेंस शीट मदों का समायोजित मूल्य	3313.02	4254.27	5566.87
	b. गैर-वित्तपोषित जोखिम परिसंपत्तियों अर्थात् बैलेंस शीट मदों का समायोजित मूल्य	38.85	55.65	47.43
	c. a+b	3351.87	4309.92	5614.30
	d. जोखिम भारित पूँजी का प्रतिशत (टियर-I + टियर II)	10.83	12.37	12.58

शाश्वत बंधन

नाबार्ड के निर्देशों के अनुसार सीबीएस के कार्यान्वयन की लागत का हिस्सा ₹8.13 करोड़ रुपये प्रायोजक बैंक से सतत बांड जारी करने के लिए प्राप्त हुआ।



निवल मूल्य

बैंक की निवल संपत्ति 25 मार्च को ₹680.41 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की निवल संपत्ति ₹511.41 करोड़ रुपये की तुलना में ₹169.00 करोड़ रुपये (33.05%) की वृद्धि है।

पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 31.03.2025 को 12.58% हो गया है, जबकि 31.03.2024 को यह 12.37% था, जबकि नाबार्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम 9% सीआरएआर था।

आरआरबी में परिचालन और शासन सुधार (व्यवहार्यता योजना):


बैंक ने डीएफएस के निर्देशानुसार, भारत सरकार के पत्र संख्या 7/8/2022-आरआरबी दिनांक 14.09.2022 के अनुसार, आरआरबी में परिचालन और शासन सुधार के विषय पर एक व्यवहार्यता योजना (3-वर्षीय रणनीतिक रोडमैप) तैयार की थी और इसे हमारे प्रायोजक बैंक द्वारा विधिवत जांचे जाने और बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद 29 सितंबर 2022 को नाबार्ड के माध्यम से डीएफएस को प्रस्तुत किया गया था। डीएफएस ने भारतीय बैंक संघ (आईबीए) से आरआरबी, प्रायोजक बैंकों और नाबार्ड के साथ समन्वय करने का भी अनुरोध किया था ताकि आरआरबी को प्रौद्योगिकी अपनाने और उन्नयन प्रदान किया जा सके ताकि वे ग्राहकों को अधिक कुशलता से सेवा प्रदान कर सकें। डीएफएस ने आरआरबी के प्रौद्योगिकी उन्नयन, एनपीए में कमी के लिए रणनीतियों, आईटी पहल, वित्तीय समावेशन में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरण को बढ़ाने और प्रायोजक बैंकों द्वारा आरआरबी को दिए जा रहे समर्थन की आवश्यकता पर जोर दिया था।

बैंक ने नाबार्ड के निर्देशानुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित व्यवहार्यता योजना लक्ष्य 18 जून 2024 को नाबार्ड के माध्यम से वित्तीय सेवा विभाग को प्रस्तुत कर दिए हैं, जिसकी हमारे प्रायोजक बैंक द्वारा विधिवत जाँच की गई और बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। बैंक ने 31.03.2025 तक व्यवहार्यता योजना लक्ष्य के अंतर्गत अधिकांश मानदंड प्राप्त कर लिए हैं।

जमा

मार्च 2024 के स्तर की तुलना में जमा राशि में 11.85% की वृद्धि दर के साथ ₹1081.59 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई। 31.3.2025 तक कुल जमा राशि ₹10211.11 करोड़ रुपये हो गई, जबकि 31.3.2024 को यह ₹9129.52 करोड़ रुपये थी।

(करोड़ रुपये में)



जमा मिश्रण

कासा जमा राशि 12.65% की दर से ₹718.98 करोड़ रुपये बढ़कर 31.03.2025 को ₹6,401.76 करोड़ रुपये हो गई, जबकि 31.03.24 को यह ₹5,682.78 करोड़ रुपये थी। सावधि जमा राशि 10.52% की दर से ₹362.61 करोड़ रुपये बढ़कर 31.03.2025 को ₹3,809.35 करोड़ रुपये हो गई, जबकि 31.03.2024 को यह ₹3,446.74 करोड़ रुपये थी। कासा की हिस्सेदारी 31.03.2024 के 62.25% से बढ़कर 31.03.2025 को 62.69% हो गई।

(करोड़ रुपये में)

जमा मिश्रण	31.03.23	31.03.24	31.03.25
चालू खाता	96.99	107.41	121.35
विकास	-31.15	10.42	13.94
विकास %	-24.31	10.74	12.98
बचत बैंक खाता	4755.83	5575.37	6280.41
विकास	262.01	819.54	705.04
विकास %	5.83	17.23	12.65
कुल कासा जमा राशि	4852.82	5682.78	6401.76



विकास	230.86	829.96	718.98
विकास %	4.99	17.10	12.65
सावधि जमा	3192.55	3446.74	3809.35
विकास	171.44	254.19	362.61
विकास %	5.67	7.96	10.52
कुल जमा	8045.37	9129.52	10211.11
विकास	402.30	1084.15	1081.59
विकास %	5.26	13.48	11.85

उधारी

बैंक की कुल उधारी 31.03.2025 को ₹511.54 करोड़ रुपये थी, जबकि 31.03.2024 को यह ₹559.18 करोड़ रुपये थी।

(करोड़ रुपये में)

	संस्था	2022-23	2023-24	2024-25	Variance
1	नाबार्ड	578.00	550.00	511.00	-39.00
2	एनएसटीएफडीसी (राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्तीय विकास निगम)	0.47	0.36	0.54	0.18
3	प्रायोजक बैंक (एसबीआई) से 3 ओडी	0.00	8.82	0.00	-8.82
	कुल	578.47	559.18	511.54	-47.64

निवेश

बैंक का कुल निवेश पोर्टफोलियो 31.03.24 को ₹5439.66 करोड़ रुपये से 31.03.25 को 5.04% की दर से ₹273.92 करोड़ रुपये घटकर ₹5165.74 करोड़ रुपये हो गया।

(करोड़ रुपये में)

निवेश	31.03.23	31.03.24	31.03.25
एसएलआर	4338.98	3844.66	3381.49
विकास	-371.38	-494.32	-463.17
विकास %	-7.88	-11.39	-12.05
गैर एसएलआर	5.00	3.00	3.00
विकास	2.75	-2.00	0.00
विकास %	122.22	-40.00	0.00
अन्य बैंक के साथ टीडीआर	1070.69	1592.00	1781.25
विकास	384.84	521.31	189.25
विकास %	56.11	48.69	11.89
कुल निवेश	5414.67	5439.66	5165.74
विकास	16.21	24.99	-273.92
विकास %	0.30	0.46	-5.04

निवेश नीति:

बैंक की निवेश नीति 2008 में तैयार की गई थी और समय-समय पर बोर्ड द्वारा इसकी समीक्षा/संशोधन एवं अनुमोदन किया गया। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2018-19 से, हमने अपने प्रायोजक बैंक द्वारा अपने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए परिचालित आदर्श समान निवेश नीति को अपनाया है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप है, जिसकी बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान समीक्षा की गई थी।



एसएलआर निवेश

बैंक ऑफ बड़ौदा अधिनियम, 1949 की धारा 24 के अनुसार, बैंक ने एसएलआर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नीति में निर्धारित क्षेत्रों में निवेश बनाए रखा है। सभी एसएलआर निवेश केवल भारत सरकार/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों/सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में किए जाते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री हमारे प्रायोजक बैंक, एसबीआई के पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा विभाग (ब्याज दर बाजार डेस्क) के माध्यम से की जाती है।

गैर एसएलआर निवेश

गैर-एसएलआर निवेश म्युचुअल फंड और अन्य अनुसूचित बैंकों के साथ टीडीआर में हैं। बैंक मूलधन और ब्याज देय राशि की शीघ्र प्राप्ति के लिए निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। वर्ष के दौरान गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो से आय रिसाव का कोई मामला सामने नहीं आया।

सीआरआर और एसएलआर

बैंक ने सीआरआर और एसएलआर के लिए पर्याप्त शेष राशि बनाए रखने की नियामक आवश्यकता का अनुपालन किया है। एनडीटीएल को ध्यान में रखते हुए सीआरआर और एसएलआर आवश्यकताओं का आकलन करने की एक सुव्यवस्थित प्रणाली मौजूद है। वर्ष के दौरान सीआरआर/एसएलआर आवश्यकताओं के रखरखाव में कोई चूक नहीं हुई। 31.03.2025 तक बैंक ने सीआरआर में ₹410.89 करोड़ और एसएलआर में ₹3,381.49 करोड़ रखे हैं।

क्रेडिट पोर्टफोलियो

बैंक का ऋण पोर्टफोलियो 31.03.2024 के ₹4,760.77 करोड़ रुपये से बढ़कर 31.03.2025 तक ₹1,272.99 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ ₹6,032.99 करोड़ रुपये हो गया। यह मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) में ₹86.14 करोड़ रुपये, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) में ₹625.14 करोड़ रुपये, आवास ऋण में ₹231.65 करोड़ रुपये और स्वर्ण ऋण में ₹381.97 करोड़ रुपये की वृद्धि के कारण संभव हुआ है।

कृषि को ऋण

कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए कुल ऋण, जिसमें स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को दिया गया कृषि ऋण भी शामिल है, 31.3.2025 तक ₹3,046.26 करोड़ रुपये रहा, जबकि 31.03.2024 तक यह ₹2,393.58 करोड़ रुपये था। इसमें ₹652.68 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जो मुख्यतः केसीसी और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में हुई। हालाँकि, कृषि क्षेत्र में बैंक के ऋण खातों की कुल संख्या 31.03.2024 तक 276235 से बढ़कर 31.03.2025 तक 279170 हो गई।

बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कृषि क्षेत्र को ₹2,861.91 करोड़ रुपये वितरित किए हैं, जबकि पिछले वित्त वर्ष (2023-24) में ₹2074.56 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) खातों में अधिकतम नई स्वीकृति/वृद्धि/नवीनीकरण के कारण पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वितरण में ₹787.35 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को दिया जाने वाला कुल ऋण 31.3.2025 तक कुल ऋण पोर्टफोलियो का 50.49% था, जबकि 31.03.2024 तक यह 50.28% था। कृषि-क्षेत्र के ऋणों के साथ-साथ लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) और व्यक्तिगत ऋणों में निरंतर वृद्धि के कारण, वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि क्षेत्र के प्रतिशत में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में मामूली वृद्धि होगी।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार, बैंक ने प्रति उधारकर्ता ₹2.00 लाख रुपये तक के संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण, जिसमें संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण भी शामिल है, प्रदान किया है।

संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली के तहत फसल ऋण

भारत सरकार और नाबार्ड के निर्देशों के अनुसार, हमने खरीफ 2012 से फसल ऋण लेने वालों के लिए संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड लागू किया है। ऋण सीमा 5 वर्षों के लिए निर्धारित है और अधिकतम स्वीकार्य सीमा के लिए दस्तावेज़ प्राप्त किए जाते हैं। वर्ष-वार सीमाएँ प्रचलित वित्तमान और निवेश की भविष्य की लागत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती हैं।

हमने 31.3.2025 तक 213816 केसीसी जारी किए हैं, जिनका बकाया ऋण ₹1575.69 करोड़ रुपये है, जबकि पिछले वित्त वर्ष (2023-24) में 218628 केसीसी जारी किए गए थे, जिनका बकाया ऋण ₹1,522.64 करोड़ रुपये था।



स्वयं सहायता समूह ब्याज अनुदान:

वर्ष 2024-25 के लिए डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याज अनुदान योजना

इस योजना के अंतर्गत, एनआरएलएम या अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार के विभागों या नाबार्ड या किसी भी गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रवर्तित सभी महिला स्वयं सहायता समूहों से ₹3.00 लाख रुपये तक के ऋण पर 7% की दर से और ₹3.00 लाख रुपये से अधिक और ₹5.00 लाख रुपये तक के ऋण पर 10% की दर से ब्याज लिया जाता है। भारत सरकार बैंक को ₹3.00 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 4.50% और ₹3.00 लाख रुपये से अधिक और ₹5.00 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 5.00% की दर से सहायता प्रदान करती है। बैंक ने नाबार्ड एनआरएलएम पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2023-24 के लिए एनआरएलएम के अंतर्गत भारत सरकार से ब्याज सहायता के रूप में ₹19.24 करोड़ रुपये का दावा किया था। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, बैंक एनआरएलएम के अंतर्गत ब्याज सहायता का दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है। इसके अतिरिक्त, स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण, जो डीएवाई एनआरएलएम के अंतर्गत कवर नहीं किए जाते हैं, उन पर 12.50% प्रति वर्ष की ब्याज दर ली जाती है। इसके अलावा, ओडिशा सरकार द्वारा मिशन शक्ति योजना की शुरुआत के साथ, महिला स्वयं सहायता समूहों (WSHG) के बीच बेहतर दृश्यता और जागरूकता पैदा करने के लिए, ओडिशा सरकार ने ग्रामीण और शहरी दोनों WSHG को 0% वार्षिक ब्याज पर ऋण प्रदान करके WSHG पर ब्याज का बोझ कम किया है। यह सुविधा 11 जून, 2020 से उपलब्ध है।

1 अप्रैल 2022 से राज्य ब्याज सबवेंशन स्कीम के माध्यम से उनकी प्रमोटर एजेंसियों के बावजूद। मिशन शक्ति विभाग, ओडिशा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में एक SHG बैंक लिंकेज और ब्याज सबवेंशन (BLIS) पोर्टल तैयार किया है, जिसके माध्यम से उचित ब्याज सबवेंशन राशि की गणना की जाती है और DBT मोड के माध्यम से पात्र WSHG खातों में दी जाती है। हमारे बैंक ने BLIS पोर्टल में WSHG विवरण साझा करने के लिए ओडिशा सरकार के मिशन शक्ति विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तदनुसार, वर्ष 2024-25 के लिए हमारे बैंक का आवश्यक SHG डेटा ओडिशा सरकार के BLIS पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, जो संबंधित विभाग को बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के DBT मोड के माध्यम से WSHG को उचित ब्याज सबवेंशन राशि देने में सक्षम करेगा।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

आरबीआई परिपत्र संख्या: आरबीआई/एफआईडीडी/2020-21/72, मास्टर निर्देश मास्टर निर्देश एफआईडीडी.सीओ.प्लान.बीसी.5/04.09.01/2020-21, दिनांक 4 सितंबर, 2020, 20 अक्टूबर, 2022 तक अद्यतन के अनुसार, बकाया अग्रिमों का 75% प्राथमिकता क्षेत्र की ओर होना चाहिए, जो (ए) कृषि (कृषि ऋण, कृषि अवसंरचना, सहायक गतिविधियाँ) (बी) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, केवीआई और पीएमजेडीवाई के लिए ओडी) (सी) शिक्षा (डी) आवास (ई) सामाजिक अवसंरचना (1) नवीकरणीय ऊर्जा (जी) कमजोर वर्ग और (एच) अन्य (एसएचजी/जेएलजी, संकटग्रस्त व्यक्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य प्रायोजित संगठनों को ऋण) को दिए गए ऋण का गठन करता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए अपने बकाया अग्रिमों का 75% लक्ष्य प्राप्त करना है। प्राथमिकता क्षेत्र और उसके उप-क्षेत्रों के अंतर्गत लक्ष्य और उनका प्रदर्शन नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

श्रेणियाँ (कुल अग्रिमों में से)	लक्ष्य % में	31.03.2025 तक की स्थिति (% में)	
		पीएसएलसी के बिना	पीएसएलसी के साथ
कुल प्राथमिकता क्षेत्र	कुल बकाया का 75%	117.60%	94.26%
कृषि	कुल बकाया का 18%	78.90%	37.50%
छोटे और सीमांत किसान	कुल बकाया का 10.00%	64.00%	22.60%
अति लघु उद्योग	कुल बकाया का 7.50%	9.30%	14.50%
कमजोर वर्ग	कुल बकाया का 15%	83.00%	83.00%

(करोड़ रुपये में)

		2022-23		2023-24		2024-25	
		खातों की संख्या	असाधारण	खातों की संख्या	असाधारण	खातों की संख्या	असाधारण
1	कमजोर वर्ग	218854	2008.09	242278	2541.77	262218	3204.12
2	महिलाएं	122251	1140.41	152040	1554.61	191728	2101.33



	उधारकर्ताओं						
3	अल्पसंख्यक	13433	56.16	13613	58.66	14229	56.22
4	एससी5/एसटी	144296	1028.84	148635	1049.42	140504	1028.56

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र

पीएसएलसी के आरबीआई मास्टर सर्कुलर संख्या FIDD.CO. Plan. BC 23/04.09.01/2015-16 दिनांक 07.04.2016 के अनुसार, ई-कुबेर पोर्टल पर ट्रेडिंग निरंतर आधार पर की जाती है। सभी ट्रेडेड पीएसएलसी 31 मार्च तक समाप्त हो जाएँगे और रिपोर्टिंग तिथि (31 मार्च) के बाद मान्य नहीं होंगे, चाहे उनकी ट्रेडिंग किसी भी तिथि को की गई हो।

हमने वित्त वर्ष 2017-18 से ई-कुबेर पोर्टल पर ट्रेडिंग शुरू की। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, हमने ₹26.18 करोड़ रुपये के प्रीमियम लाभ के साथ ₹1600.00 करोड़ रुपये के पीएसएलसी बेचे और ₹ 0.07 करोड़ रुपये के प्रीमियम भुगतान के साथ ₹700 करोड़ रुपये के पीएसएलसी खरीदे। इस वित्त वर्ष में हमने ₹26.11 करोड़ रुपये का शुद्ध प्रीमियम लाभ अर्जित किया है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹14.30 करोड़ रुपये का शुद्ध प्रीमियम लाभ होगा।

राज्य ऋण योजनाओं में भागीदारी

राज्य ऋण योजना में बैंक की भागीदारी निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	2022-23		2023-24		2024-25	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	फसल ऋण	1031.73	1151.00	1088.44	1217.50	2221.41	1342.08
2	अन्य कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	454.35	535.09	406.12	857.05	107.15	1519.83
3	गैर कृषि क्षेत्र (एनएफएस)	697.98	1057.15	1210.75	1439.51	2102.23	760.04
4	अन्य प्राथमिकता क्षेत्र (ओपीएस)	389.96	160.66	380.31	270.06	353.63	452.64
5	कुल प्राथमिकता क्षेत्र का %	2574.02	2903.92	3085.62	3784.13	4784.42	4074.59
	% उपलब्धि		112.82%		122.64%		85.16%

खुदरा ऋण

वर्ष के दौरान, मौजूदा पोर्टफोलियो के सुधार के साथ-साथ, बैंक ने आवास, बंधक ऋण, व्यक्तिगत स्वर्ण ऋण, एमएसएमई आदि को खुदरा ऋण देने पर ध्यान केंद्रित किया है। ऋण पोर्टफोलियो के विविधीकरण और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके परिचालन कर्मचारियों की क्षमता निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। वर्ष के अंत में स्थिति इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

एस.ए.ल.	सेगमेंट	31.03.2023		31.03.2024		31.03.2025	
		खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
1	आवास ऋण	4320	328.98	5437	523.46	6608	701.01
2	बंधक ऋण	328	29.19	968	80.70	1626	136.01
3	शिक्षा ऋण	142	4.11	83	2.48	64	2.29
4	मांग ऋण	8033	95.73	8301	108.63	9415	151.66



5	एनएफएस-टर्म ण/एमएसएमई	9211	493.47	7568	666.91	8969	640.47
6	व्यक्तिगत ऋण	926	17.35	755	16.02	684	15.88
7	पर्सनल गोल्ड लोन	97211	614.15	143384	924.03	185428	1280.18
	कुल	120171	1582.98	166496	2332.23	212794	2927.50

भारतीय प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री (CERSAI)

हमारे बैंक ने RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार CERSAI के साथ पंजीकरण कराया था और निर्देशों का पालन किया था। 31.03.2025 तक हमारे सभी ऋणों के संबंध में समतामूलक/पंजीकृत बंधक और दृष्टिबंधक, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) के अंतर्गत आते हैं, CERSAI के साथ पंजीकृत कर दिए गए हैं। इसके साथ ही, हमारे बैंक के पक्ष में सृजित प्रतिभूति हित का विवरण नागरिकों/अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा खोज के लिए सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध है, जिसके परिणामस्वरूप एक ही संपत्ति के विरुद्ध संभावित धोखाधड़ी/एकाधिक वित्तपोषण को रोका जा सकता है।

हमारा बैंक चार क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) का सदस्य है, अर्थात् ट्रांसयूनियन सिबिल इंडिया लिमिटेड, सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट सूचना सेवाएँ प्राइवेट लिमिटेड, इक्विफैक्स क्रेडिट सूचना सेवाएँ प्राइवेट लिमिटेड और एक्सपीरियन क्रेडिट सूचना कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये सीआईसी बैंकों और अन्य ऋणदाताओं से ऋण और क्रेडिट कार्ड से संबंधित व्यक्तियों और गैर-व्यक्तियों (व्यावसायिक संस्थाओं) के भुगतानों का रिकॉर्ड हर पखवाड़े एकत्र और बनाए रखती हैं। इस जानकारी का उपयोग करके एक क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) और क्रेडिट स्कोर तैयार किया जाता है, जिससे ऋणदाता ऋण आवेदनों का मूल्यांकन और अनुमोदन कर सकते हैं।

हमारा बैंक हर पखवाड़े सीआईसी के वेब पोर्टल पर डेटा अपलोड कर रहा है और सभी क्षेत्रीय कार्यालय और शाखाएँ अपने ऋण निर्णयों में ऋण आवेदकों के क्रेडिट इतिहास का उपयोग कर रही हैं। हमारा बैंक निर्धारित समय सीमा के भीतर विवाद समाधान को भी प्राथमिकता दे रहा है। किसी भी विवाद के लिए

हमारे बैंक के ग्राहकों और अन्य ग्राहकों की CIBIL, CRIF से संबंधित समस्याओं को CIBIL और CRIF के उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष उठाया जाता है और निर्धारित समयावधि में उनका समाधान करने के लिए नियमित रूप से उनका अनुसरण किया जाता है।

संपत्ति की गुणवत्ता

ऋण प्रस्तावों के केंद्रीकृत प्रसंस्करण हेतु 08 केंद्रों, अर्थात् बरहामपुर, संबलपुर, बलांगीर, बरगढ़, फूलबनी, भवानीपटना, जयपुर और रायगढ़ में परिसंपत्ति प्रबंधन केंद्र (एएमएच) स्थापित किए गए हैं। यह लागत-प्रभावी विधियों और व्यवसाय-उन्मुख दृष्टिकोण का उपयोग करके गुणवत्तापूर्ण परिसंपत्तियों के निर्माण और बैंक के प्रदर्शन में सुधार हेतु एक उपकरण के रूप में कार्य कर रहा है। वर्तमान में, 08 हब शाखाएँ भौगोलिक निकटता, परिचालन सुविधा और व्यावसायिक स्तर के आधार पर इससे जुड़ी 88 स्पोक शाखाओं के लिए ऋण शाखा के रूप में कार्य कर रही हैं।

ऋण उत्पत्ति प्रणाली:

ऋण आवेदन प्रसंस्करण प्रणाली को स्वचालित करने के लिए, बैंक में ऋण मूल सॉफ्टवेयर (LOS) लागू किया गया है। शाखाएँ सभी केसीसी और व्यक्तिगत ऋणों का प्रसंस्करण/अनुमोदन LOS प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रही हैं और बैंक में अन्य मॉड्यूल लागू किए जाने की प्रक्रिया में हैं।

सीजीएफएमयू:

हमारा बैंक, एनसीजीटीसी के साथ 05.06.2023 को एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष (सीजीएफएमयू) के साथ एक सदस्य ऋण संस्थान (एमएलआई) बन गया है; इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु इकाइयों को, विशेष रूप से बिना किसी संपार्श्विक और तृतीय पक्ष गारंटी के, ऋण गारंटी कवरेज प्रदान करना और उद्यमिता को बढ़ावा देने एवं विकसित करने में सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण, सेवा क्षेत्रों को मुद्रा के अंतर्गत ऋण,



संयुक्त देयता समूहों को ऋण, स्वयं सहायता समूहों को वित्त और प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट सुविधा शामिल है। यह कोष ऋणदाता संस्थानों द्वारा दिए गए सूक्ष्म ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक के विरुद्ध गारंटी प्रदान करता है।

सीएम-एसआरआईएम:

ओडिशा सरकार द्वारा कार्यान्वित "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु मुख्यमंत्री योजना (CM-SRIM)" वित्त वर्ष 2023-24 से लागू है। इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र की MSME इकाइयों को हमारे बैंक से लिए गए कार्यशील पूंजी ऋणों पर बैंक को दिए गए ब्याज की प्रतिपूर्ति के माध्यम से सहायता प्रदान करना है। ऋणदाता निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से CM-SRIM के अंतर्गत ब्याज अनुदान का दावा कर रहे हैं और ओडिशा सरकार MSME ऋणों पर ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति कर रही है।

मिशन शक्ति स्कूटर योजना:

ओडिशा सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना नामक एक नई योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य "मिशन शक्ति फेडरेशन के नेताओं और सामुदायिक सहायता कर्मचारियों (सीएसएस) को स्कूटर खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण" प्रदान करना है। इस योजना के तहत, ओडिशा सरकार ने हमारी बोलनगीर शाखा में एक ब्याज सब्सिडी मध्यस्थ खाता खोला है और ऐसे मिशन शक्ति स्कूटर ऋणों पर देय ब्याज की वसूली के लिए मासिक आधार पर 12% प्रति वर्ष की दर से अग्रिम राशि जमा की है। इस योजना के तहत, हमने 31.03.2025 तक 394 स्कूटर ऋण स्वीकृत किए हैं और 2024-25 के दौरान देय ब्याज के लिए ओडिशा सरकार की अग्रिम निधि से ₹37.32 लाख रुपये प्राप्त किए हैं।

एफपीओ/एफपीसी का वित्तपोषण:

एफपीओ एक सामान्य नाम है, जिसका अर्थ है और इसमें किसान उत्पादक संगठन शामिल है जो कंपनी अधिनियम के भाग IXA के तहत या संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम के तहत निगमित/पंजीकृत है और जिसका गठन कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के उत्पादन और विपणन में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से सामूहिक लाभ उठाने के उद्देश्य से किया गया है। बैंक ने किसान उत्पादक संगठनों के वित्तपोषण के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

संगठन/कृषक उत्पादक कंपनियाँ। इसके अलावा, हमारे बैंक ने एफपीओएस/एफपीसी को ₹2.00 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए ऋण गारंटी कवरेज के साथ संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने हेतु एनएबी संरक्षण के साथ एक समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बैंक ने 11 स्वीकृत किए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एफपीओ/एफपीसी को ₹1.30 करोड़ रुपये का ऋण दिया जाएगा।

गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का प्रबंधन:

31 मार्च 2025 को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां ₹52.98 करोड़ रुपये घटकर ₹303.11 करोड़ रुपये हो गईं, जो 31 मार्च 2024 को ₹356.09 करोड़ रुपये थीं। कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए 31.3.2024 को 7.48% से घटकर 31.3.2025 को 5.02% हो गया है और शुद्ध एनपीए (शुद्ध अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में) 31.03.2025 को 0.02% है।

(करोड़ रुपये में)

संपत्ति	2022-23		2023-24		2024-25	
	असाधारण	%	Outstanding	%	Outstanding	%
मानक	3258.99	86.74	4404.68	92.52	5729.89	94.98
उप- मानक	24.68	0.66	18.58	0.39	27.94	0.46
खराब और संदिग्ध	446.88	11.89	315.12	6.62	256.75	4.26
नुकसान	26.68	0.71	22.39	0.47	18.42	0.30
कुल एन.पी.ए.	498.24	13.26	356.09	7.48	303.11	5.02
कुल अग्रिम	3757.23	100.00	4760.77	100.00	6033.00	100.00

**एनपीए में कमी के लिए रणनीतियाँ:**

एनपीए को कम करने/नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाई गईं:

- i. निगरानी योग्य कार्य योजना (एमएपी) त्रैमासिक आधार पर तैयार की जाएगी तथा आरबीआई, नाबार्ड को प्रस्तुत की जाएगी तथा निष्पादन समीक्षा के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- ii. इस उद्देश्य के लिए विभिन्न मापदंडों के अंतर्गत शाखावार और क्षेत्रवार लक्ष्य आवंटित किए गए हैं और नियमित आधार पर उनकी निगरानी की जा रही है।
- iii. नियंत्रकों के लिए शुरू किए गए उच्च मूल्य के ऋणों की मासिक समीक्षा बकाया राशि के आधार पर निम्नानुसार की जाएगी।
 - क. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबंधक व्यवसाय द्वारा ₹2 लाख रुपये से ₹5 लाख रुपये तक।
 - ख. क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा ₹5 लाख रुपये से अधिक
 - ग. ₹10 लाख से अधिक - संबंधित महाप्रबंधकों द्वारा नियमित पखवाड़े की समीक्षा और अध्यक्ष द्वारा मासिक समीक्षा।
- iv. उच्च मूल्य के एनपीए की अनुवर्ती कार्रवाई और वसूली के लिए एसएआरबी को मजबूत करना।
- v. निगरानी के लिए प्रधान कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों को एनपीए गहन शाखाओं का आवंटन।
- vi. इंटरनेट साइट को अनुकूलित और सुदृढ़ किया गया ताकि शाखाओं को अपने प्रदर्शन के बारे में जानकारी मिल सके तथा अन्य शाखाओं के बीच प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनाया जा सके।
- vii. आरओ/एचओ अधिकारियों द्वारा एनपीए उधारकर्ताओं को टेलीफोन/व्यक्तिगत कॉल।
- viii. वसूली-सह-नवीकरण शिविरों का आयोजन।
- xi. पी-समीक्षा बैठकों और एनपीए समीक्षा बैठकों के दौरान उच्च मूल्य वाले एनपीए पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- xii. एनपीए में कमी लाने के लिए विभिन्न अभियान चलाए गए, प्रगति की निगरानी की गई और शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को जीएम और अध्यक्ष द्वारा सम्मानित किया गया।
- xiii. जब्ती और नीलामी में तेजी लाई जाएगी।
- xiv. एसएआरएफईएसआई अधिनियम के तहत कार्रवाई 13(2) और 13(4) नोटिस जारी करके और कब्जे और नीलामी के लिए आगे बढ़ाकर तेज कर दी गई।
- xv. डीआरटी मामलों की फाइलिंग और अनुवर्ती कार्रवाई में तेजी लाई गई।
- xvi. ₹5.00 लाख रुपये तक के बकाया ऋणों के लिए बोर्ड की मंजूरी से विशेष ओटीएस योजना लागू की गई।
- xvii. लोक अदालतों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई।
- xviii. हर महीने बैंक अदालतें आयोजित की जाएंगी।
- xix. समाधान एजेंसियों को SARFAESI कार्रवाई के लिए नियुक्त किया गया है।

ऐसी रणनीतियों के प्रमुख परिणाम निम्नानुसार हैं:

(राशि करोड़ में)

एनपीए केसीसी नवीनीकृत/उन्नत		एनपीए एसएचजी नवीनीकृत/उन्नत		एनपीए एसएमई और पी-सेगमेंट ऋण नवीनीकृत/उन्नत	
खातों की संख्या	कमी की गई राशि	खातों की संख्या	कमी की गई राशि	खातों की संख्या	कमी की गई राशि
7790	52.07	1165	15.98	3919	46.98

एनपीएएस को कम करने के लिए यूजीबी स्पेशल ओटीएस 2024-2025 को 01.04.2024 से शुरू किया गया।

(राशि करोड़ में)

31.03.2025 तक यूजीबी विशेष ओटीएस का परिणाम			
ए/सी	राशि O/s	तय की गई राशि	वसूल की गई राशि
3807	12.49	7.24	5.85

एसएआरएफईएसआई कार्रवाई के माध्यम से 167 खातों से 7.61 करोड़ रुपये की वसूली की गई।



ए.यू.सी.ए. में वसूली के लिए 01.04.2024 से एक विशेष अभियान "कॉन्क्वेर ए.यू.सी.ए." शुरू किया गया और 31.03.2025 तक ₹14.89 करोड़ रुपये की वसूली की गई।

तनावग्रस्त परिसंपत्ति वसूली शाखा (SARB)

उच्च मूल्य वाले एनपीए खातों को संभालने के लिए दबावग्रस्त परिसंपत्ति वसूली शाखा (एसएआरबी) को सुदृढ़ किया गया और शाखाओं से उच्च मूल्य वाले ऋणों के स्थानांतरण और कानूनी कार्रवाई/एसएआरएफआईएसआई कार्रवाई शुरू करने/जारी रखने का कार्य सौंपा गया। एसएआरबी ₹13.22 करोड़ रुपये के 133 उच्च मूल्य वाले एनपीए खातों और ₹ 5.18 करोड़ रुपये के 34 एयूसीए खातों का प्रबंधन कर रहा है।

एसएआरबी ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ₹2.73 करोड़ रुपये का शुद्ध एनपीए वसूल किया है और ₹2.22 करोड़ रुपये के 21 उच्च मूल्य के समझौता प्रस्ताव दर्ज किए हैं।

समझौता बस्तियाँ

बैंक ने वर्ष 2024-25 के दौरान समझौता निपटान के तहत एनपीए की बड़ी राशि वसूल की है, जो कई वर्षों से बकाया थी।

(करोड़ रुपये में)

समझौता	2022-23	2023-24	2024-25
खातों की संख्या	16963	17424	13286
मात्रा	86.06	62.98	31.52

इन समझौतों में लोक अदालतों, बैंक अदालतों, यूजीबी विशेष ओटीएस और अन्य माध्यमों से सामान्य समझौते खराब ऋणों का निपटान शामिल है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली - निरीक्षण और लेखा परीक्षा

बैंक की सभी गतिविधियां आंतरिक लेखापरीक्षा के अधीन हैं, जिसमें मुख्य रूप से सभी शाखाओं के लिए लागू जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरएफआईए), बैंक के 50% कारोबार को कवर करने वाली समवर्ती लेखापरीक्षा, ₹5 करोड़ रुपये और उससे अधिक के खातों की ऋण सीमा के लिए क्रेडिट लेखापरीक्षा, शाखाओं द्वारा प्रस्तुत अनुपालन की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए शाखाओं की अनुपालन लेखापरीक्षा, आवश्यकतानुसार आरओ द्वारा एसएनएपी लेखापरीक्षा शामिल हैं।

शाखाओं के उचित रिकॉर्ड रखरखाव के सत्यापन के लिए 30 शाखाओं का विशेष ऑडिट किया गया।

जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरएफआईए)

हमारे प्रायोजक बैंक की सलाह के अनुसार, बैंक में अगस्त 2013 से जोखिम-केंद्रित आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली लागू की गई है और 08.11.2016 से बैंक द्वारा निरीक्षण रेटिंग के लिए मानक बढ़ाकर मानदंडों को और परिष्कृत किया गया है। लेखा परीक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के लिए, प्रायोजक बैंक की सलाह के अनुसार, बैंक में 30.12.2017 से RFIA का नया प्रारूप लागू किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, 228 शाखाओं को उनकी रेटिंग के आधार पर ऑडिट किया जाना था और 228 शाखाओं का ऑडिट किया जा चुका है। लेखापरीक्षित शाखाओं द्वारा प्राप्त रेटिंग निम्नानुसार है।

रेटिंग	2024-25 के दौरान 228 शाखाओं का लेखा-परीक्षण किया गया
अच्छी तरह से नियंत्रित - ए+	17
पर्याप्त रूप से नियंत्रित - ए	211
मध्यम रूप से नियंत्रित - बी	Nil
असंतोषजनक रूप से नियंत्रित - सी	Nil
कुल	228

वर्ष के दौरान बंद होने वाली 228 लेखापरीक्षा रिपोर्टों में से 151 रिपोर्टों पर कार्रवाई की जा चुकी है।



समवर्ती लेखापरीक्षा

नाबार्ड द्वारा जारी नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 से हमारे बैंक में समवर्ती लेखापरीक्षा शुरू की गई थी। वर्तमान में, 10 लेखा परीक्षकों के सहयोग से 63 शाखाओं में समवर्ती लेखापरीक्षा की जा रही है, जिनका चयन बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारियों में से किया गया है और जिन्हें संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया है।

समवर्ती लेखापरीक्षा का दायरा (ए) नकद लेनदेन (बी) समाशोधन लेनदेन (सी) संग्रह के लिए प्रेषण / चेक (डी) जमा (ई) ऋण और अग्रिम (एफ) एलसी / बीजी (जी) हाउस कीपिंग (एच) क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड का सत्यापन (i) ग्राहक सेवा बिंदु (सीएसपी) का लेखापरीक्षा (के) अन्य को सत्यापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

शाखाओं की समवर्ती लेखापरीक्षा करने के लिए वेब आधारित समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली (WEBCAS) लागू की गई है।

अनुपालन लेखापरीक्षा

विनियामक और आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार शाखाओं द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए 120 शाखाओं में अनुपालन ऑडिट आयोजित किए गए। इसके अलावा, दक्षता स्तर को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित ऑडिट भी किए गए हैं:

आईएस ऑडिट और साइबर सुरक्षा ऑडिट:

बैंक का डेटा सेंटर हर साल आईएस ऑडिट के अधीन होता है। तदनुसार, हमारे डेटा सेंटर मुंबई, मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और 4 शाखाओं में फरवरी 2025 के दौरान CERT-IN के पैनल में शामिल ऑडिटर, मेसर्स अवश्योर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईएस ऑडिट और साइबर सुरक्षा ऑडिट किया गया।

उपरोक्त लेखापरीक्षा का दायरा यह था कि क्या बैंक, आरआरबी के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा ढांचे पर नाबार्ड के दिशानिर्देशों और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित आरबीआई द्वारा प्रकाशित सूचना सुरक्षा और अन्य जांच और नियंत्रण के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी प्रासंगिक निर्देशों का अनुपालन कर रहा है।

सीमित आईटी आर्किटेक्चर वाली शाखाओं को आरएफआईए ऑडिट के दौरान कवर किया जाता है।

AUA/KUA ऑडिट:

यूआईडीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक एयूए/केयूए के लिए वार्षिक ऑडिट करना अनिवार्य है और रिपोर्ट यूआईडीआई को प्रस्तुत की जानी चाहिए। चूंकि हमारा बैंक एक प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसी (एयूए) और केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसी (केयूए) दोनों हैं, इसलिए बैंक का एयूए/केयूए ऑडिट फरवरी 2025 के दौरान सीईआरटी-आईएन के पैनल में शामिल ऑडिटर, मेसर्स अवश्योर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था।

एपीवाई ऑडिट:

पीएफआरडीए के परिपत्र संख्या- पीएफआरडीए/2023/15/सुप-पीओपी/01 दिनांक 29.05.2023 के अनुसार, एपीवाई के अंतर्गत बनाए गए वार्षिक खातों और प्रक्रियाओं का वार्षिक आधार पर एक स्वतंत्र बाह्य चार्टर्ड अकाउंटेंट/ऑडिटर फर्म द्वारा ऑडिट किया जाना है। तदनुसार, बैंक ने अप्रैल 2024 में केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षक, मेसर्स तेज राज एंड पाल द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए एपीवाई ऑडिट किया है।

क्रेडिट ऑडिट

5,00 करोड़ रुपये और उससे अधिक की स्वीकृत सीमा वाले खातों की क्रेडिट ऑडिट के लिए पहचान की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, अग्रिम पोर्टफोलियो में पर्याप्त अनुभव रखने वाले स्केल-III और स्केल IV के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सभी 10 पात्र ऋण खातों का क्रेडिट ऑडिट किया गया। इसके अतिरिक्त, पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 की सभी 7 क्रेडिट ऑडिट रिपोर्टों पर विचार किया गया।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

बैंक के बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है। उप महाप्रबंधक (कृषि), भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय मुख्यालय, भुवनेश्वर (बैंक के बोर्ड में निदेशक) लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। उप महाप्रबंधक (नाबार्ड), ओडिशा क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर (बैंक के बोर्ड में निदेशक), उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर (बैंक के बोर्ड में निदेशक) और उप सचिव, वित्त विभाग, ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर (बैंक के बोर्ड में निदेशक) लेखा परीक्षा समिति के सदस्य हैं। समिति ने वर्ष के दौरान 3 बार बैठकें कीं और बैंक की निरीक्षण गतिविधियों, परिसंपत्ति प्रबंधन और लेखा उत्कृष्टता की निगरानी की।



जोखिम प्रबंधन समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और प्रायोजक बैंक के निर्देशों के अनुसार, बोर्ड की स्वीकृति से, बैंक ने बोर्ड स्तर पर और प्रबंधन स्तर पर भी एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। समिति की संरचना इस प्रकार है:

जोखिम प्रबंधन समिति (बोर्ड स्तर):

समिति के प्रमुख-बैंक के अध्यक्ष सदस्य: नामित निदेशक (प्रायोजक बैंक), नामित निदेशक (नाबार्ड), नामित निदेशक (आरबीआई)

जोखिम प्रबंधन समिति (प्रबंधन स्तर):

समिति के प्रमुख-बैंक के अध्यक्ष सदस्य: जीएम-I, जीएम-II, जीएम-III, एचओडी (अग्रिम), एचओडी (योजना और विकास), एचओडी (लेखा परीक्षा और निरीक्षण)।

वर्ष के दौरान, समिति की प्रबंधन स्तर पर चार बार बैठकें हुईं, जिनमें सभी एजेंडा मदों पर विस्तृत चर्चा हुई। समिति की सिफारिशों के आधार पर उचित कार्रवाई की गई।

प्रबंधन लेखापरीक्षा

हमारे बैंक का प्रबंधन ऑडिट हमारे प्रायोजक बैंक द्वारा 22/07/2024 से 26/07/2022 (रिपोर्ट की तिथि 14/08/2024) तक किया गया। प्रबंधन ऑडिट रिपोर्ट के कार्यकारी सारांश और मुख्य रिपोर्ट का अनुपालन क्रमशः दिनांक 13/09/2024 और 28.10.2024 को प्रस्तुत किया गया, और कार्यकारी सारांश 27.01.2025 को बंद कर दिया गया।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35(6) के तहत नाबार्ड निरीक्षण

31.03.2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए नाबार्ड ऑडिट 15.07.2024 को शुरू हुआ, और ऑडिट रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

बैंक की नीति रूपरेखा

बैंकिंग के सभी क्षेत्रों की पहचान करने और हमारे दृष्टिकोण में एकरूपता लाने के लिए एक नीतिगत ढाँचा तैयार करने के प्रयास किए गए हैं। नीतियाँ बनाते समय, भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड, प्रायोजक बैंक के सभी मौजूदा निर्देशों और बैंकिंग को नियंत्रित करने वाले विभिन्न अधिनियमों में परिकल्पित बैंकिंग के सामान्य सिद्धांतों को ध्यान में रखा गया है। हमारे बैंक की निम्नलिखित नीतियाँ अब रिकॉर्ड में हैं, जिन पर बोर्ड की बैठकों में विधिवत विचार-विमर्श किया गया है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

एस.एल.	पॉलिसी का नाम	एस.एल.	पॉलिसी का नाम
1	निवेश नीति	32	परिवेश नीति
2	केवाईसी/एएमएल नीति	33	बीसी नीति
3	आईएस और आईटी नीति	34	साइबर सुरक्षा नीति
4	मुआवज़ा नीति	35	शिकायत एवं निवारण नीति (कर्मचारी)
5	चेक अनादर नीति का लगातार उल्लंघन	36	शिकायत निवारण नीति
6	आईएस ऑडिट नीति	37	क्रॉस सेलिंग नीति
7	अनुपालन लेखापरीक्षा नीति	38	कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर नीति
8	मित्रा समिति की सिफारिशों के अनुसार मानव संसाधन नीति	39	बट्टे खाते में डालने की नीति
9	अवकाश नीति	40	जब्ती नीति
10	मूल्यहास नीति	41	ग्राहक अधिकार नीति
11	सतर्कता प्रशासन और अनुशासनात्मक कार्रवाई पर मैनुअल	42	ग्राहक शिकायत नीति
12	इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (ई-कचरा) नीति	43	ब्याज दर नीति
13	धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति	44	वित्तीय समावेशन और व्यवसाय अनुरूप नीति
14	व्हिसल ब्लोअर नीति	45	समझौता निपटान नीति
15	अनुपालन नीति	46	"खरीद और अधिप्राप्ति नीति



16	मोबाइल बैंकिंग नीति	47	आईएनबी नीति
17	आउटसोर्सिंग नीति	48	परिसर किराया नीति
18	एसेट मैनेजमेंट हब फ्रेमवर्क नीति	49	रिकार्ड प्रतिधारण नीति
19	DEAF नीति	50	बैंकिंग लोकपाल नीति
20	परिसंपत्ति एवं देयता प्रबंधन नीति	51	नकद प्रबंधन नीति
21	आईसीएएपी नीति	52	वित्तीय शक्ति नीति का प्रत्यायोजन
22	समवर्ती लेखापरीक्षा नीति	53	शाखा भ्रमण नीति
23	आंतरिक लेखापरीक्षा नीति	54	चेक संग्रहण, अनादर और क्षतिपूर्ति नीति
24	प्रशिक्षण नीति	55	शाखाओं के सामान्य प्रबंधन के लिए नीति
25	स्थानांतरण नीति	56	सुरक्षित जमा लॉकर नीति
26	एनपीए प्रबंधन नीति	57	वकीलों के पैनल से हटाने की नीति
27	ऋण नीति	58	क्रेडिट सूचना कंपनी नीतियां
28	क्रेडिट जोखिम प्रबंधन नीति	59	बैंक जमा नीति
29	जोखिम प्रबंधन नीति	60	बीमा व्यवसाय नीति
30	चिकित्सा बीमा पॉलिसी	61	भुगतान और निपटान नीति
31	जांच एजेंसियों के पैनल पर नीति		

इन नीतियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के कामकाज के हर प्रमुख क्षेत्र में प्रभावी और सिद्ध प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हों। ये नीतियाँ परिचालन कर्मचारियों को नियामक आवश्यकताओं का पालन करने के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।

वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन के एक भाग के रूप में, बैंक ने 6 (छह) कॉर्पोरेट व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) के माध्यम से 1221 सीएसपी तैनात किए हैं। बैंक के लिए कार्यरत कॉर्पोरेट बीसी हैं: सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, ऑर्गनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट इंडीग्रेटेड सोशल एंड हेल्थ एक्शन (ओडिशा), एफआईए टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, समृद्धि इंकलूसिव ग्रोथ नेटवर्क (साइन), जीरो-मास प्राइवेट लिमिटेड (जेडएमपीएल) और ओडिशा आजीविका मिशन (ओएलएम)। ये 10887 गाँवों में बुनियादी बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करते हैं, जिनमें से 315 गाँवों की जनसंख्या 2000 और उससे अधिक है और शेष 10494 गाँवों की जनसंख्या 2000 से कम है।

सीएसपी हमारे सीबीएस प्लेटफॉर्म पर स्थित कियोस्क पर वास्तविक समय के आधार पर बैंकिंग लेनदेन करते हैं। बैंक मित्र पॉइंट्स पर निम्नलिखित बैंकिंग लेनदेन संभव हैं:

- बचत बैंक और आवर्ती जमा खाते खोलना
- नकद निकासी और जमा।
- ऋण खातों में जमा
- ईपीएस लेनदेन ऑन-अस और ऑफ-अस, वित्तीय और गैर-वित्तीय जैसे बैलेंस पूछताछ और मिनी-स्टेटमेंट।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई और एपीवाई में नामांकन।
- आईएमपीएस के माध्यम से धन प्रेषण।
- ऋण/सीसी खातों की बकाया राशि का संग्रहण और वसूली
- केसीसी/एसएचजी नवीनीकरण प्रस्तावों का स्रोत

कियोस्क पर सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन (एफआई) परिचालन लाभार्थियों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के सिद्धांत पर काम करता है और ऑनलाइन होता है, जो हमारे सीबीएस सर्वर पर तुरंत पहुंच जाता है, जिससे सीएसपी द्वारा किए गए लेनदेन को सीबीएस सर्वर में वास्तविक समय के आधार पर अद्यतन करने में सुविधा होती है।



जून-2022 से KIOSK कॉमन संस्करण के कार्यान्वयन के बाद, CIF आधारित खाता खोलना और लेनदेन बंद कर दिया गया है और केवल ई-केवाईसी और आधार आधारित लेनदेन के माध्यम से खाता खोलने की अनुमति है।

कुल बैंक लेनदेन की तुलना में सीएसपी पर किए गए लेनदेन का हिस्सा (%) निम्नलिखित है।

एसएल नं.	सीएसपी पर लेनदेन	कुल लेनदेन का %	
		2023-24	2024-25
1	नकद निकासी और जमा लेनदेन	0.07	0.07
2	ईपीएस-ओनस	11.85	12.16
3	ईपीएस- हमसे दूर	3.68	3.78
4	रुपे कार्ड से लेनदेन	0.01	0.01
5	कुल समग्र प्रतिशत.	3.63	3.59

वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक, बैंक मित्रों द्वारा खोले गए और रखे गए बचत खातों की संख्या 12,55,752 है, जिनमें CASA शेष ₹369.29 करोड़ रुपये है और बैंक मित्रों द्वारा खोले गए और रखे गए RD खातों की संख्या 1221 है, जिनमें शेष 0.53 करोड़ रुपये है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ (पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई)

पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई के तहत सभी पात्र ग्राहकों को जीवन और दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करने और पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई के तहत लक्ष्य हासिल करने के लिए वित्त वर्ष के दौरान "धरा श्रवण, धरा श्रवण 2.0, प्रारंभिक उपलब्धियाँ, शिशिर सारता। महत्वपूर्ण नवंबर और विजयी दिसंबर" नामक अभियान शुरू किया गया था।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पीएमजेजेबीवाई के तहत 159218 नए ग्राहकों को नामांकित किया है, जिससे कुल खातों की संख्या 409351 हो गई है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पीएमजेजेबीवाई के तहत ₹848.00 लाख रुपये के कुल 424 दावों का निपटारा किया गया।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पीएमएसबीवाई के अंतर्गत 298298 नए ग्राहकों को नामांकित किया है, जिससे कुल खातों की संख्या 1177202 हो गई है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पीएमएसबीवाई के अंतर्गत ₹177.00 लाख रुपये के कुल 89 दावों का निपटारा किया गया।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत 48647 नए ग्राहकों को नामांकित किया है, जिससे कुल खातों की संख्या 157230 हो गई है। हमारे बैंक को पीएफआरडीए द्वारा सितंबर 2024 के महीनों के लिए "विजेता बुधवार अभियान के अद्भुत योद्धा" पुरस्कार और नवंबर और दिसंबर 2024 के लिए क्रमशः "योद्धा" पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त, हमारे बैंक को पीएफआरडीए द्वारा "एपीवाई ट्रेडसेटर्स (05.06.2024-31.07.2024)", "एपीवाई अर्ली अचीवर्स (05.06.2024-30.09.2024)", "एपीवाई रिटायरमेंट रेवोल्यूशनरीज़ (05.08.2024-05.10.2024)", "एपीवाई मेगा माइलस्टोन अवार्ड विद एक्सेम्प्लरी माइलस्टोन (05.06.2024-05.10.2024)" और "एपीवाई ओलंपिक विद चैंपियन मेडल" पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। (20.11.2024-31.12.2024)" वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान।

वित्तीय साक्षरता सप्ताह (FLW)

हमारे बैंक ने 24 फरवरी से 28 मार्च 2025 तक "वित्तीय साक्षरता-महिला समृद्धि" विषय पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया, जो राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति 2020-2025 के समग्र रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप है। इस सप्ताह निम्नलिखित उप-विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- a) वित्तीय योजना b) बचत एवं जोखिम प्रबंधन c) विकास के लिए ऋण प्राप्त करना



शिविरों के दौरान ग्राहकों के बीच वित्तीय जागरूकता का संदेश फैलाने के लिए पैम्फलेट, ब्रोशर और बैनर के रूप में प्रचार सामग्री वितरित की गई।

स्वच्छ भारत अभियान

2024-25 का स्वच्छता अभियान, जिसे "सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को न्यूनतम करने के लिए विशेष अभियान 4.0" नाम दिया गया है, 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2024 तक मनाया गया, जिसमें हमारी अधिकांश शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालयों ने भाग लिया और लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक करने में एक बड़ी पहल के रूप में कार्य किया।

आधार नामांकन और अद्यतन केंद्र

हमारे बैंक ने यूआईडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, अपने ग्राहकों सहित आम जनता तक आधार नामांकन और अद्यतन सेवाएँ पहुँचाने के लिए 45 स्थानों पर, यानी शाखा नेटवर्क के 10% पर आधार नामांकन केंद्र खोले हैं। संशोधित यूआईडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने 30 सक्रिय केंद्रों में स्वयं के आधार किट स्थापित करके आउटसोर्सिंग से इन-हाउस मॉडल अपना लिया है; हालाँकि, ऑपरेटर्स को मौजूदा सेवा प्रदाता, मेसर्स ओडिशा से आउटसोर्स किया जाना जारी है।

ग्राहक मूल्य संवर्धन (सीवीई):

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस

हमारा बैंक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में नामांकित है, ताकि बैंक के ग्राहकों की जीवन बीमा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, वित्तीय समावेशन के एक भाग के रूप में, गैर-ब्याज आय अर्जित करने के अलावा। बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ₹28.37 करोड़ रुपये का नया व्यवसाय प्रीमियम (एनबीपी) जुटाया और 6.10 करोड़ रुपये का कमीशन अर्जित किया, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹19.87 करोड़ रुपये का एनबीपी और ₹4.05 करोड़ रुपये का कमीशन अर्जित किया।

एसबीआई जनरल इंश्योरेंस

हमने वित्तीय वर्ष 2016-17 से एसबीआई जनरल इंश्योरेंस बिज़नेस की शुरुआत एक कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में की है, जिसका उद्देश्य पात्र और इच्छुक ग्राहकों को बैंक द्वारा वित्तपोषित परिसंपत्तियों के बीमा के अलावा, समूह स्वास्थ्य बीमा योजना, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना पर केंद्रित बीमा उत्पादों का विपणन करना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ने ₹8.54 करोड़ रुपये का नया व्यवसाय प्रीमियम (एनबीपी) दर्ज किया और ₹4.27 करोड़ रुपये के एनबीपी के मुकाबले ₹0.72 करोड़ रुपये का कमीशन अर्जित किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹0.37 करोड़ रुपये का कमीशन अर्जित किया।

एसबीआई म्यूचुअल फंड

ग्राहकों को निवेश का एक वैकल्पिक माध्यम प्रदान करने के उद्देश्य से, बैंक ने 2018 से म्यूचुअल फंड के वितरक के रूप में कार्य करने हेतु एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ एक व्यवस्था की है। बैंक ने इस वित्त वर्ष के दौरान 4789 नए एसआईपी और ₹17.79 करोड़ का एकमुश्त कारोबार जुटाया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान 1494 नए एसआईपी और ₹2 करोड़ का एकमुश्त कारोबार हुआ था। बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹0.15 लाख की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹8.40 लाख का कमीशन अर्जित किया है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली आईटी

पहले बैंक ने निम्नलिखित आईटी सेवाएं क्रियान्वित की हैं, जो वर्तमान में सक्रिय हैं और चल रही हैं:

1. अपना डोमेन (ukgb.in) मेल
2. एप्स-आधार पे
3. आरटीजीएस और एनईएफटी
4. आईएमपीएस (शाखाओं और कियोस्क में तत्काल भुगतान सेवाएं)
5. माइक्रो एटीएम
6. डिजिटल खाता खोलना (वीडियो आधारित केवाईसी और इंस्टा खाता)
7. मिस्ट कॉल अलर्ट
8. स्वयं पासबुक कियोस्क



9. इंटरनेट बैंकिंग (बैंक के भीतर और बाहर फंड ट्रांसफर जिसमें एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस, ग्रीन पिन जनरेशन, सामाजिक सुरक्षा योजना पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई/एपीवाई नामांकन, ई-एसटीडीआर/टीडीआर/आरडी निर्माण, समयपूर्व बंद करना और ऑटो नवीनीकरण, ऑनलाइन एटीएम कार्ड अनुरोध, चेक बुक अनुरोध और चेक से संबंधित सेवाएं (भुगतान रोकें/रोक हटाएँ)
10. व्हाट्सएप बैंकिंग (शेष राशि पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट, खाता विवरण, शाखाओं का स्थान, ब्याज दर की जानकारी)
11. खाता एग्रीगेटर (एफआईपी और एफआईयू)
12. बीईपीजी (भारत ई-कॉमर्स पेमेंट गेटवे)
13. केसीसी-आईएसएस एकीकरण।
14. आधार वॉल्ट
15. ऋण उत्पत्ति प्रणाली (एलओएस)
16. परिसंपत्ति और देयता प्रबंधन (एएलएम)

बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नलिखित आईटी सेवाएं लागू की हैं:

कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड: कॉन्टैक्टलेस कार्ड एक क्रेडिट, डेबिट या प्रीपेड कार्ड होता है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) या नियर-फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) तकनीक का इस्तेमाल करके बिना रीडर में कार्ड डाले भुगतान करता है। भुगतान प्रक्रिया के लिए, कार्ड को कुछ सेकंड के लिए रीडर के पास रखना होता है। हमारा बैंक 04.07.2024 से कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड जारी कर रहा है।

भारत आधार सीडिंग इनेबलर (BASE) कार्यक्षमता:

यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा शुरू किया गया एक प्लेटफॉर्म है। यह मुख्य रूप से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) कार्यक्रमों के लिए, स्व-सेवा मोड में आधार सीडिंग और डी-सीडिंग गतिविधियों की सुविधा प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म नागरिकों को निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करता है:

- आधार सीडिंग का अनुरोध करें
- आधार सीडिंग को एक बैंक से दूसरे बैंक में स्थानांतरित करें
- सेवा की स्थिति जांचें
- आधार मैप की स्थिति और मैपिंग इतिहास देखें

इस पहल का उद्देश्य इन गतिविधियों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाकर प्रक्रिया को अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाना है। हमारा बैंक 08.10.2024 से BASE पर सक्रिय है, और हमारे ग्राहक BASE के माध्यम से स्वयं आधार लिंक/डिसीड कर सकते हैं।

प्रॉक्सी समाधान का कार्यान्वयन:

एक प्रॉक्सी सर्वर अपने ग्राहकों और उनके इच्छित सर्वरों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, और मध्यस्थ के रूप में सुरक्षा, कैशिंग आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए कार्य करता है। हमारे बैंक में दिनांक 27.12.2024 से प्रॉक्सी सेवा लागू की गई है ताकि हमारे ASP, C-Edge द्वारा प्रदान किए गए CBS शाखा नेटवर्क के माध्यम से तृतीय-पक्ष URL और बैंक के ईमेल समाधान तक पहुँचा जा सके। यह कार्यक्षमता हमारी शाखाओं को हमारे सुरक्षित CBS नेटवर्क के माध्यम से आवश्यक तृतीय-पक्ष वेबसाइटों और URL जैसे PMFBY (फसल बीमा), UIDAI, भूलेख, बैंकों के आउटलुक मेल आदि तक पहुँचने में सक्षम बनाती है।

मोबाइल बैंकिंग का कार्यान्वयन:

दिनांक 13.12.2024 को RBI से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, हमारे बैंक ने मोबाइल बैंकिंग लागू कर दी है और 18.01.2025 से यह सेवा उपलब्ध है। हमारा मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर "उत्कल मोबाइल बैंकिंग" के नाम से उपलब्ध है। अब हमारे ग्राहक NEFT/RTGS/IMPS जैसे विभिन्न माध्यमों से हमारे बैंक के भीतर या बाहर लेनदेन कर सकते हैं और नीचे दी गई विभिन्न सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं:

1. अपने खाते में इंटर बैंक मनी ट्रांसफर
2. इंटर बैंक मनी ट्रांसफर दूसरे के खाते में
3. अन्य खाते में अंतर बैंक धन हस्तांतरण
4. ऑनलाइन एफडी/आरडी खाता खोलना
5. एफडी/आरडी खातों का ऑनलाइन समयपूर्व बंद होना
6. एटीएम पिन जनरेशन
7. सामाजिक सुरक्षा नामांकन (जैसे PMJJBY, PMSBY और APY)
8. ऑनलाइन चेक बुक अनुरोध
9. ऑनलाइन चेक बुक संबंधी सेवाएं (चेक रद्द करना, चेक रोकना)
10. एटीएम चैनल और सीमा नियंत्रण
11. एटीएम कार्ड सक्रियण/निष्क्रियण और कार्ड ब्लॉकिंग



12. ऑनलाइन नामांकन

13. 15जी/15एच का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण

आईएनबी और मोबाइल बैंकिंग में बीबीपीएस एकीकरण:

भारत बिल भुगतान प्रणाली (भारत कनेक्ट) एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है जो बिल भुगतान सेवाएँ प्रदान करने वाले बैंकों और गैर-बैंकिंग संस्थाओं को विभिन्न बिलदाताओं से जोड़ता है। बीबीपीएस बिजली, मोबाइल, डीटीएच, गैस, पानी आदि जैसी विभिन्न श्रेणियों के बिल भुगतानों के लिए एक एकल, अंतर-संचालनीय प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। हमारे इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन अब बिलडेस्क (Indialdeas.com) के माध्यम से बीबीपीएस से जुड़े हैं और हमारे ग्राहक अब बिजली, मोबाइल, डीटीएच, गैस, पानी, क्रेडिट कार्ड आदि जैसी विभिन्न सेवाओं का भुगतान कर सकते हैं।

ईज़ग्रीव एप्लिकेशन: यह कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान हेतु एक एप्लिकेशन है जिसे बैंक की कर्मचारी शिकायत निवारण नीति के अनुरूप आंतरिक रूप से विकसित किया गया है। इस एप्लिकेशन में कर्मचारी स्वयं पंजीकरण करा सकते हैं और अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, जिन्हें “कर्मचारी शिकायत निवारण समिति” के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और जिनका नियमित अंतराल पर समाधान किया जाएगा और जानकारी भी उपलब्ध संबंधित कर्मचारी को प्रदान कराई जाएगी।

डीएलपी और आईआरएम Microsoft Outlook 365 मेल में :

डीएलपी (डेटा हानि निवारण) का उद्देश्य ईमेल के माध्यम से संवेदनशील जानकारी को संगठन के नियंत्रण से बाहर जाने से रोकना है। डीएलपी समाधान निर्धारित नियमों और नीतियों के आधार पर ईमेल सामग्री और अनुलग्नकों को संवेदनशील डेटा (जैसे, आधार, वित्तीय डेटा) के लिए स्कैन करते हैं। उल्लंघन का पता चलने पर, डीएलपी ईमेल को ब्लॉक करने, समीक्षा के लिए उसे अलग रखने या प्रेषक को चेतावनी देने जैसी कार्रवाई कर सकता है। ईमेल में डीएलपी का प्राथमिक लक्ष्य आकस्मिक या जानबूझकर डेटा लीक के जोखिम को कम करना है।

दूसरी ओर, सूचना अधिकार प्रबंधन (IRM) इस बात पर केंद्रित है कि प्राप्तकर्ता ईमेल भेजे जाने के बाद उसके और उसके अनुलग्नकों के साथ क्या कर सकते हैं। IRM समाधान ईमेल सामग्री पर स्थायी सुरक्षा लागू करते हैं, अनधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा अग्रेषित करने, प्रिंट करने, कॉपी करने या सहेजने जैसी गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं। अगर कोई ईमेल गलती से अग्रेषित भी हो जाता है, तो भी IRM यह सुनिश्चित करता है कि केवल इच्छित प्राप्तकर्ता ही ईमेल अग्रेषित करें।

सही अनुमतियों के साथ, बैंक जानकारी तक पहुँच सकता है और उसका इच्छित उपयोग कर सकता है। बैंक ने इस वित्तीय वर्ष में सभी 0365 ईमेल आईडी में डीएलपी और आईआरएम लागू किया है।

वेबकास: हमारे बैंक में वेबकास (वेब आधारित समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली) को सक्रिय कर दिया गया है। वेबकास एक वेब-आधारित अनुप्रयोग है और इसे बैंकों की संपूर्ण आंतरिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संचालित करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ओटीएमएस: हमारे बैंक में ओटीएमएस (ऑफसाइट ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम) को सक्रिय कर दिया गया है। यह एक वेब-आधारित समाधान है जो बैंक द्वारा निर्धारित कुछ व्यावसायिक नियमों के आधार पर विचलन और अपवाद उत्पन्न करता है। इसे सीबीएस में दैनिक संचालन के दौरान शाखाओं में किए गए संदिग्ध/संदेहास्पद लेनदेन की निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया है। शाखाओं द्वारा सभी अपवादों पर तुरंत ध्यान दिया जा रहा है।

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन: खाता और ग्राहक स्तर के व्यवहार की निगरानी करके भुगतान धोखाधड़ी या संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन अनुप्रयोग, हमारे बैंक में एटीएम/पीओएस के साथ-साथ आईएमपीएस चैनलों के लिए भी लागू किया गया है।

बैंक द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर, अपवाद लेनदेन की रिपोर्ट हमें मेल द्वारा दैनिक स्वचालित रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त हुई है, तथा एक अपवाद लेनदेन को अस्वीकार किया जा रहा है, यदि वह नियम के मानदंडों को पूरा करता है।

सूचना सुरक्षा:

बैंक अपनी सूचना प्रौद्योगिकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा को अत्यधिक महत्व देता है। बैंक ने सूचना सुरक्षा नीति और सूचना प्रौद्योगिकी नीति तैयार की है और बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद उसे लागू किया है। नीति के अनुसार, हमारे एप्लिकेशन सेवा प्रदाता मेसर्स सी-एच टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी परिसंपत्तियों की वार्षिक आधार पर एक बाहरी आईएस ऑडिट एजेंसी द्वारा सूचना सुरक्षा समीक्षा की जाती है। बैंक के नियंत्रक कार्यालयों का समय-समय पर बाहरी एजेंसी द्वारा सूचना सुरक्षा ऑडिट किया जाता है।

सीबीएस एप्लिकेशन में लॉगिन के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली सभी शाखाओं में लागू की गई है। इससे एप्लिकेशन में अनधिकृत व्यक्तियों के लॉगिन की संभावना समाप्त हो जाती है और किसी भी धोखाधड़ी या कदाचार के लिए जवाबदेही तय करने में भी मदद मिलती है।

इसके अलावा, बैंक ने सभी ईओएल (जीवन समाप्ति) प्रणालियों और डेस्कटॉप को नए खरीदे गए सिस्टम से बदल दिया है और सिस्टम सुरक्षा बढ़ाने के लिए, सभी शाखाओं और कार्यालयों में सभी डेस्कटॉप और सिस्टम में एक्टिव डायरेक्ट्री सर्विसेज (एडीएस) और एंटीवायरस लागू किया गया है।

शाखा कनेक्टिविटी उन्नयन: सीबीएस प्लेटफॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएन) पर कार्य करता है, जो वीसैट, 4जी, आरएफ और एसडी-डब्ल्यूएन जैसे विभिन्न वाहकों के माध्यम से प्रदान की गई कनेक्टिविटी पर कार्य करता है।



पिछले कुछ वर्षों में लेन-देन की मात्रा में वृद्धि के कारण, शाखाओं को तेज़ गति से लेन-देन करने में सक्षम बनाने के लिए, शाखा कनेक्टिविटी को 2 एमबीपीएस आरएफ तक उन्नत किया गया है। 31.03.2025 तक, 433 शाखाओं को 2 एमबीपीएस आरएफ/4जी/वीसेट कनेक्टिविटी में उन्नत किया जा चुका है। 31.03.2025 तक 405 शाखाओं में एसडी-डब्ल्यूएन लागू किया जा चुका है।

इसके अलावा, 31.03.2025 तक 433 शाखाओं को भी सर्वर रहित जावा अनुप्रयोग में स्थानांतरित कर दिया गया है।

सुरक्षा उपाय – सीसीटीवी और बर्गलर अलार्म सिस्टम

बढ़ती डकैती और शरारत की घटनाओं को देखते हुए, बैंक की संपत्तियों, ग्राहकों और कर्मचारियों की प्रभावी सुरक्षा के लिए भौतिक सुरक्षा प्रणालियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई हैं। बैंक ने अपनी सभी 433 शाखाओं में सीसीटीवी कैमरे, बर्गलर अलार्म और अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराए हैं।

ग्राहक सेवा और शिकायत प्रबंधन प्रणाली

शिकायतें हमारी गतिविधियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा और पुनर्विचार के लिए उपयोगी प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। किसी ग्राहक की वास्तविक शिकायत बैंक के लिए अपने कौशल और दक्षता को उन्नत करने का एक अवसर है। बैंक ने ग्राहकों की शिकायतों के निवारण और ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिकायत निवारण नीति लागू की है। बैंक ने शिकायतों के समय पर निपटान पर जोर दिया है और निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों का निपटान करने के लिए अनुवर्ती प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है। शाखाएँ ग्राहक बैठकें आयोजित कर रही हैं जहाँ उनके विचार और प्रतिक्रियाएँ ली जाती हैं ताकि आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें। संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक, जहाँ भी संभव हो, ग्राहक बैठकों में भाग ले रहे हैं। शिकायतों के निवारण और अनुपालन प्रस्तुत करने हेतु उनकी निगरानी की निम्नलिखित प्रणाली प्रचलन में है:

शिकायतों की प्रकृति	क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा स्तर पर प्रभारी अधिकारी	प्रधान कार्यालय स्तर पर
सामान्य शिकायतें (सतर्कता प्रकृति के अलावा)	शाखा प्रबंधक (बीआर स्तर पर) क्षेत्रीय प्रबंधक(आरओ स्तर पर)	मुख्य प्रबंधक (लेखा एवं अनुपालन) संबंधित नेटवर्क के महाप्रबंधक संबंधित नेटवर्क
सामान्य शिकायतें (सतर्कता प्रकृति)	-	महाप्रबंधक (सतर्कता) अध्यक्ष
बैंकिंग लोकपाल से शिकायतें	क्षेत्रीय प्रबंधक/शाखा प्रबंधक	विभागाध्यक्ष (लेखा एवं अनुपालन) महाप्रबंधक

प्राप्त शिकायतों की स्थिति को प्रत्येक बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष उनकी जानकारी एवं समीक्षा के लिए रखा जा रहा है। बोर्ड स्तर पर 'ग्राहक सेवा समिति' के नाम से एक उप-समिति गठित की गई है। इसके अतिरिक्त, शाखा स्तर, क्षेत्रीय कार्यालय स्तर और मुख्यालय स्तर पर ग्राहक सेवा स्थायी समितियाँ भी कार्यरत हैं। ग्राहक शिकायतें: 31.03.2025 तक की स्थिति

क्रमांक	विवरण	संख्या
1	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	0
2	वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	170
3	कुल शिकायतें	170
4	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	170
5	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	0

बैंकिंग लोकपाल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के लिए, महाप्रबंधक-1 को मुख्यालय में बैंक का "प्रमुख नोडल अधिकारी" नियुक्त किया गया है। वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल के माध्यम से/से प्राप्त शिकायतों की स्थिति इस प्रकार है:

क्रमांक	विवरण	संख्या
1	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	0
2	वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	45
3	कुल शिकायतें	45
4	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	45
5	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	0



व्हिसल ब्लोअर नीति: धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार या किसी अन्य कदाचार से संबंधित चिंताओं को उठाने के लिए एक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से व्हिसल ब्लोअर नीति भी लागू की गई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम:

बैंक ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को अक्षरशः क्रियान्वित किया है, जिसमें नागरिकों के लिए बैंक के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था निर्धारित की गई है, ताकि बैंक के विभिन्न पदाधिकारियों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा सके।


	सीपीएआईओ	सीपीआईओ	अपीलीय प्राधिकारी
शाखा	शाखा प्रबंधक	क्षेत्रीय प्रबंध कर्ता	महाप्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय	क्षेत्रीय प्रबंध कर्ता	महाप्रबंधक	अध्यक्ष
प्रधान कार्यालय	विभागाध्यक्ष (लेखा एवं अनुपालन)	महाप्रबंधक	अध्यक्ष

आरटीआई के तहत बैंक को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 43 आवेदन और 5 अपीलें प्राप्त हुईं, जिनका निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटारा कर दिया गया।

मानव संसाधन प्रबंधन

वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक, कर्मचारी और उनकी संरचना निम्नानुसार है:

वर्ग	कर्मचारियों की संख्या
अधिकारी ओएस-IV	5
अधिकारी ओएस-III	26
अधिकारी ओएस-II	261
अधिकारी ओएस-I	526
ग्राहक सेवा सहयोगी	611
कार्यालय सहायक	52
कुल	1481



वर्ष के दौरान, 56 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए, 86 कर्मचारियों ने त्यागपत्र दिया, 3 कर्मचारियों की सेवा समाप्त हो गई तथा 1 कर्मचारी को बैंक की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

भर्ती

भर्ती वर्ष 2024-25 के आधार पर, बैंक ने 2024-25 के दौरान 13 OS-II, 74 OS-1 और 119 CSA की नियुक्ति की है। हालाँकि, 8 CSA की नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर की गई थी।

प्रचार

2024-25 के दौरान, 45 सीएसए को अधिकारी स्केल-1, 40 अधिकारी स्केल-I को अधिकारी स्केल-11, 6 अधिकारी स्केल-II को अधिकारी स्केल-III और 1 अधिकारी स्केल-III को अधिकारी स्केल-IV में पदोन्नत किया गया।



प्रशिक्षण-कर्मचारी शिक्षण केंद्र (यूजीबीएलसी)

बैंक ने एक प्रशिक्षण नीति निर्धारित की थी, जो सभी स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण देने की परिकल्पना करती है, अधिकारियों के लिए कम से कम तीन साल में एक बार, सीएसए के लिए चार साल में एक बार और कार्यालय सहायकों के लिए पांच साल में एक बार। इस वर्ष 236 अधिकारियों को आरबीआई (भुवनेश्वर), बीआईआरडी (लखनऊ, मंगलुरु और कोलकाता), एसबीआईआरबी (हैदराबाद) जैसे बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों में महत्वपूर्ण विषयों जैसे एनएएमसीएबीएस एमएसएमई फाइनेंस, एसएमई, सीएफटी/एएमएल, ई-केवाईसी, निवारक सतर्कता, एनपीएस, जोखिम और वसूली, कानूनी पहलू, आरक्षण नीति, बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा क्रेडिट मूल्यांकन, बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताएं और नोट वापसी नियम आदि पर प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। 96 अधिकारियों (एससी/एसटी) और सीएसए (एससी/एसटी) को एसबीआईएलडी (गोपालपुर और राउरकेला) में प्री-प्रमोशनल प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। इसके अतिरिक्त बैंक के 279 स्टाफ सदस्यों के लिए आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है।

कर्मचारी कल्याण उपाय

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी

हमारे अधिकांश कर्मचारी युवा हैं और विभिन्न सरकारी कार्यों जैसे नकदी प्रेषण, वसूली के लिए क्षेत्रीय दौरे और इकाइयों का निरीक्षण, समीक्षा बैठकें आदि के लिए अक्सर सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं, और सड़क दुर्घटनाओं के जोखिम के साथ-साथ जीवन के लिए भी खतरा बने रहते हैं।

हमने कर्मचारियों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने और संगठन के प्रति निष्ठा बनाने के लिए निम्नलिखित बीमा राशि के साथ समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी ली है।

क्रमांक	चौखटा	बीमा – राशि (आरएस)
1.	अधिकारियों	₹10.00 लाख
2.	ग्राहक सेवा सहयोगी	₹5.00 लाख
3.	कार्यालय सहायक	₹3.00 लाख

अस्पताल में भर्ती होने के लिए चिकित्सा बीमा

सभी मौजूदा कर्मचारियों के लिए अस्पताल में भर्ती होने हेतु चिकित्सा बीमा का यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस द्वारा 01.04.2025 से नवीनीकरण कर दिया गया है। अधिकारियों के लिए यह कवरेज ₹4.00 लाख और ग्राहक सेवा सहयोगी एवं कार्यालय सहायक के लिए ₹3.00 लाख है।

ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण निधि

बैंक ने ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के संबंध में अनंतिम आवश्यकताओं का ध्यान रखा है। 31.03.2025 तक कुल राशि ग्रेच्युटी के लिए ₹69.80 करोड़ और अवकाश नकदीकरण के लिए ₹28.23 करोड़ है।

बैंक में पेंशन योजना

बैंक ने उत्कल ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 लागू किए हैं और उत्कल ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या 533 दिनांक 24.12.2018 द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 के लिए संशोधित पेंशन योजना, बोर्ड के अनुमोदन और निर्देशों के बाद, 01.11.1993 से हमारे बैंक में लागू की गई थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से, उनके पत्र संख्या एफ.सं. 8/4/2024-आरआरबी, दिनांक 03.10.2024 और एफ.सं. 8/20/2010-आरआरबी, दिनांक 03.10.2024 के अनुसार, यह राशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार, सभी पात्र पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों और नए पेंशनभोगियों को, 01.11.1993 से प्रभावी, पेंशन बकाया के 100% निपटान हेतु कुल ₹82.55 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। बैंक ने 25 लाख रुपये की बढ़ी हुई पेंशन देनदारी का परिशोधन कर दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र RB1/2024-25/127/DOR.ACC.REC. No.67/21.04.018/2024-25 दिनांक 20 मार्च, 2025 के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होकर, पांच वर्षों की अवधि में ₹82.55 करोड़ रुपये, कुल पेंशन देयता का 20% प्रत्येक वर्ष व्यय किया जाएगा।

वेतन पुनरीक्षण

बैंक ने 12वें बीपीएस वेतन संशोधन के लिए कुल ₹36.48 करोड़ का भुगतान किया है। वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या 8/1/2023-आरआरबी दिनांक 18.09.2024 के माध्यम से, हमारे बैंक के उन सभी कर्मचारियों को कंप्यूटर वेतन वृद्धि के कार्यान्वयन और अनुदान के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है, जो 01.11.1993 तक सेवारत या परिवीक्षाधीन थे। इस संबंध में, बकाया राशि के 100% निपटान हेतु कुल ₹33.38 करोड़ का भुगतान किया गया है।

औद्योगिक संबंध

प्रबंधन एवं अधिकारी संघ तथा कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों के कल्याण और व्यावसायिक विकास के लिए मिलकर काम किया है और नियमित समस्याओं का सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला है। वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण और मिलनसार कार्य वातावरण बना रहा।



अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारियों का कल्याण

बैंक ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण परिषद/संघ, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं और भर्ती, पदोन्नति आदि के सभी पहलुओं में वैधानिक आवश्यकताओं का पालन किया है। बैंक ने अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिए एक संपर्क अधिकारी और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए एक अन्य संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की है ताकि शिकायतों को उचित माध्यम से पहुँचाया जा सके। बैंक ने कर्मचारियों का मनोबल और प्रेरणा बनाए रखने के लिए सभी कदम उठाए हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर नीति

आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है तथा यह मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत है।

अनुग्रह राशि का भुगतान

बैंक ने भारत सरकार के अधिसूचना संख्या एफ.20/5/2003-आरआरबी दिनांक 9.6.2006 में निहित निर्देशों को क्रियान्वित किया है, जिसके अंतर्गत शोक संतप्त कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों तथा उन कर्मचारियों को भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के बदले अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है, जो बीमारी के कारण गंभीर रूप से बीमार हैं या चलने-फिरने में असमर्थ हैं।

अनुकम्पा नियुक्ति:

बैंक ने 26.02.2019 को आयोजित बैठक में बैंक के बोर्ड से अनुमोदन के बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए योजना को लागू किया है, नाबार्ड के निर्देशानुसार पत्र संख्या NB.IDD.RRB/1216/316//2018-19 दिनांक 09.01.2019 के अनुसार, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, डीएफएस पत्र एफ.सं.7/38/2014-आरआरबी दिनांक 31.12.2018 और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, पत्र संख्या एफ.सं.8/1/2023-आरआरबी दिनांक 4 अगस्त 2023 के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक के मृतक स्थायी कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य के लिए।

सतर्कता प्रशासन

चूंकि हमारा बैंक आकार में बढ़ रहा है और इसमें युवा तथा अनुभवहीन कार्यबल शामिल हो रहा है, इसलिए सतर्कता के साथ-साथ कर्मचारियों को सतर्क रहने के लिए जागरूक करना एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है।

हमारे बैंक में सतर्कता प्रशासन की व्यवस्था प्रायोजक बैंक की सक्रिय भागीदारी से उनके पत्र संख्या: A&S/RRB/SKJ/415 दिनांक 12 सितंबर 2017 के अनुसार और बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शुरू की गई है। बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, प्रायोजक बैंक के पत्र संख्या A&S/RRB/HD/424 दिनांक 29.01.2021 के अनुसार, 15.02.2021 से हमारे बैंक में संशोधित सतर्कता प्रशासन के कार्यान्वयन द्वारा इस व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। संशोधित सतर्कता प्रशासन के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO), DFS (वित्तीय सेवा विभाग) द्वारा नियुक्त और भारतीय स्टेट बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई में तैनात ACVO (अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी) के माध्यम से हमारे बैंक के सतर्कता प्रशासन की देखरेख कर रहे हैं। एसीवीओ हमारे बैंक की सतर्कता गतिविधियों की नियमित निगरानी कर रहा है और हमारे बैंक के सभी अधिकारियों और पुरस्कार कर्मचारियों के मामले में सीएफए, एफएसए और एसएसए (आवश्यकतानुसार) प्रदान कर रहा है। एसीवीओ निम्नलिखित सतर्कता गतिविधियों की भी निगरानी कर रहा है:

सतर्कता मामलों की लंबितता की समीक्षा (ii) शिकायत निवारण नीति और व्हिसल ब्लोअर नीति का कार्यान्वयन (iii) निवारक सतर्कता समिति (पीवीसी) की बैठकें (iv) सतर्कता विभाग के अधिकारियों द्वारा शाखाओं का नियमित निवारक सतर्कता दौरा, (v) कार्य रोटेशन (vi) अधिकारियों की वार्षिक संपत्ति रिटर्न प्रस्तुत करना, (vii) स्टाफ की जवाबदेही स्थिति की जांच (viii) अधिकारियों के लिए नियमित सतर्कता संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम, (ix) धोखाधड़ी की निगरानी और (x) अनुशासनात्मक मामलों के निपटान के लिए समयसीमा।

हमारे बैंक में सीवीओ (मुख्य सतर्कता अधिकारी) के पद को महाप्रबंधक (सतर्कता) के रूप में पुनः नामित किया गया है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह: बैंक ने प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं में 28 अक्टूबर से 03 नवंबर, 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) का आयोजन किया है।

बोर्ड

बैंक का बोर्ड किसके द्वारा गठित किया जाता है

- बैंक के अध्यक्ष
 - भारत सरकार द्वारा नियुक्त दो गैर-आधिकारिक निदेशक
 - भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड से एक-एक नामित निदेशक
 - प्रायोजक बैंक से दो नामित निदेशक
 - ओडिशा राज्य सरकार से दो नामित निदेशक।
- बैंक के अध्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में।

बोर्ड बैठक नियमों के अनुसार, बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम छह बार, यानी तिमाही में कम से कम एक बार होनी चाहिए। कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान, 06 बैठकें आयोजित की गईं। बोर्ड की एक बैठक में कार्य संचालन के लिए न्यूनतम चार गणपूर्ति आवश्यक है और गणपूर्ति के अभाव



में कोई भी बैठक स्थगित नहीं की गई। कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान बोर्ड की बैठकें 22.03.2024, 01.05.2024, 28.06.2024, 02.08.2024, 07.11.2024 और 30.12.2024 को आयोजित की गईं।

कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान बोर्ड बैठक में निदेशकों की उपस्थिति:-

Sl No.	निदेशक का नाम	पद का नाम	W.E.F.	आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
1	श्री आलेख चंद्र बेउरा*	बैंक के अध्यक्ष	17.09.2020	2	2
	श्री सूर्य कांटा दश		26.06.2024	4	4
2	गैर सरकारी निदेशक-रिक्त	-	-	-	-
3	गैर सरकारी निदेशक-रिक्त	-	-	-	-
4	श्री राहुल कांत	आरबीआई नामित निदेशक	15.05.2023	6	6
5	श्री कमलकान्त पटनायक	नाबार्ड नामित निदेशक	16.06.2022	6	6
6	श्री शैलेश चंद्र भट्ट	एसबीआई नामित निदेशक	07.12.2023	6	4
7	श्री प्रियदर्शन	एसबीआई नामित निदेशक	03.09.2021	6	6
8	श्री तारकांता भक्त	राज्य सरकार द्वारा नामित निदेशक	17.07.2020	6	6
9	राज्य सरकार नामांकित निदेशक-रिक्त	-	-	-	-

*चालू वित्त वर्ष के दौरान इन सदस्यों को बोर्ड में नए सदस्यों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

वर्ष के दौरान अधिकारियों के स्थानांतरण के कारण बोर्ड की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:- बैंक के अध्यक्ष श्री अलेखा चंद्र बेउरा के स्थान पर श्री सूर्यकांत दाश को नियुक्त किया गया है।

बैंक ने निवर्तमान निदेशक चेयरमैन श्री आलेख चंद्र बेउरा द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य मार्गदर्शन और सेवाओं को रिकॉर्ड में रखा।

स्वीकृतियाँ

बैंक का निदेशक मंडल उन ग्राहकों से प्राप्त निरंतर विश्वास और संरक्षण के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता है, जो हमेशा बैंक के साथ खड़े रहे हैं।

बोर्ड को प्रायोजक बैंक, भारत सरकार, ओडिशा सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, एनपीसीआई, यूआईडीएआई, पीएफआरडीए और अन्य वित्तीय संस्थानों और बैंकों के प्रति उनके समय-समय पर दिए गए अटूट और बहुमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

बोर्ड सभी जिला कलेक्टरों, डीआरडीए के परियोजना निदेशकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों को भी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता है। बोलांगीर, सुबर्नापुर, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, कालाहांडी, नुआपाड़ा, कंधमाल, बौध, कोरापुट, मल्कानगिरी, रायगड़ा, नबरंगपुर विभाग, ओडिशा के गजपति और गंजम जिलों के सभी प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं को उनके समर्थन और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। बोर्ड प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं, अर्थात् मेसर्स सी-एज टेक्नोलॉजीज, मुंबई और कॉर्पोरेट बिजनेस कॉन्सल्टेंट्स द्वारा प्रदान किए गए समर्थन और सेवाओं के लिए आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड, वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा समय पर पूरी करने में दिए गए सहयोग के लिए मेसर्स अगस्ती एंड एसोसिएट्स, बैंक के केंद्रीय सांविधिक लेखापरीक्षकों और अन्य सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है। बोर्ड बैंक के व्यापक प्रचार में सहयोग के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड बैंक के समग्र विकास में निभाई गई रचनात्मक भूमिका के लिए अधिकारी संघ, कर्मचारी संघ और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संघों को भी धन्यवाद देता है।

बोर्ड ने सभी प्रमुख मापदंडों में बैंक के समग्र प्रदर्शन के लिए प्रत्येक स्टाफ सदस्य द्वारा प्रदान की गई उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन, सहभागिता की भावना, स्वामित्व और समर्पित सेवाओं की भी सराहना की।

उत्कल ग्रामीण बैंक के निदेशक मंडल की ओर से

उत्कल ग्रामीण बैंक के निर्देशक मंडल की ओर से
(सूर्य कान्त दाश)
अध्यक्ष



वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा की रिपोर्ट

को,
सदस्य
उत्कल ग्रामीण बैंक
बोलांगीर

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

- हमने उत्कल ग्रामीण बैंक (बैंक) के वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक की बैलेंस शीट, लाभ-हानि विवरण, उस वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और वित्तीय विवरणों के नोट्स शामिल हैं, जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है, जिसमें उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए रिटर्न शामिल हैं। हमारे द्वारा लेखा-परीक्षण की गई 28 शाखाओं (एसएआरबी सहित) और प्रधान कार्यालय तथा अन्य शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षण की गई 226 शाखाओं का लेखा-परीक्षण किया गया है। हमारे द्वारा लेखा-परीक्षण की गई शाखाओं और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षण की गई शाखाओं का चयन बैंक द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एनएचएआई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

ग्रामीण विकास। बैलेंस शीट और लाभ-हानि विवरण में उन 179 शाखाओं के रिटर्न भी शामिल हैं जिनका ऑडिट नहीं हुआ है। इन गैर-लेखापरीक्षित शाखाओं में अग्रिम राशि का 24.54 प्रतिशत, जमा राशि का 29.69 प्रतिशत और ब्याज आय का 12.46 प्रतिशत हिस्सा है।

- हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं, जैसा कि बैंक के लिए अपेक्षित है, तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

- बैलेंस शीट के मामले में, 31 मार्च, 2025 तक बैंक की स्थिति:
- लाभ/हानि खाते के मामले में, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ का।

राय का आधार

हमने आईसीएएल द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसएएस) के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया। इन मानकों के अंतर्गत हमारी ज़िम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण हेतु लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व" अनुभाग में दिया गया है। यह लेखापरीक्षण भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और [क्षेत्राधिकार] में वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण हेतु प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं। हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को भी पूरा किया है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

पदार्थ का जोर

निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकृष्ट किया जाता है:

- जैसा कि वित्तीय विवरणों के अनुसूची 18 के लेखा नोट्स, पैरा 11-2(सी) में कहा गया है, पेंशन ट्रस्ट के खातों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, जो पुष्टि और समाधान का विषय है।
- जैसा कि वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 के नोट संख्या 12.5 में कहा गया है, ओडिशा सरकार, भारत सरकार और प्रायोजक बैंक, यानी एसबीएल के निरंतर सहयोग को देखते हुए, बैंक अपनी वित्तीय देनदारियों को समय पर पूरा करने में सक्षम है और आगे भी रहेगा। तदनुसार, बारिक ने अपने खातों को "गोइंग कंसर्न" के आधार पर तैयार किया है।

बैंक के परिचालन निष्पादन की पुष्टि करने वाले तथा आगामी धारणाओं की पुष्टि करने वाले विभिन्न संकेतकों का विवरण नीचे दिया गया है:

- ग्राहक आधार में वृद्धि
- व्यापार में वृद्धि
- वैधानिक आवश्यकता के अनुसार सीआरआर/एसएलआर का रखरखाव
- वित्तीय दायित्व को समय पर पूरा करने की क्षमता।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना no.CG CG-DL-E-07042025-262329, दिनांक 07.04.2025 के संदर्भ में, इंडियन ओवरसीज बैंक और उत्कल ग्रामीण बैंक द्वारा प्रायोजित ओडिशा ग्राम्य बैंक

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित इस बैंक को एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में समाभिलित किया जाएगा, जिसे ओडिशा ग्रामीण बैंक कहा जाएगा और इसका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा तथा इसका प्रायोजन इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा किया जाएगा, जो 1 मई, 2025 से प्रभावी होगा।

- 3) जैसा कि वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट संख्या 12 में बताया गया है, परिसंपत्तियों और देनदारियों की कुछ मदें समाधान हेतु लंबित हैं। इनका वर्ष-वार समाधान किया जा रहा है और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं। इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारियाँ

4. बैंक का प्रबंधन इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें आईसीएएल द्वारा जारी लेखांकन मानक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधान, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 और भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई?') और राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव,

लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक, जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले भौतिक गलत बयान से मुक्त होते हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन बैंक की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन बैंक को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ

5. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

6. लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों। उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिज़ाइन और निष्पादन करें। और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न भौतिक गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम error.as से उत्पन्न गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है। क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

रिपोर्ट करें कि शाखा स्तर पर लेखापरीक्षा, लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालने में सक्षम नहीं है और शाखा में प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो बैंक की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है।

वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, तथा यह भी कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

7. हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।
8. हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह भी बताते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और हम उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में बात करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर प्रभाव डालते हैं।
9. शासन के प्रभारी व्यक्तियों के साथ संप्रेषित मामलों में, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे।



अन्य मामला

हमने उन 179 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखा-परीक्षण नहीं किया, जिनका लेखा-परीक्षण नहीं हुआ है, लेकिन जो बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल हैं, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी उस date.as को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों में शामिल मानी गई है। 226 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखा-परीक्षण अन्य शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय में, जहाँ तक शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों का संबंध है, वे पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है;

ऐसे प्रकटीकरणों की सीमाओं के अधीन तथा उपरोक्त पैराग्राफों में दर्शाए गए लेखापरीक्षा के आधार पर, अनुसूची-17 और अनुसूची-18 में "महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों" और "खातों पर नोट्स" के साथ पठित, हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:

- हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;
- शाखा के जो लेन-देन हमारे संज्ञान में आए हैं, वे बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हैं।
- शाखा से प्राप्त रिटर्न हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त पाए गए हैं।

10. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

हमारी राय में, बैंक द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है और हमारे द्वारा न देखी गई शाखाओं से हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न प्राप्त हुए हैं।

इस रिपोर्ट में प्रस्तुत बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाता, लेखा पुस्तकों और उन शाखाओं से प्राप्त रिटर्न के अनुरूप हैं, जहां हम नहीं गए हैं।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमने उनका समुचित ढंग से निपटान किया है।

हमारी राय में, बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, सिवाय राय के आधार पैराग्राफ में वर्णित मामले के प्रभावों के और इस सीमा तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

स्थान: बोलांगीर दिनांक 29.04.2025	फर्म का नाम: अगस्ती एंड एसोसिएट्स खाता संख्या: 3130438E पता: 97, भोईनगर, भुवनेश्वर-751022	लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर नाम: बिश्वनाथ अगस्ती: सदस्यता संख्या: 051026 UDIN: 25051026BMOSEO1643
--------------------------------------	---	---

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 29.04.2025

स्वा/-
(बिश्वनाथ अगस्ती)
(पार्टनर)
सदस्यता संख्या. 051026
UDIN - 25051026BMOSEO1643



उत्कल ग्रामीण बैंक
मुख्य कार्यालय, बलांगीर (ओडिशा)
तुलन पत्र - 31 मार्च 2025

(रु. हजारों में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
इक्विटी और देयतायें			
शेयर पुंजी	1	1,68,30,873	1,68,30,873
बेमियादी बांड	1(A)	81,383	81,383
शेयर पुंजी जमा	1(B)	0	0
आरक्षित और अधिशेष	2	(-)1,00,26,773	(-)1,17,16,801
जमा	3	10,21,11,105	9,12,95,200
उधारी	4	51,15,445	55,91,798
अन्य देय और प्रावधान	5	32,37,638	31,23,841
कुल इक्विटी और देयतायें		11,73,49,671	10,52,06,294
आस्तियां			
नकदी व भारतीय रिजर्व			
बैंक में अवशेष	6	44,99,378	45,11,976
बैंको में अवशेष			
व मांग तथा स्वल्पबधि सुचना पर मांग	7	1,81,72,462	1,59,84,327
निवेश	8	3,38,44,877	3,84,76,586
अग्रिम	9	5,73,12,859	4,40,46,742
स्थिर आस्तियां	10	1,11,658	54,660
अन्य आस्तियां	11	34,08,437	21,32,003
कुल आस्तियां		11,73,49,671	10,52,06,294
प्रसंगिक देयताएँ	12	14,85,287	11,22,002
संग्रहण बिल	NIL	NIL	NIL
मुख्य लेखा विधेयक	17 & 18		

Sd/-
श्री सूर्य कांत दाश
चेयरमैन

Sd/-
श्री राहुल कांत
नामित निदेशक, आरबीआई

Sd/-
श्री कमलकांत पटनायक
नामित निदेशक, नाबाई

स्थान: बोलांगीर
दिनांक: 29.04.2025

के लिए अगस्ती एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 313043E

Sd/-
सीए बिश्वनाथ अगस्ती
पार्टनर (मो. नं.-051026)

Sd/-
श्री प्रियदर्शन नॉमिनी डायरेक्टर
एसबीआई



31 मार्च 2025 के अन्त तक के लाभ-हानि खाता का प्रपत्र

(रु. हजारों में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
I.आय			
अर्जित ब्याज	13	82,83,358	73,62,787
अन्य आय	14	9,11,651	8,14,482
योग		91,95,009	81,77,269
II.व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	42,81,805	37,43,714
परिचालन व्यय	16(A)	32,81,002	25,14,159
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	16(B)	(-)57,826	5,51,772
योग		75,04,981	68,09,645
III.लाभ/हानि		16,90,028	13,67,624
कर देने के पूर्व लाभ		16,90,028	13,67,624
कम : कर प्रावधान	0	0	
वित्त वर्ष के लिए आयकर प्रावधान		0	0
वित्त वर्ष के लिए टैक्स क्रेडिट पात्रता के लिए प्रावधान	0	-	-
कर अदायगी के बाद लाभ		16,90,028	13,67,624
अग्रणीत हानि		-1,17,16,801	-1,30,84,425
योग		-1,00,26,773	-1,17,16,801
आगे लाया गया शेष		-	-
कुल योग		-1,00,26,773	-1,17,16,801

Sd/-
श्री सूर्य कांत दाश
चेयरमैन

Sd/-
श्री राहुल कांत
नामित निदेशक, आरबीआई

Sd/-
श्री कमलकांत पटनायक
नामित निदेशक, नाबार्ड

स्थान: बोलांगीर
दिनांक: 29.04.2025

के लिए अगस्ती एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 313043E

Sd/-
सीए विश्वनाथ अगस्ती
पार्टनर (मो. नं.-051026)

Sd/-
श्री प्रियदर्शन नॉमिनी डायरेक्टर
एसबीआई



अनुसूची-1 : शेयर पूँजी

(रु. हजारों में)

		31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
I.	प्राधिकृत पुंजि (200,00,00,000 अंशधन, प्रत्येक `10/-)	2,00,00,000	2,00,00,000
II.	निगमित, अभिदत्त आहुत पुंजि (अंशधन, प्रत्येक `10/-)	1,68,30,873	1,65,36,883
	भारत सरकार (50%)	84,15,436	84,15,436
	भारतीय स्टेट बैंक (35%)	58,90,805	58,90,805
	ओडिशा सरकार (15%)	25,24,631	25,24,631
	योग	1,68,30,873	1,68,30,873
	कुल योग	1,68,30,873	1,68,30,873

अनुसूची - 1A : बेमियादी /स्थायी बांड

(रु. हजारों में)

		31.03.2025 तक	31.03.2025 तक
I.	बेमियादी /स्थायी बांड		
	भारतीय स्टेट बैंक	81,383	81,383
	योग	81,383	81,383

अनुसूची-1B : शेयर पूँजीजमा

(रु. हजारों में)

		31.03.2025 तक	31.03.2025 तक
	शेयर पूँजीजमा		
I.	भारत सरकार	0	0
II.	भारतीय स्टेट बैंक	0	0
III.	ओडिशा सरकार	0	0
	योग	0	0

अनुसूची - 2 आरक्षित और अतिरिक्त

(रु. हजारों में)

		31.03.2025 तक	31.03.2025 तक
I.	संबिधिक आरक्षित	0	0
II.	पुंजी आरक्षित	0	0
III.	समेकन पर आरक्षित पुंजी	0	0
IV.	अंश किस्त	0	0
	अन्य आरक्षित	0	0
V.	राजस्व तथा अन्य आरक्षित	(-)1,00,26,773	(-)1,17,16,801
VI.	लाभ तथा हानि खाताओं में शेष	0	0
	योग	(-)1,00,26,773	(-)1,00,26,773



अनुसूची-3 : जमा

(रु. हजारों में)

		31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
A.	भारत की शाखाओं में जमा		
I.	मांग जमा		
	i) बैंक से	0	0
	ii) अन्य से	12,13,541	10,74,114
II.	बचत बैंक से जमा	6,28,04,131	5,57,53,654
III.	मियादी जमा		
	i) बैंक से	0	0
	ii) अन्य से	3,80,93,433	3,44,67,432
	योग (I + II + III)	10,21,11,105	9,12,95,200
B. I.	भारत के बाहर शाखाओं में जमा	0	0
	योग (A + B)	10,21,11,105	9,12,95,200

अनुसूची-4 : उधार

(रु. हजारों में)

		31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
I.	भारत में उदार		
	i) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया	0	0
	ii) अन्य बैंक	0	0
	(प्रायोजक बैंक - स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया)	0	88,246
	iii) अन्य संस्था और एजेन्सियों से (नावार्ड)	51,10,000	55,00,000
	iv) एन.एस्.टि.एफ्.डि.सी	5,445	3,552
II.	भारत के बाहर उधार	0	0
	योग (I + II)	51,15,445	55,91,798
	सुरक्षित उधार (I और II में सम्मिलित)	51,15,445	55,91,798

अनुसूची-5 : अन्य दायित्व एवं प्रावधान

		31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
I.	देय बिल	26,620	30,001
II.	अन्त : कार्यालय समायोजन (निवल)	4,658	327
III.	उपचित ब्याज	26,11,930	26,49,040
IV.	अन्य	5,94,430	7,44,473
	योग	32,37,638	31,23,841



अनुसूची-5 (IV) : अन्य देयताओं का विवरण

(रु. हजारों में)

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
सब्सिडी आरक्षति निधि	25,774	27,830
विविध जमाएँ	0	0
विविध जमाएँ TDS -SYS -Credit	98,341	73,023
ग्रामीण पे आर्डर (GPO)	0	0
फसल बीमा राशि	0	0
स्रोत पर काटा गया कर	2,150	3,091
विविध लेनदार	0	6
चालु खाता 276 HO UGB Bolangir	0	0
प्रतिभुति जमा - जनता	4,035	3,834
विविध प्रावधान	20,104	7,543
मानक आस्तियां प्रावधान	1,78,112	1,35,224
पेंशन, उपदान, वेतन तथा छुट्टी नकदीकरण पर प्रावधान	0	3,22,000
आयकर के लिए प्रावधान	0	0
SD-अज्ञात नकद	0	0
SYS सस्पेन्स मूल क्रेडिट	0	0
अन्य सिस्टम सस्पेन्स	0	60
अन्य	2,65,914	1,71,862
कुल योग	5,94,430	7,44,473

अनुसूची-6 : भारतीय रिजर्व बैंक में नगदी एवं जमा

(रु. हजारों में)

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
I. हस्तस्थ नगदी (इस में विदेशी करेन्सी नोट सम्मिलित है (शून्य)	3,90,443	3,69,141
II. भारतीय रिजर्व बैंक में जमा		
i) चालु खाते में	41,08,935	41,42,835
ii) अन्य खातों में	0	0
योग (I + II)	44,99,378	45,11,976

अनुसूची - 7 बैंक में जमा और मांग पर तथा अल्प सुचना पर प्राप्त धन

(रु. हजारों में)

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
I. भारत में		
i) बैंकों में जमा		
a) चालु खातों में	3,59,960	64,325
b) अन्य जमा खातों में	1,78,12,502	1,59,20,002
ii) मांग पर तथा अल्प सुचना पर प्राप्त धन / स्वल्प मीयादी जमा		



	a) बैंकों में	0	0
	b) अन्य संस्थाओं में	0	0
	योग (i + ii)	1,81,72,462	1,59,84,327
II.	भारत के बाहर		
	i) चालु खातों में	0	0
	ii) अन्य जमा खातों में	0	0
	iii) मांग पर तथा अल्प सुचना पर प्राप्त धन	0	0
	योग (i + ii + iii)	0	0
	कुल योग (I + II)	1,81,72,462	1,59,84,327

अनुसूची-8 : निवेश

(रु. हजारों में)

		31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
I.	भारत में निवेश		
	i) सरकारी प्रतिभुतियाँ	3,38,14,877	3,84,45,107
	ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभुतियाँ	0	1,479
	iii) शेयर	0	0
	iv) डीवेंचर और बांड में	0	0
	v) एसोसिएट्स में निवेश	0	0
	vi) अन्य (विनिहिष्ट करों) एस्.बि.आई. एम्.एफ्	30,000	30,000
	योग (I+II)	3,38,44,877	3,84,76,586
II.	भारत के बाहर निवेश		
	i) सरकारी प्रतिभुतियाँ (स्थानीय संस्थाओं को मिला के)	0	0
	ii) एसोसिएट्स में निवेश	0	0
	iii) अन्य निवेश	0	0
	योग	0	0
	कुल योग (I + II)	3,38,44,877	3,84,76,586
III.	भारत में निवेश		
	i) निवेश का सकल मूल्य	3,38,44,877	3,84,76,586
	ii) घटोटियों का कुल प्रावधान	0	0
	iii) कुल निवेश	3,38,44,877	3,84,76,586
IV.	भारत के बाहर निवेश		
	i) निवेश का सकल मूल्य	0	0
	ii) घटोटियों का कुल प्रावधान	0	0
	iii) अन्य निवेश (विनिहिष्ट करों)	0	0



अनुसूची - 9 अग्रिम

(रु. हजारों में)

		31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
A.	i) क्रय किए गए और भुनाई गई बिल	0	0
	ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट नकद उधार, ओवरड्राफ्ट	3,34,43,034	2,67,73,699
	iii) मियादि ऋण	2,38,69,825	1,72,73,043
	योग	5,73,12,859	4,40,46,742
B.	i) मुर्त आस्तियों द्वारा सुरक्षित (बही ऋण के विरुद्ध अग्रिमों को मिला कर)	5,69,18,130	4,39,91,861
	ii) ए.डि.डब्ल्यू.डि आर् योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से पाने योग्य	3,32,307	0
	iii) असुरक्षित	62,422	54,881
	योग	5,73,12,859	4,40,46,742
C. I.	भारत में अग्रिम		
	i) प्राथमिकता क्षेत्र	4,25,07,329	3,36,03,259
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र	0	0
	iii) बैंक	0	0
	iv) अन्य	1,48,05,530	1,04,43,483
	योग	5,73,12,859	4,40,46,742
II.	भारत के बाहर अग्रिम		
	i) बैंको से देय	0	0
	ii) अन्य से देय	0	0
	a) खरीदी गई और भुनाई गई बिल	0	0
	b) सिण्डिकेटेड अग्रिम	0	0
	c) अन्य	0	0
	योग	0	0
	कुल योग (C. I + II)	5,73,12,859	4,40,46,742
	कुल अग्रिम	6,03,29,960	4,76,07,688
	अनार्जक अस्तियों पर प्रावधान	30,17,101	35,60,946
	शुद्ध अग्रिम	5,73,12,859	4,40,46,742



अनुसूची - 10 स्थिर आस्तियां

(रु. हजारों में)

		31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
I.	परिसर	0	0
	पुर्ववर्ती वर्ष 31 मार्च तक की लागत पर	0	8
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0	8
	अद्यतन में मूल्यहास	0	0
IA.	निर्माणाधीन परिसर	0	0
	योग	0	0
II.	अन्य स्थिर आस्तियां (फर्नीचर और फिक्सचर सहित)		
	पुर्ववर्ती वर्ष 31 मार्च तक की लागत पर	3,71,657	3,51,251
	SBI & NABARD से सहायता	0	0
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	83,911	20,408
	योग	4,55,568	3,71,659
	कुल योग (I+II)	4,55,568	3,71,659
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0	2
	अद्यतन में मूल्यहास	3,43,910	3,16,997
	शेष (W.D.V)	1,11,658	54,660
	कुल योग	1,11,658	54,660

अनुसूची-11 : अन्य आस्तियां

(रु. हजारों में)

		31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
I.	अन्तः कार्यालय समायोजन	0	0
II.	उपचित ब्याज	17,14,840	15,52,829
III.	प्रदत्त अग्रिम कर	5,299	5,299
IV.	लेखन सामग्री और स्टाम्प	2,615	4,450
V.	दावे के शोधन पर अधिगृहीत गैर-बैंकिंग आस्तियां	0	0
VI.	अन्य	16,85,683	5,69,425
	योग	34,08,437	21,32,003



अनुसूची-11(VI) : अन्य अस्तियों के विवरण

(रु. हजारों में)

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
उचंत अग्रिम	87	109
संचित हानि क. संचित हानि ख. सुरक्षित और अधिशेष समायोजित किया गया ग. टैक्स से पहले हानि घ. लाभ पर टैक्स (जोड़ें)	6,60,434	0
प्रणालीगत उचंत	0	0
NEFT	0	0
आयकर प्रावधान /दिया गया अग्रिम कर	0	0
टैक्स क्रेडिट पात्रता	0	0
अन्य	10,25,162	5,69,316
योग	16,85,683	5,69,425

अनुसूची-12 : आकस्मिक देयताएँ

(रु. हजारों में)

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
I. संघटकों की ओर से दी गई गारंटी		
a) भारत में	9,48,707	11,13,049
b) भारत के बाहर	0	0
II. DEAF खाते में आदावी जमा	5,36,580	8,953
योग	14,85,287	11,22,002

अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज

(रु. हजारों में)

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
I. (A) अग्रिमो पर ब्याज	45,42,892	37,06,581
(B) रियायती बिल पर छूट		0
II. निवेश से आय	26,80,786	29,05,464
III. भारतीय रिजर्व बैंक निधि में ब्याज तथा अन्य बैंक निधि में ब्याज	10,59,680	7,50,742
IV. अन्य : IBPC	0	0
योग	82,83,358	73,62,787



अनुसूची-14 : अन्य आय

(रु. हजारों में)

		31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
I.	कमीशन / विनिमय / दलाली	37,189	52,064
II.	निवेश के बिक्री से लाभ		
	घटाएँ : निवेश से बिक्री से हानि	0	0
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यायन से लाभ		
	घटाएँ : निवेश से पुनर्मूल्यायन से हानि (परिशोधन)	0	0
IV.	जमीन, मकान एवं अन्य आस्तियाँ बिक्री पर लाभ	0	0
	घटाएँ : जमीन, मकान एवं अन्य बिक्री पर हानि	0	0
V.	विनिमय कारोबार से लाभ		
	घटाएँ : विनिमय कारोबार से हानि	0	0
VI.	a) पट्टा वित्त आय	0	0
	b) पट्टा प्रबंधन शुल्क	0	0
	c) अतिदेय प्रभार	0	0
	d) पट्टा किराया कि प्राप्तियों पर ब्याज	0	0
VII.	अन्य आय	8,72,462	7,62,418
	योग	9,11,651	8,14,482

अनुसूची-15 : व्यय किया गया ब्याज

(रु. हजारों में)

		31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
I.	जमा पर व्याज	39,72,711	34,97,899
II.	भारतीय रिजर्व बैंक / अन्तः बैंक उधारों पर व्याज	3,09,094	2,45,815
	योग	42,81,805	37,43,714

अनुसूची - 16 (A) परिचालन व्यय

(रु. हजारों में)

		31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
I.	कर्मचारियों के भुगतान	25,94,154	17,36,245
II.	किराया, कर, बिजली	68,753	71,194
III.	मुद्रण और लेखन समाग्री	14,584	11,688
IV.	विज्ञापन और प्रचार	237	153
V.	बैंक संपत्ति पर अवक्षणय	29,913	14,565
VI.	निर्देशक की फीस, भत्ते और व्यय	0	0
VII.	लेखापरिक्षकों की फीस (शाखा लेखापरिक्षकों को मिलाकर)	3,500	3,263
VIII.	विधि प्रधार	3,730	2,461
IX.	डाक तार टेलीफोन आदि	6,999	7,034
X.	मरम्मत और अनुरक्षण	1,83,240	1,18,000
XI.	बीमा	1,07,008	87,794
XII.	अन्य व्यय	2,71,884	4,61,762
	योग	32,81,002	25,14,159



अनुसूची - 16 XIII : अन्य खर्चों का विवरण

(रु. हजारों में)

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
किताबें एवं पत्रिकाएँ	3,171	3,364
मनोरंजन व्यय	5	223
प्रशिक्षण / बैठक / सेमिनार	1,884	2,520
यात्रा भत्ता	9,227	10,357
पडाव भत्ता	17,592	12,561
वाहन किराया / ईंधन खर्च	18,116	18,411
समाशोधन गृह	0	0
डाटा प्रविष्टि खर्च	0	0
विविध खर्च	2,21,889	4,14,326
योग	2,71,884	4,61,762

अनुसूची - 16 (B) : प्रावधान

(रु. हजारों में)

प्रावधानों का विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
मानक आस्तियों पर प्रावधान	42,887	37,562
अशौध्य कर्ज पर प्रावधान	(-),14,875	2,08,338
बिबिध प्रावधान	14,858	(-),4,952
अवकाश की देयता पर प्रावधान	(-),696	1,262
वेतन पर प्रावधान	0	(-),12,438
उपदान पर प्रावधान	0	2,72,000
पेन्शन पर प्रावधान	0	50,000
योग	(-),57,826	5,51,772



उत्कल ग्रामीण बैंक

मुख्य कार्यालय, बलांगीर (ओडिशा)

अनुसूची - 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

A. पृष्ठभूमि:

भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार द्वारा 01.11.2012 को जारी भारत के राजपत्र में प्रकाशित अपनी अधिसूचना संख्या एफ संख्या 1/1/2012 आरआरबी दिनांक 01.11.2012 के माध्यम से दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों अर्थात् “ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक” और “उत्कल ग्राम्य बैंक” को “उत्कल ग्रामीण बैंक” नामक एक नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में समाहित करने का निर्देश दिया।

उत्कल ग्रामीण बैंक (यूजीबी या बैंक) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित एक अनुसूचित बैंक है, जो व्यक्तियों, वाणिज्यिक उद्यमों, निगमों, सार्वजनिक निकायों और ग्राहकों को उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 द्वारा शासित है।

B. तैयारी का आधार:

बैंक के वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत, चालू व्यवसाय के आधार पर, जब तक अन्यथा न कहा जाए, तैयार किए जाते हैं और सभी भौतिक पहलुओं में भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएपी) के अनुरूप होते हैं, जिसमें लागू वैधानिक प्रावधान, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) / भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित नियामक मानदंड / दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 और उसके संशोधन और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक, और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं।

C. अनुमानों का उपयोग:

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की रिपोर्ट की गई राशि और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई आय और व्यय के आधार पर अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं और वित्तीय विवरणों की तिथि पर प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के प्रबंधन के मूल्यांकन पर आधारित हैं। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/वास्तविक होते हैं।

D. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:

1. राजस्व मान्यता:

- आय का लेखा उपार्जन आधार पर किया जाता है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।
- ब्याज आय को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है क्योंकि
- गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) से होने वाली आय को छोड़कर, जिसमें अग्रिम और निवेश शामिल हैं, जहां राजस्व मान्यता को आरबीआई/नाबार्ड या अन्य नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अंतिम संग्रह की अनिश्चितता को दूर करने तक स्थगित कर दिया जाता है।
- अंकित मूल्य पर छूट पर प्राप्त “परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)” श्रेणी में ब्याज वाले निवेशों पर आय (ब्याज के अलावा) केवल बिक्री/मोचन के समय ही पहचानी जाती है। वाद दायर खालों के मामले में, किए गए कानूनी और अन्य व्यय को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है और ऐसे व्यय की वसूली के समय उसे आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।
- कमीशन/विनिमय/शुल्क आय और लॉकर किराया प्राप्ति के आधार पर मान्यता प्राप्त है।
- अतिदेय सावधि जमा पर ब्याज का हिसाब नवीकरण के आधार पर लगाया जाता है।

2. निवेश

- सभी प्रतिभूतियों में लेनदेन “निपटान तिथि” पर दर्ज किए जाते हैं।
- भारत में निवेश एसएलआर और गैर-एसएलआर दोनों प्रतिभूतियों में किया गया है और इन्हें आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)।
- वे निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक धारण करने का इरादा रखता है, उन्हें “परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)” के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वे निवेश जो खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर मुख्यतः पुनर्विक्रय के लिए धारण किए जाते हैं, उन्हें “व्यापार हेतु धारित (एचएफटी)” के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वे निवेश, जो उपरोक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं हैं, उन्हें “बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस)” के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- किसी निवेश को उसकी खरीद के समय एचटीएम, एचएफटी या एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में श्रेणियों के बीच स्थानांतरण नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है।



e) एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत एसएलआर प्रतिभूतियाँ निर्धारित सीमा अर्थात एनडीटीएल के 18.00% के भीतर हैं। एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश का लेखा अधिग्रहण लागत पर किया गया है, जब तक कि यह अंकित मूल्य से अधिक न हो, ऐसी स्थिति में प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता तक शेष अवधि में किया गया है। इसमें परिशोधित राशि अनुसूची 13-अर्जित ब्याज: मद II निवेश पर आय में कटौती के रूप में दर्शाई गई है।

f) एफएस और एचएफटी श्रेणियों के अंतर्गत रखे गए निवेशों का व्यक्तिगत रूप से बाजार मूल्य या नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित उचित मूल्य पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रत्येक समूह के केवल शुद्ध मूल्यहास (अर्थात (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, (iii) शेयर, (iv) बांड और डिबेंचर, (v) सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम और (vi) अन्य) के लिए प्रावधान किया जाता है और शुद्ध मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मूल्यहास के प्रावधान पर, व्यक्तिगत प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार में चिह्नित होने के बाद अपरिवर्तित रहता है।

g) निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

3. ऋण या अग्रिम और उस पर प्रावधान:

3.1 नाबार्ड और आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों/निर्देशों के आधार पर, ऋणों और अग्रिमों को निष्पादित (मानक) और गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऋण परिसंपत्तियाँ गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन जाती हैं जहाँ:

कृषि अग्रिमों के संबंध में:

- अल्पावधि फसलों के लिए, जहाँ मूलधन या ब्याज की किस्त दो फसल मौसमों के लिए अतिदेय रहती है और
- लंबी अवधि की फसलों के लिए, जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहता है।

गैर कृषि अग्रिमों के संबंध में:

- सावधि ऋणों के संबंध में, ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है।
- ओवरड्राफ्ट या नकद ऋण अग्रिम के संबंध में, खाता “आउट ऑफ ऑर्डर” रहता है, अर्थात यदि बकाया राशि स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति से लगातार 90 दिनों की अवधि तक अधिक हो जाती है, या यदि बैलेंस शीट की तिथि पर लगातार 90 दिनों तक कोई क्रेडिट नहीं होता है, या यदि क्रेडिट उसी अवधि के दौरान डेबिट किए गए ब्याज को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आरबीआई द्वारा निर्धारित मौजूदा दिशानिर्देशों/निर्देशों के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधान किए जाते हैं:

3.2 एनपीए को आरबीआई द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर उप-मानक परिसंपत्तियों, संदिग्ध परिसंपत्तियों और हानि परिसंपत्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

अवमानक: वह ऋण परिसंपत्ति जो 12 महीने या उससे कम अवधि तक गैर-निष्पादित बनी रही हो।

संदिग्ध: एक ऋण परिसंपत्ति जो 12 महीने की अवधि के लिए उप-मानक श्रेणी में बनी हुई है।

हानि: एक ऋण परिसंपत्ति जिसमें हानि की पहचान की गई है, लेकिन राशि को पूरी तरह से बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

3.3 अग्रिमों पर प्रावधान निम्नानुसार किए गए हैं:

I. मानक परिसंपत्तियाँ:

मानक परिसंपत्तियों के लिए सामान्य प्रावधान निम्नलिखित दरों पर:

a. कृषि, व्यक्तिगत आवास और एसएमई क्षेत्र को 0.25% की दर से प्रत्यक्ष अग्रिम	0.25%
b. वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्र	1.00%
c. वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्र (आवासीय आवास क्षेत्र)	0.75%
d. उपरोक्त (क), (ख) और (ग) में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी	0.40%

II. अव-मानक परिसंपत्तियाँ:

निम्न दरों पर उप-मानक परिसंपत्तियों के लिए सामान्य प्रावधान:

ऋण परिसंपत्ति जो 12 महीने से कम या उसके बराबर अवधि के लिए गैर-निष्पादित बनी हुई है, एक उप-मानक परिसंपत्ति है	कुल बकायापर 15%
उन जोखिमों के लिए अतिरिक्त प्रावधान जो आरंभ से ही असुरक्षित हैं (अर्थात जहाँ प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य आरंभ से 10% से अधिक नहीं है)।	10%

III. संदिग्ध संपत्तियाँ:

एक ऋण परिसंपत्ति जो 12 महीने की अवधि के लिए उप मानक श्रेणी में बनी हुई है संदिग्ध परिसंपत्ति है

सुरक्षित भाग	एक वर्ष तक: 25%
	एक से तीन वर्ष: 40%
	तीन वर्ष से अधिक: 100%
असुरक्षित भाग	100%



IV. हानि संपत्तियां:

एक ऋण परिसंपत्ति जिसमें हानि की पहचान की गई है, लेकिन राशि को पूरी तरह से बट्टे खाते में नहीं डाला गया है, वह हानि परिसंपत्ति है। बकाया अग्रिमों पर 100% प्रावधान।

3.4 अग्रिम राशि में विशिष्ट ऋण हानि प्रावधान, अप्राप्त ब्याज, प्राप्त ईसीजीसी दावे, तथा पुनर्कटौती किए गए बिल शामिल नहीं हैं।

3.5 एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, यदि कोई खाता नियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप है तो उसे निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है।

3.6 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के विरुद्ध वसूल की गई राशि को वसूली के वर्ष में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

3.7 एनपीए पर विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त, आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मानक परिसंपत्तियों के लिए भी सामान्य प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान बैलेंस शीट की अनुसूची 5 में दर्शाए गए हैं और शुद्ध एनपीए की गणना के लिए इन पर विचार नहीं किया जाता है।

3.8 एनपीए पर वसूले गए ब्याज को आय खाते में लिया जाता है, बशर्ते कि ब्याज के लिए खातों में जमा राशि संबंधित उधारकर्ता को स्वीकृत नई/अतिरिक्त ऋण सुविधाओं से बाहर न हो।

3.9 बैंक के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार एनपीए अर्थात मूलधन या देय ब्याज की वसूली का विनियोजन निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है।

- प्रभार
- अप्राप्त ब्याज/ब्याज
- प्रधानाचार्य

4. अस्थायी प्रावधान:

बैंक अग्रिमों, निवेशों और सामान्य उद्देश्यों के लिए अलग से अस्थायी प्रावधानों के सृजन और उपयोग हेतु नीति बना सकता है। सृजन हेतु अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का आकलन वित्तीय वर्ष के अंत में किया जा सकता है। निदेशक मंडल की पूर्व अनुमति से, नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में केवल आकस्मिकताओं के लिए ही अस्थायी प्रावधानों का उपयोग किया जा सकता है।

अचल संपत्तियां, मूल्यहास और परिशोधन:

5.1 स्थायी परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत में से संचित मूल्यहास घटाकर रखा जाता है।

5.2 लागत में खरीद की लागत और साइट की तैयारी, स्थापना लागत और उपयोग में आने से पहले परिसंपत्ति पर होने वाले पेशेवर शुल्क जैसे सभी व्यय शामिल हैं। उपयोग में आने वाली परिसंपत्तियों पर बाद में होने वाले व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इससे ऐसी परिसंपत्तियों से भविष्य में होने वाले लाभ या उनकी कार्यशील क्षमता में वृद्धि हो।

5.3 नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अचल संपत्तियों पर मूल्यहास SLM पद्धति से लगाया जाएगा। नई पद्धति के अंतर्गत, मूल्यहास उपयोग में लाए गए दिनों की संख्या के आधार पर आनुपातिक आधार पर लगाया गया है। मूल्यहास के अंतिम वर्ष में, पुस्तकों में ₹1.00 (केवल ₹1) का बही मूल्य छोड़ा जाएगा, अर्थात किसी भी संपत्ति का बही मूल्य किसी भी समय शून्य नहीं होगा जब तक कि उसे बैंक द्वारा त्याग न दिया जाए। जहाँ किसी संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन में संशोधन होता है, वहाँ मूल्यहास योग्य राशि संशोधित शेष उपयोगी जीवन पर लगाई जानी चाहिए।

5.4 परिसंपत्तियों पर मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति पर निम्नलिखित दरों पर लगाया जाता है:

अचल संपत्तियों का विवरण	मूल्यहास दर
परिसर	1.67%
फर्नीचर, विद्युत फिटिंग के अलावा अन्य फिक्सचर	10.0%
विद्युत फिटिंग स्थिरता	10.00%
कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल फिटिंग	20.00%
सुरक्षित लॉकर, स्ट्रॉंग रूम के दरवाजे	5.00%
इंजन कार	20.00%
कंप्यूटर	33.33%
यूपीएस बैटरी नेटवर्क केबलिंग	33.33%
सॉफ्टवेयर सी.बी.एस	33.33%
वातानुकूलित तंत्र	12.50%



प्लांट मशीनरी 10	10.00%
प्लांट मशीनरी 2 12.5	12.50%
प्लांट मशीनरी 4 33.33	33.33%
सर्वर	25.00%
नेटवर्क केबलिंग	20.00%

5.5 वर्ष के दौरान अर्जित अचल परिसंपत्तियों के संबंध में, वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों के उपयोग में लाए गए दिनों की संख्या के अनुपातिक आधार पर मूल्यहास लगाया जाता है।

6. कर्मचारी लाभ:

a. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ:

अल्पावधि कर्मचारी लाभों की छूट रहित राशि, जैसे चिकित्सा लाभ, समापन भत्ता आदि, जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान किए जाने की उम्मीद है, उस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त होती है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है।

b. दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

i. ग्रेच्युटी: बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी लाभ प्रदान करता है। यह लाभ निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, या नौकरी के दौरान मृत्यु, या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त भुगतान के रूप में दिया जाता है, जो सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के बराबर होता है, जो वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन है। बैंक ट्रस्टियों द्वारा प्रशासित एक निधि में आवधिक अंशदान करता है, जो वार्षिक रूप से किए गए एक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित होता है।

ii. पेंशन: आदर्श पेंशन योजना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 को हमारे बैंक में 01.04.2018 से प्रभावी रूप से बोर्ड की मंजूरी के बाद लागू किया गया, जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदन के आधार पर, नाबार्ड के माध्यम से हमें पत्र संख्या एनबी.आईडीडी/344/316 (पेंशन)/2018-19 दिनांक 23 अक्टूबर, 2018 के माध्यम से प्राप्त हुआ, जो कि 2012 की एसएलपी संख्या 39288 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 25 अप्रैल, 2018 के अनुपालन में है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 के लिए संशोधित पेंशन योजना हमारे बैंक में दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी रूप से लागू की गई।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के बोर्ड अनुमोदन और निर्देशों के बाद, उनके पत्र संख्या एफ.सं. 8/4/2024-आरआरबी, दिनांक 03.10.2024 और एफ.सं. 8/20/2010-आरआरबी, दिनांक 03.10.2024 के अनुसार, 01.11.1993 को पेंशन बकाया राशि का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की सलाह के अनुसार, सभी पात्र पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01.11.1993 से पेंशन बकाया राशि का 100% भुगतान कर दिया गया है।

iii. अवकाश नकदीकरण: बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण लाभ प्रदान करता है। यह लाभ निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, सेवाकाल के दौरान मृत्यु, या वीआरएस, त्यागपत्र जैसी अन्य निर्दिष्ट परिस्थितियों में, नियमों के अनुसार, एकमुश्त भुगतान किया जाता है। निहितीकरण बैंक की नीतियों के अनुसार विभिन्न चरणों में होता है। बैंक, देनदारियों की पर्याप्तता और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, प्रतिवर्ष किए जाने वाले एक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, एक निधि में आवधिक अंशदान करता है।

C. परिभाषित अंशदान योजनाएं जैसे कि भविष्य निधि, एनपीएस आदि को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है तथा प्रोद्भवन आधार पर लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

7. आय पर कर: आयकर व्यय बैंक द्वारा वहन किए गए वर्तमान कर और आस्थगित कर व्यय की कुल राशि है। वर्तमान कर व्यय और आस्थगित कर व्यय क्रमशः आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और लेखा मानक 22 "आयकर लेखांकन" के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं और ये भारत में प्रचलित कर कानूनों पर आधारित होते हैं। आस्थगित कर समायोजन में वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्तियों या देनदारियों में हुए परिवर्तन शामिल होते हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू वर्ष के लिए कर योग्य आय और लेखा आय के बीच समय के अंतर के प्रभाव और आगे ले जाने वाली हानियों पर विचार करके पहचाना जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का मापन कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके किया जाता है जो बैलेंस शीट तिथि पर लागू या मूल रूप से लागू हो चुके हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तनों के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में पहचाना जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पहचाना और पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जो प्रबंधन के इस निर्णय पर आधारित होता है कि क्या उनकी प्राप्ति यथोचित रूप से निश्चित मानी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अनवशोषित मूल्यहास और कर हानियों को आगे ले जाने पर तभी पहचाना जाता है जब इस बात की लगभग निश्चितता है कि इस प्रकार की स्थगित कर परिसंपत्तियों को भविष्य के लाभ के विरुद्ध वसूल किया जा सकता है, तथा इसके लिए ठीस सबूत मौजूद हैं।



8. आकस्मिक देयताएं एवं प्रावधान:

8.1 AS - 29 के अनुरूप, बैंक प्रावधानों को केवल तभी मान्यता देता है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप उसका वर्तमान दायित्व हो और जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का संभावित बहिर्वाह हो, दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक होगा, और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो।

8.2 इसके लिए कोई प्रावधान नहीं माना गया है।

I. कोई भी संभावित दायित्व जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होता है और जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न घटित होने से ही पुष्टि होगा जो पूरी तरह से बैंक के नियंत्रण में नहीं है।

II. कोई भी वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि

a. यह संभव नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या

b. दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देनदारियों के रूप में दर्ज किया जाता है। इनका मूल्यांकन नियमित अंतराल पर किया जाता है और दायित्व के केवल उस हिस्से के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्वाह संभावित हो, सिवाय उन अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों के जहाँ कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

III. आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है।

9. नकदी और नकदी समतुल्य: नकदी और नकदी समतुल्य में आरबीआई के पास नकदी और शेष, बैंकों के पास शेष और मांग और अल्प सूचना पर धन शामिल हैं।

Sd/-

श्री सूर्य कांत दाश
चेयरमैन

के लिए अगस्ती एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 313043E

Sd/-

श्री राहुल कांत
नामित निदेशक, आरबीआई

Sd/-

सीए बिश्वनाथ अगस्ती
पार्टनर (मो. नं.-051026)

Sd/-

श्री कमलकांत पटनायक
नामित निदेशक, नाबार्ड

Sd/-

श्री प्रियदर्शन नॉमिनी डायरेक्टर
एसबीआई

स्थान: बोलांगीर

दिनांक: 29.04.2025



अनुसूची - 18 लेखा सम्बन्धि टिप्पणियां

1. नियामक पूँजी

क) नियामक पूँजी की संरचना:

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी	68041.00	51140.72
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी	-	-
iii)	टियर 1 पूँजी (i+i)	68041.00	51140.72
iv)	टियर 2 पूँजी	2594.95	2166.07
v)	कुल पूँजी (टियर 1+टियर 2)	70635.94	53306.79
vi)	कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ (RWA)	561430.44	430992.51
vii)	CET 1 अनुपात (%) (RWAS के प्रतिशत के रूप में CET 1)	12.12%	11.87%
viii)	टियर 1 अनुपात (RWAS के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूँजी)	12.12%	11.87%
ix)	टियर 2 अनुपात (RWAS के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूँजी)	0.46%	0.50%
x)	जोखिम भारित परिसंपत्तियों के लिए पूँजी अनुपात (CRAR) (RWA के प्रतिशत के रूप में कुल पूँजी)	12.58%	12.37%
xi)	लीवरेज अनुपात	4.36%	5.31%
xii)	लीवरेज अनुपात शेयरधारिता का प्रतिशत		
	क) भारत सरकार	50%	50%
	ख) ओडिशा सरकार	15%	15%
	प्रायोजक बैंक (एसबीआई)	35%	35%
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूँजी की राशि	-	2939.90

ख) आरक्षित निधि से निकासी: बैंक ने इस चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वैधानिक और सामान्य आरक्षित निधि से कोई राशि नहीं काली है।

i) शेयर पूँजी

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में संशोधन के संबंध में, 12 मई, 2015 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, बैंक की अधिकृत पूँजी 4 फरवरी 2016 से बढ़ाकर दो हजार करोड़ रुपये कर दी गई है, जो दस रुपये प्रति शेयर के दो सौ करोड़ पूर्ण चुकता शेयरों में विभाजित है। शेयर पूँजी में भारत सरकार, प्रायोजक बैंक और ओडिशा सरकार द्वारा 50:35:15 के अनुपात में निम्नलिखित शेयरों में अभिदान शामिल है:

(राशियाँ)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
अधिकृत पूँजी		
(200,00,00,000 शेयर, प्रत्येक 10 रुपये मूल्य के)	2000,00,00,000	2000,00,00,000
जारी, अभिदानित और चुकता शेयर पूँजी		
भारत सरकार (841543639 शेयर, प्रत्येक 10 रुपये मूल्य के)	841,54,36,390	841,54,36,390
भारतीय स्टेट बैंक (589080547 शेयर, प्रत्येक ₹10/-) ओडिशा सरकार	589,08,05,470	589,08,05,470
ओडिशा सरकार (252463092 शेयर, प्रत्येक ₹10/-) कुल	251,46,30,920	251,46,30,920
कुल	1683,08,72,780	1683,08,72,780



ii) सतत बांड:

सीबीएस के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, बैंक ने कुल 16,27,65,784/- रुपये का व्यय किया है, जिसमें से प्रायोजक बैंक का 50% हिस्सा 8,13,82,892/- रुपये है। उपरोक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 08.01.2016 को सतत बांड के रूप में प्रदान की गई है। अतः यह राशि देनदारियों के अंतर्गत "सतत बांड" शीर्षक के अंतर्गत लेखा पुस्तकों में दर्शाई गई है।

iii) इस वित्तीय वर्ष में 169.00 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित करने के कारण बैंक का नेटवर्थ बढ़कर 68041.00 लाख रुपये (पिछले वित्तीय वर्ष का नेटवर्थ 51140.72 लाख रुपये) हो गया है।

2. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन:

क) परिसंपत्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता पैटर्न:

(राशि करोड़ में)

विवरण	1-14 दिन	15-28 दिन	29 दिन से 3 महीने	3 महीने से अधिक 3 और 6 महीने तक	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा	244.97	213.88	934.58	1345.02	3049.84	3826.42	325.87	270.52	10211.11
अग्रिम	569.63	30.57	214.48	715.27	1511.42	971.47	651.48	1067.05	5731.37
निवेश	0	0	46.32	15.47	150.21	595.49	1459.91	1117.09	3384.49
टीडीआर	338.00	100.00	275.00	504.00	564.25	0.00	0.00	0.00	1781.25
उधार	0	0	0	0	511.54	0	0	0	511.54
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
विदेशी मुद्रा देनदारियाँ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. निवेश:

क) 31.03.2025 तक निवेश पोर्टफोलियो की संरचना (सभी निवेश केवल भारत में हैं)

(राशि करोड़ में)

	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	शेयर	ऋणपत्र और बांड	सहायक कंपनियाँ और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	कुल
परिपक्वता तक धारित							
सकल	1769.05	0	0	0	0	0	1769.05
घटाएँ: गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई)	0	0	0	0	0	0	0
शुद्ध	1769.05	0	0	0	0	0	1769.05
बिक्री के लिए उपलब्ध	0	0	0	0	0	0	0
कुल	1612.44	0	0	0			1612.44
घटाएँ: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0
शुद्ध	1612.44	0	0	0	0	0	1612.44
व्यापार के लिए धारित	0	0	0	0	0	0	0
सकल	0	0	0	0	0	0	0
घटाएँ: मूल्यहास और एनएफआई के लिए प्रावधान शुद्ध	0	0	0	0	0	0	0
शुद्ध	0	0	0	0	0	0	0
कुल निवेश	3381.49	0	0	0	0	0	3381.49
घटाएँ: गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0
घटाएँ: एनपीआई मूल्यहास और के लिए प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0
शुद्ध	3381.49	0	0	0	0	0	3381.49



31.03.2024 तक निवेश पोर्टफोलियो की संरचना (सभी निवेश केवल भारत में हैं)

(राशि करोड़ में)

	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	शेयर	डिबेंचर और बांड	सहायक कंपनियाँ और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	कुल निवेश
परिपक्वता तक धारित							
सकल	1747.22	0.15	0	0	0	0	1747.38
घटाएँ: के लिए प्रावधान गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई)	0	0	0	0	0	0	0
शुद्ध	1747.23	0.15	0	0	0	0	1747.38
बिक्री के लिए उपलब्ध सकल							
सकल	2097.28	0	0	0	0	0	2097.28
घटाएँ: मूल्यहास प्रावधान और एनपीआई	0	0	0	0	0	0	0
शुद्ध	2097.28	0	0	0	0	0	2097.28
व्यापार के लिए धारित							
सकल	0	0	0	0	0	0	0
घटाएँ: मूल्यहास प्रावधान और एनपीआई शुद्ध	0	0	0	0	0	0	0
शुद्ध	0	0	0	0	0	0	0



कुल निवेश	3844.51	0.15	0	0	0	0	3844.66
घटाएँ: गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0
घटाएँ। मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0
शुद्ध	3844.51	0.15	0	0	0	0	3844.66

(ख) मूल्यहास और निवेश में उतार-चढ़ाव के लिए प्रावधानों का संचलन आरक्षित निधि

(राशि करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i) निवेशों पर मूल्यहास के लिए रखे गए प्रावधानों का संचलन		
क) प्रारंभिक शेष	Nil	1.38
ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	Nil	Nil
ग) घटाएँ: अतिरिक्त प्रावधानों का अपलेखन	Nil	1.38
घ) अंतिम शेष	Nil	Nil
i) निवेश में उतार-चढ़ाव के लिए आरक्षित निधि का संचलन		
क) प्रारंभिक शेष	Nil	Nil
ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि	Nil	Nil
ग) घटाएँ: निकासी	Nil	Nil
घ) अंतिम शेष	Nil	Nil
iii) एफएस और एचएफटी/चालू श्रेणी में निवेश के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में	Nil	Nil

(a) एचटीएम श्रेणी/स्थायी श्रेणी में/से बिक्री और हस्तांतरण: एचटीएम श्रेणी में/से प्रतिभूतियों की बिक्री और हस्तांतरण का मूल्य वर्ष की शुरुआत में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(b) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

(i) गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश

(राशि करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
a)	प्रारंभिक शेष	Nil	Nil
b)	1 अप्रैल से वर्ष के दौरान वृद्धि	Nil	Nil
c)	उपर्युक्त अवधि के दौरान कमी	Nil	Nil
d)	अंतिम शेष	Nil	Nil
e)	कुल प्रावधान	Nil	Nil



(ii) गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना

(राशि करोड़ में)

क्रमांक	जारीकर्ता	राशि		निजी प्रतिभूतियों की सीमा प्लेसमेंट		'निवेश श्रेणी से नीचे' प्रतिभूतियों की सीमा		"अनरेटेड" प्रतिभूतियों की सीमा		"असूचीबद्ध प्रतिभूतियों की सीमा	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
a)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	227.25	214.00	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	वित्तीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	बैंक	1554.00	1378.00	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	निजी निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e)	सहायक/संयुक्त उद्यम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f)	अन्य (म्यूचुअल निधि)	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-
g)	प्रावधान मूल्यहास के लिए	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	1784.25	1595.00	-	-	-	-	-	-	-	-

(c) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के अनुसार)

वर्ष के दौरान रेपो और रिवर्स रेपो के अंतर्गत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों का विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया राशि	31 मार्च तक बकाया राशि
i) रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
a) सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
b) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ				
c) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ				
ii) खरीदी गई प्रतिभूतियाँ रिवर्स रेपो के अंतर्गत				
a) सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
b) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ				
c) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ				

4. परिसंपत्ति गुणवत्ता:

a) चालू वर्ष के दौरान धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

(राशि करोड़ में)

	मानक	गैर-निष्पादित			कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदेहास्पद	हानि	कुल गैर-निष्पादित अग्रिम
सकल मानक अग्रिम और एनपीए					
आरंभिक शेष	4404.67	18.59	315.11	22.39	356.09
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि					78.47
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती					131.46
अंतिम शेष	5729.88	27.95	256.75	18.42	303.11
सकल एनपीए में कमी के कारण					
i) उन्नयन					58.27



ii) वसूलियाँ (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर)					30.31	30.31
iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते					0.00	0.00
iv) उपरोक्त (iii) के अंतर्गत आने वाले बट्टे खाते के अलावा अन्य बट्टे खाते					42.88	42.88
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का आरंभिक शेष	13.52	18.59	315.12	22.39	356.09	369.61
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान	4.29				78.47	82.76
घटाएँ: अतिरिक्त प्रावधान वापस/बट्टे खाते में डाले गए ऋण	0				132.85	132.85
धारित प्रावधानों का समापन शेष	17.81	26.54	256.74	18.42	301.71	319.52
शुद्ध एनपीए						
प्रारंभिक शेष		-	-	-	-	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए जोड़					1.40	
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती					-	
समापन शेष राशि		1.40	-	-	1.40	शून्य

	मानक		गैर-निष्पादित			कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदेहास्पद	हानि	कुल गैर-निष्पादित अग्रिम	
अस्थायी प्रावधान						शून्य
आरंभिक शेष						शून्य
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						शून्य
घटाएँ: वर्ष के दौरान निकाली गई राशि						शून्य
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष						शून्य
तकनीकी बट्टे खाते और उन पर की गई वसूली						
तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते खातों का प्रारंभिक शेष						शून्य
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते						शून्य
घटाएँ: वर्ष के दौरान पूर्व में तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते खातों की गई वसूली						शून्य
समापन शेष राशि						शून्य

पिछला वर्ष के दौरान धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण (2023-24) (राशि करोड़ में)

	मानक		गैर-निष्पादित			कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदेहास्पद	हानि	कुल गैर-निष्पादित अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए						
आरंभिक शेष	3258.99	24.68	446.88	26.68	498.24	3757.23
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि					58.85	58.85
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती					201.00	201.00



अंतिम शेष	4404.67	18.59	315.11	22.39	356.09	4760.76
सकल एनपीए में कमी के कारण						
i) उन्नयन					53.68	53.68
ii) वसूलियाँ (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर)					64.90	64.90
iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बढ़े खाते					0.00	0.00
iv) उपरोक्त (iii) के अंतर्गत आने वाले बढ़े खाते के अलावा अन्य बढ़े खाते					82.42	82.42
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का आरंभिक शेष	9.76	2.47	388.57	26.68	417.72	417.72
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान	3.76				20.79	24.55
घटाएँ: अतिरिक्त प्रावधान वापस/बढ़े खाते में डाले गए ऋण	0				82.42	82.42
धारित प्रावधानों का समापन शेष	13.52	18.59	315.12	22.39	356.09	356.09
शुद्ध एनपीए						
प्रारंभिक शेष		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए जोड़					शून्य	
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती					शून्य	
समापन शेष राशि		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	मानक	गैर-निष्पादित			कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदेहास्पद	हानि	कुल गैर-निष्पादित अग्रिम
अस्थायी प्रावधान					शून्य
आरंभिक शेष					शून्य
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान					शून्य
घटाएँ: वर्ष के दौरान निकाली गई राशि					शून्य
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष					शून्य
तकनीकी बढ़े खाते और उन पर की गई वसूली					
तकनीकी/विवेकपूर्ण बढ़े खाते खातों का प्रारंभिक शेष					शून्य
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बढ़े खाते					शून्य
घटाएँ: वर्ष के दौरान पूर्व में तकनीकी/विवेकपूर्ण बढ़े खाते खातों से की गई वसूली					शून्य
समापन शेष राशि					शून्य

अनुपात	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए	5.02%	7.48%
शुद्ध अग्रिमों की तुलना में शुद्ध एनपीए	0.02%	0
प्रावधान कवरेज अनुपात	100.00%	100.00%



b) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

क्रमांक	क्षेत्र	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत
A	प्राथमिकता प्राप्त						
1	क्षेत्र कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	3046.26	246.22	8.08%	2393.58	286.42	11.97%
2	प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	418.41	14.95	3.57%	518.40	40.25	7.76%
3	सेवाएँ	222.06	19.98	9.00%	148.51	3.35	2.26%
4	व्यक्तिगत ऋण	852.31	7.71	0.90%	571.62	9.55	1.67%
	उप-योग (A)	4539.04	288.86	6.36%	3632.11	339.57	9.35%
B	गैर-प्राथमिकता क्षेत्र						
1	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	उद्योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	सेवाएँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	व्यक्तिगत ऋण	1493.95	14.25	0.95%	1128.66	16.52	1.46%
	उप-योग (B)	1493.95	14.25	0.95%	1128.66	16.52	1.46%
	कुल (A+B)	6033.00	303.11	5.02%	4760.77	356.09	7.48%

*क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उपरोक्त प्रारूप में उन उप-क्षेत्रों का भी खुलासा कर सकते हैं जहाँ बकाया अग्रिम उस क्षेत्र को दिए गए कुल अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बैंक का खादी और ग्रामोद्योग (KVI) को दिया गया बकाया अग्रिम "उद्योग" क्षेत्र को दिए गए कुल अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक है, तो उसे KVI को दिए गए अपने बकाया अग्रिमों का विवरण ऊपर दिए गए प्रारूप में "उद्योग क्षेत्र" के अंतर्गत अलग से प्रकट करना चाहिए।

c) पुनर्गठन के अधीन खातों का विवरण

मानक	उधारकर्ताओं की संख्या	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ		कॉर्पोरेट (एमएसएमई को छोड़कर)		सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)		खुदरा (कृषि और एमएसएमई को छोड़कर)		कुल	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	सकल राशि (₹ करोड़)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	प्रावधान धारित (₹ करोड़)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



अवमानक	उधारकर्ताओं की संख्या											
	सकल राशि (₹ करोड़)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	प्रावधान धारित (₹ करोड़)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संदिग्ध	उधारकर्ताओं की संख्या											
	सकल राशि (₹ करोड़)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	प्रावधान धारित (₹ करोड़)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या											
	सकल राशि (₹ करोड़)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	प्रावधान धारित (₹ करोड़)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

d) ऋण जोखिमों के हस्तांतरण का प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान हस्तांतरित तनावग्रस्त ऋणों का विवरण (एनपीए और एसएमए के रूप में वर्गीकृत ऋणों के लिए अलग से किया जाएगा)			
(सभी राशि करोड़ में)	एआरसीएस को	अनुमत हस्तांतरित कर्ताओं को	अन्य हस्तांतरितकर्ताओं को (कृपया निर्दिष्ट करें)
खातों की संख्या	-	-	-
हस्तांतरित ऋणों का कुल बकाया मूलधन	-	-	-
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	-	-	-
हस्तांतरित ऋणों का शुद्ध बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	-	-	-
कुल प्रतिफल	-	-	-
पिछले वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	-	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त ऋणों का विवरण			
(सभी राशि करोड़ में)	एससीबीएस, आरआरबी से, सहकारी बैंक, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी जिनमें आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) शामिल हैं		एआरसीएस से
प्राप्त ऋणों का कुल बकाया मूलधन	शून्य		शून्य
भुगतान किया गया प्रतिफल	शून्य		शून्य
प्राप्त ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य		शून्य

e) धोखाधड़ी खाते

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
-------	-----------	------------



रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	3	शून्य
धोखाधड़ी में शामिल राशि (करोड़)	1.50	शून्य
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि (करोड़)	1.50	शून्य
वर्ष के अंत तक 'अन्य आरक्षित निधियों' से डेबिट किए गए अमोर्टाइज्ड प्रावधान की राशि शून्य (करोड़)		शून्य

वित्तीय वर्ष के दौरान दो धोखाधड़ी मामलों में 1.75 लाख रुपये वसूल किए गए हैं और संबंधित प्रावधान राशि को वापस कर दिया गया है। 31.03.2025 तक धोखाधड़ी के लिए कुल प्रावधान 1.49 करोड़ रुपये है।

5. जोखिम

a) रियल एस्टेट क्षेत्र में जोखिम

(राशि करोड़ में)

क्रमांक	श्रेणी	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i)	प्रत्यक्ष जोखिम	701.00	523.46
(a)	आवासीय बंधक आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित ऋण, जो उधारकर्ता के कब्जे में है या रहने वाला है या किराए पर है। प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों में शामिल किए जाने के लिए पात्र व्यक्तिगत आवास ऋणों को अलग से दर्शाया जाएगा। ऋण में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएँ भी शामिल होंगी।	701.00	523.46
(b)	वाणिज्यिक अचल संपत्ति वाणिज्यिक अचल संपत्ति (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किराएदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण। ऋण में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएँ भी शामिल होंगी।	Nil	Nil
(c)	बंधक समर्थित शून्य प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत ऋणों में निवेश।	Nil	Nil
	i. आवासीय	Nil	Nil
	ii. वाणिज्यिक अचल संपत्ति	Nil	Nil
(ii)	अप्रत्यक्ष जोखिम	Nil	Nil
	राष्ट्रीय आवास बैंक और आवास वित्त कंपनियों पर निधि आधारित और गैर-निधि आधारित जोखिम शून्य।	Nil	Nil
	रियल एस्टेट क्षेत्र में कुल निवेश	701.00	523.46

b) असुरक्षित अग्रिम

(राशि करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बैंक के कुल असुरक्षित अग्रिम	307.95	360.87
उपरोक्त में से, अग्रिमों की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियाँ जैसे अधिकारों पर भार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि ली गई हैं	0.00	0.00
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	0.00	0.00



c) अंतर-समूह निवेश

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अंतर-समूह निवेशों की कुल राशि	Nil	Nil
कुल राशि कुल जोखिम में से शीर्ष 20 अंतर-समूह जोखिम	Nil	Nil
अंतर-समूह जोखिम सीमाओं के उल्लंघन और उस पर नियामक कार्रवाई का विवरण	Nil	Nil

d) असुरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम बैंक का कोई असुरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम नहीं है।

e) बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता और समूह उधारकर्ता जोखिम सीमा का उल्लंघन: बैंक ने आरबीआई द्वारा निर्धारित एकल उधारकर्ता जोखिम और समूह उधारकर्ता जोखिम विवेकपूर्ण सीमा का उल्लंघन नहीं किया है।

6. जमाराशियों, अग्रिमों, ऋणों और एनपीए का संकेन्द्रण

a) जमाराशियों का संकेन्द्रण

(राशि करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	236.04	240.61
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	2.31	2.64

b) अग्रिमों का संकेन्द्रण

(राशि करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए कुल अग्रिम	525.36	453.76
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	8.71%	9.53%

*अग्रिमों की गणना ऋण जोखिम के आधार पर की जाएगी, अर्थात वित्तपोषित और गैर-वित्तपोषित सीमाएँ, जहाँ लागू हो, व्युत्पन्न जोखिम सहित। स्वीकृत सीमा या बकाया, जो भी अधिक हो, की गणना की जाएगी। हालाँकि, पूर्णतः आहरित सावधि ऋणों के मामले में, जहाँ स्वीकृत सीमा के किसी भी भाग के पुनः आहरण की कोई गुंजाइश नहीं है, बैंक बकाया को ऋण जोखिम मान सकते हैं।

c) ऋणों का संकेन्द्रण

(राशि करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति कुल ऋण	525.36	453.76
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति ऋण का प्रतिशत उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल ऋण जोखिम में	8.71%	9.53%

**ऋणों की गणना लागू RBI विनियमन के अनुसार की जाएगी।



d) एनपीए का संकेन्द्रण

(राशि करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल ऋण	6.63	7.00
कुल सकल एनपीए में ऋण। बीस सबसे बड़े एनपीए में निवेश का प्रतिशत	2.19%	1.97%

7. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष (डीईए फंड) में स्थानांतरण

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i)	डीईए फंड में स्थानांतरित राशि का आरंभिक शेष	89.53	88.54
ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईए फंड में स्थानांतरित राशि	5310.29	1.02
iii)	घटाएँ: डीईए फंड द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	34.02	0.03
iv)	डीईए फंड में स्थानांतरित राशि का अंतिम शेष	5365.80	89.53
<p>बैंकों को यहाँ यह निर्दिष्ट करना होगा कि डीईए फंड में हस्तांतरित राशि का अंतिम शेष, जैसा कि ऊपर बताया गया है, 'अनुसूची 12 आकस्मिक देयताएँ अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है' या 'आकस्मिक देयताएँ अन्य', जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत भी शामिल है।</p>			

8. शिकायतों का प्रकटीकरण

a) बैंक को ग्राहकों और लोकपाल कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों की संक्षिप्त जानकारी

क्रमांक	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें			
1.	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	112	170
3.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	112	170
3.1	जिनमें से बैंक द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या	0	0
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0
बैंक को लोकपाल कार्यालय से प्राप्त सुनवाई योग्य शिकायतें			
5.	बैंक को लोकपाल कार्यालय से प्राप्त सुनवाई योग्य शिकायतों की संख्या	28	45
5.1.	लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या 5 में से	28	43
5.2	5 में से 5 में से लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से निपटाई गई शिकायतों की संख्या	0	1
5.3	लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के विरुद्ध पंचाट पारित करने के बाद निपटाई गई शिकायतों की संख्या 5 में से	0	1
6.	निर्धारित समय के भीतर लागू न किए गए पंचाटों की संख्या (अपील किए गए पंचाटों को छोड़कर)	0	0
<p>नोट: विचारणीय शिकायतों का तात्पर्य एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (पूर्व में बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006) में विशेष रूप से उल्लिखित आधारों पर की गई शिकायतों से है और योजना के दायरे में शामिल।</p>			



b) बैंक को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पाँच आधार

शिकायतों के आधार, (अर्थात् निम्नलिखित से संबंधित शिकायतें)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से, 30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
चालू वर्ष					
एटीएम/डेबिट कार्ड	0	34	+70.00	0	0
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनि क आईसी बैंकिंग	0	64	+392.31	0	0
खाता खोलने/संचालन में कठिनाई खाते	0	6	-116.67	0	0
गलत बिक्री/पैरा-बैंकिंग	0	1	-	0	0
वरिष्ठ नागरिकों/दिव्यांगों के लिए पेंशन और सुविधाएँ	0	0	-100.00	0	0
ऋण और अग्रिम	0	19	+11.76	0	0
बिना पूर्व सूचना/अत्यधिक शुल्क लगाना शुल्क/ ज़ब्ती	0	6	-	0	0
कर्मचारी व्यवहार	0	7	-30.00	0	0
अन्य	0	33	-10.81	0	0
कुल	0	170	+51.79	0	0
पिछला वर्ष					
एटीएम/डेबिट कार्ड	0	12	+9.09	0	0
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉ निक आईसी बैंकिंग	0	20	+300.00	0	0
खाता खोलने/संचालन में कठिनाई खाते	0	13	+8.33	0	0
गलत बिक्री/पैरा-बैंकिंग	0	1	-	0	0
वरिष्ठ नागरिकों/दिव्यांगों के लिए पेंशन और सुविधाएँ	0	2	+100.00	0	0
ऋण और अग्रिम	0	17	+325.00	0	0
बिना पूर्व सूचना/अत्यधिक शुल्क लगाना शुल्क/ ज़ब्ती	0	0	-	0	0
कर्मचारी व्यवहार	0	10	+66.67	0	0
अन्य	0	37	-7.50	0	0
कुल	0	112	+36.59	0	0

9. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा (i) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 और (iii) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (बाउंसिंग के लिए) के प्रावधानों के तहत कोई दंड नहीं लगाया जाता है। एसजीएल का)।



10. अन्य प्रकटीकरण

a) व्यवसाय अनुपात

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	7.54	7.37
कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	0.83	0.82
जमा की लागत (%)	4.33	4.19
शुद्ध ब्याज मार्जिन (%)	3.90	3.90
कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	1.49	1.92
परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (%)	1.54	1.37
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा राशि और अग्रिम) (लाख में)	1096.83	974.07
प्रति कर्मचारी लाभ (लाख में)	11.42	9.59

b) बैंकाश्योरेंस व्यवसाय

अर्जित शुल्क/ब्रोकरेज का विवरण बीमा ब्रोकिंग के संबंध में एजेसी और बैंकएश्योरेंस व्यवसाय:

(राशि करोड़ में)

कंपनी का नाम	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	6.10	4.05
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	0.72	0.37

c) विपणन एवं वितरण

विपणन एवं वितरण कार्य (बैंकाश्योरेंस व्यवसाय को छोड़कर) के संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक का विवरण

(राशि लाख में)

कंपनी का नाम	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
एसबीआई म्यूचुअल फंड	8.40	0.15

d) प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्रों (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान बेचे और खरीदे गए पीएसएलसी (श्रेणीवार) की राशि

(राशि करोड़ में)

पीएसएलसी की श्रेणी	चालू वर्ष				पिछला वर्ष			
	बेचा गया	अर्जित प्रीमियम	खरीद	भुगतान किया गया प्रीमियम	बेचा गया	अर्जित प्रीमियम	खरीद	भुगतान किया गया प्रीमियम
पीएसएलसी (कृषि)	0	0	0	0	0	0	0	0
पीएसएलसी (एसएम)	1600	26.18	0	0	900	14.30	0	0



पीएसएलसी (सामान्य)	0	0	500	0.05	0	0	0	0
पीएसएलसी (सूक्ष्म)	0	0	200	0.02	0	0	0	0
कुल	1600	26.18	700	0.07	900	14.30	0	0

e) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(Amounts in ₹ crore)

क्रमांक	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	9.63	8.82
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया राशि	Nil	Nil

11. लेखांकन के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

11.1 अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि 11.1 लेखांकन मानक -5 मद्दे और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन:

- वर्ष के दौरान, पूर्व अवधि की कोई भी महत्वपूर्ण आय/व्यय मद्दे नहीं थीं।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

11.2 लेखांकन मानक-15-कर्मचारी लाभ

- a) ग्रेच्युटी: बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम और इंडिया फर्स्ट के साथ मिलकर बनाई गई समूह ग्रेच्युटी योजना के अंतर्गत पॉलिसियाँ ली हैं और प्रीमियम का भुगतान प्रभार खाते में डेबिट करके किया जाता है। सितंबर 2024 के दौरान, 3.06 करोड़ रुपये एलआईसी को प्रेषित किए गए। देनदारियों के लिए बैंक का कोष 1.5 करोड़ रुपये था। 60.85 करोड़ (एलआईसी-59.32 करोड़ रुपये और इंडिया फर्स्ट-1.53 करोड़ रुपये)। एलआईसी का ग्रेच्युटी देयता अनुमान 68.55 करोड़ रुपये है। इस वर्ष के दौरान देयता को पूरा करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को 7.70 करोड़ रुपये की कमी का भुगतान किया गया है।
- b) अवकाश नकदीकरण। 31.03.2025 तक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अवकाश नकदीकरण के कारण देयता 28.81 करोड़ रुपये है। बैंक ने 22.99 करोड़ रुपये (एसबीआई लाइफ 14.71 करोड़ रुपये और एचडीएफसी लाइफ 8.28 करोड़ रुपये) का कोष बनाए रखा है। देयता की पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष के दौरान 5.82 करोड़ रुपये की कमी एसबीआई लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को भेज दी गई है।
- c) पेंशन: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 के लिए संशोधित पेंशन योजना हमारे बैंक में 01.11.1993 से लागू की गई थी, जो बोर्ड की मंजूरी और वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के बाद, उनके पत्र संख्या एफ.सं. 8/4/2024-आरआरबी, दिनांक 03.10.2024, और एफ.सं. 8/20/2010-आरआरबी, दिनांक 03.10.2024, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में। इसके अलावा, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के अनुसार, सभी पात्र पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों और नए विकल्प चुनने वालों को 01.11.1993 से प्रभावी पेंशन बकाया के 100% निपटान के लिए कुल 82.55 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र RBI/2024-25/127/DOR ACC.REC के अनुसार, 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होकर, प्रत्येक वर्ष कुल पेंशन देयता के 20% के व्यय के साथ, पाँच वर्षों की अवधि में 82.55 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई पेंशन देयता का परिशोधन किया है। संख्या 67/21.04.018/2024-25 दिनांक 20 मार्च, 2025। यदि अशोधित व्यय को लाभ-हानि खाते में पूर्णतः मान्यता दी गई होती, तो अशोधित व्यय की राशि 66.04 करोड़ रुपये है और परिणामी शुद्ध लाभ 169.00 करोड़ रुपये के बजाय 102.96 करोड़ रुपये होता।
उत्कल ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन 2018 के लागू होने के बाद, सभी पात्र कर्मचारियों को 01.04.2018 से पेंशन प्रदान की जा रही है। बैंक, न्यासियों द्वारा प्रशासित निधि में समय-समय पर अंशदान करता है। हालाँकि, न्यास के खातों को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है और कमी निधि प्राप्त करने के लिए आगे का बीमांकिक मूल्यांकन प्रगति पर है।
- d) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस): भारत सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति के बाद, बैंक ने एनपीएस में नियोक्ता के अंशदान में संशोधन लागू किया है, जिससे यह अपने कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते के 10% से बढ़कर 14% हो गया है। यह 11 नवंबर, 2020 से प्रभावी है। इस संबंध में, इस वर्ष के दौरान अतिरिक्त 4% बकाया राशि के रूप में कुल 11.93 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
- e) वेतन संशोधन: बैंक ने 12वें बीपीएस वेतन संशोधन के अंतर्गत कुल 38.25 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2023-24 में किया गया प्रावधान - 27.20 करोड़ रुपये और इस वित्त वर्ष में प्रभार खाते में डेबिट करके 11.05 करोड़ रुपये का भुगतान) का भुगतान किया है।



भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने अपने पत्र संख्या 8/1/2023-आरआरबी दिनांक 18.09.2024 के माध्यम से हमारे बैंक के उन सभी कर्मचारियों को कंप्यूटर वेतन वृद्धि के कार्यान्वयन और अनुदान के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है जो 01.11.1993 तक सेवारत या परिवीक्षाधीन थे। इस संबंध में, बकाया राशि के 100% निपटान हेतु कुल ₹33.38 करोड़ का भुगतान किया गया है।

11.3 लेखा मानक-18-संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

संबंधित पक्ष जिनका नियंत्रण/महत्वपूर्ण प्रभाव मौजूद है या जिनके साथ वर्ष के दौरान लेनदेन हुए हैं।

प्रायोजक बैंक (भारतीय स्टेट बैंक) और उनकी सहायक कंपनियाँ एवं सहयोगी कंपनियाँ। महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन का सारांश निम्नलिखित है:

(राशि करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2025	समाप्त वर्ष के लिए 31.03.2024
तरल संपत्ति/देयताएँ		
एसबीआई से प्राप्त इक्विटी	-	-
एसबीआई से प्राप्त पुनर्वित्त	-	8.82
एसबीएल की इक्विटी पूंजी	589.08	589.08
एसबीआई का ट्रे-॥ परपेचुअल बॉन्ड	8.14	8.14
एसबीआई के साथ चालू खाता शेष	27.73	0.32
निम्नलिखित के साथ किया गया निवेश: (एसबीआई एंड एसोसिएट्स)		
एसबीआई के साथ टीडीआर	227.25	214.00
आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास के साथ टीडीआर बैंक	64.00	125.00
तेलंगाना ग्रामीण बैंक के साथ टीडीआर	198.00	-
यस बैंक के साथ टीडीआर	-	278.00
एसबीआई म्यूचुअल फंड	3.00	3.00
आय/व्यय		
एसबीआई से प्राप्त ब्याज	18.46	16.95
आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक से प्राप्त ब्याज	10.70	15.84
तेलंगाना ग्रामीण बैंक से प्राप्त ब्याज		8.39
यस बैंक से प्राप्त ब्याज	10.14	9.16
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ ग्रुप लीव एनकैशमेंट पॉलिसी का भुगतान	5.82	3.91
एसबीआई म्यूचुअल फंड से कमीशन	0.08	0.0015
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस से कमीशन कंपनी लिमिटेड	6.10	4.05
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कमीशन	0.72	0.37
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पेंशन ट्रस्ट के लिए भुगतान	5.00	159.67
एसपी सेवा भुगतान सेज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	14.04	11.69
एसबीआई को ओडी खाते पर दिया गया ब्याज	1.24	0.82
एसबीआई कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर दिए गए वेतन/भत्ते	2.63	1.85



प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

कर्मचारी का नाम	पदनाम
श्री सूर्यकांत दाश	अध्यक्ष
श्री प्रसेनजीत नारायण होता	महाप्रबंधक-I
श्री रश्मि रंजन साई	महाप्रबंधक-II
श्री बंसीधर साहू	महाप्रबंधक-III
श्री कुलमणि ठाकुर	महाप्रबंधक (सतर्कता)

11.4 लेखा मानक-20- "प्रति शेयर आय"

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	1683087278	1683087278
वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	1683087278	1683087278
प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	शून्य	शून्य
प्रयुक्त शेयरों की भारित औसत संख्या शून्य	शून्य	शून्य
शुद्ध लाभ/(हानि) (करोड़ में)	169.00	136.76
प्रति शेयर मूल आय (₹)	1.00	0.81
प्रति शेयर तनु आय की गणना में (₹)	शून्य	शून्य
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	10	10

11.5 लेखा मानक-22-आय पर करों का लेखा

चूँकि बैंक का संचित घाटा बहुत अधिक है, इसलिए आस्थगित कर परिसंपत्ति की पहचान और उसका लेखा नहीं किया गया है।

11.6 लेखा मानक-28 "परिसंपत्तियों की क्षति" बैंक प्रबंधन की राय में, वर्ष के दौरान गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियों की क्षति का कोई संकेत नहीं है।

11.7 लेखा मानक आकस्मिक परिसंपत्तियाँ 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और

लाभ और हानि खाते में व्यय शीर्षक के अंतर्गत 'प्रावधान और आकस्मिकताओं' का विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है।

(राशि करोड़ में)

लाभ और हानि खाते में डेबिट किए गए प्रावधान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर प्रावधान	(11.49)	20.83
मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधान	4.29	3.76
अग्रिमों पर अस्थिर प्रावधान	शून्य	शून्य
पुनर्गठित परिसंपत्तियों पर प्रावधान	शून्य	शून्य
निवेश मूल्यहास के लिए प्रावधान पर	शून्य	शून्य
धोखाधड़ी के लिए प्रावधान	1.49	(0.49)
चोरी और डकैती के लिए प्रावधान	(0.07)	0.13
एमटीएम के लिए प्रावधान	शून्य	(1.38)
वेतन संशोधन और पेंशन के लिए प्रावधान	शून्य	32.20
विविध प्रावधान	शून्य	0.13
कुल	(5.78)	55.18

अनुसूची 12 के अंतर्गत 148.53 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 112.20 करोड़ रुपये) की आकस्मिक देयताएँ जैसे बैंक गारंटी, डीईएएफ आदि दर्शाई गई हैं। उपरोक्त के अलावा, बैंक के पास आयकर के लंबित मामले हैं: वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए 15.75 लाख रुपये, वित्तीय वर्ष 2011-12



के लिए 8.62 लाख रुपये, निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए 12.82 लाख, निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए 2.03 करोड़ रुपये, निर्धारण वर्ष 2021 के लिए 33.16 करोड़ रुपये- सीआईटी (ए) से पहले निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए 22 और 30.38 करोड़ रुपये।

12. अतिरिक्त प्रकटीकरण

1. अनुसूची 11 में अन्य परिसंपत्तियों में 0.87 लाख रुपये की उच्चतम अग्रिम राशि, तथा 102.52 करोड़ रुपये की राशि के अन्य निपटान एवं अन्य खाते शामिल हैं, जिनका समाधान प्रक्रियाधीन है और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं।

2. अंतर-कार्यालय समायोजन शीर्षक के अंतर्गत शेष राशि 46.58 लाख रुपये है, जो लंबित मदें हैं, जिनके लिए अंतिम तिथि तक सूचनाएँ पारगमन में हैं और उनका समाधान किया जा रहा है और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन इसके अतिरिक्त, अनुसूची 5 में अन्य देयताओं में 26.59 करोड़ रुपये की राशि का समायोजन खाता, अन्य निपटान खाते और अन्य शामिल हैं, जिनका समाधान प्रक्रियाधीन है और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं।

इसके अतिरिक्त, अनुसूची 5 में अन्य देयताओं में 2.58 करोड़ रुपये की राशि की सब्सिडी आरक्षित निधि शामिल है। ये उधारकर्ता-वार समाधान प्रक्रियाधीन हैं और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं।

3. वर्ष के दौरान बैंक ने 169.00 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है और 31 मार्च 2025 तक बैंक का संचित घाटा 1002.68 करोड़ रुपये है, जो बैलेंस शीट में आरक्षित निधि और अधिशेष (अनुसूची 2) के अंतर्गत दर्शाया गया है।

4. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ आवश्यक हो, चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

5. ओडिशा सरकार, भारत सरकार और प्रायोजक बैंक अर्थात् एसबीआई के निरंतर सहयोग को देखते हुए, बैंक अपने वित्तीय दायित्वों को समय पर पूरा करने में सक्षम है और आगे भी रहेगा। तदनुसार, बैंक ने अपने खातों को "चालू व्यवसाय" के आधार पर तैयार किया है।

बैंक के परिचालन प्रदर्शन की पुष्टि करने वाले और चालू व्यवसाय की मान्यताओं की पुष्टि करने वाले विभिन्न संकेतक नीचे दिए गए हैं:

- ग्राहक आधार में वृद्धि
- व्यवसाय में वृद्धि
- वैधानिक आवश्यकता के अनुसार सीआरआर/एसएलआर का रखरखाव
- देय होने पर वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की क्षमता।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या CG-DL-E-07042025-262329, दिनांक 07.04.2025 के संदर्भ में। भारत सरकार, इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा प्रायोजित ओडिशा ग्राम्य बैंक और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित उत्कल ग्रामीण बैंक का विलय एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में किया जाएगा, जिसका नाम ओडिशा ग्रामीण बैंक होगा और जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा। यह इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रायोजन में होगा। यह 1 मई, 2025 से प्रभावी होगा।

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार,

अनुसूची 1 से 18 के लिए हस्ताक्षर।

Sd/-
श्री सूर्य कांत दाश
चेयरमैन

के लिए अगस्ती एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 313043E

Sd/-
श्री राहुल कांत
नामित निदेशक, आरबीआई

Sd/-
सीए बिश्वनाथ अगस्ती
पार्टनर (मो. नं.-051026)

Sd/-
श्री कमलकांत पटनायक
नामित निदेशक, नाबार्ड

Sd/-
श्री प्रियदर्शन नॉमिनी डायरेक्टर
एसबीआई

स्थान: बोलांगीर
दिनांक: 29.04.2025



Block Level FDL Camp at Kusumi under Kusumi Branch attended by LDM, Sambalpur, DDM, Nabard Sir and FLC Coordinator Sri Jadumani Pradhan Sir



INAUGURATION OF BOLANGIR RO NEW PREMISES BY CHAIRMAN SIR



Credit Outreach Program Golamunda



Credit Outreach Program Lanjigarh Road, CGM Nabard



FDL Camp at Salangabahal Branch through Nukkad Natak Dt.07.10.2024



Financial literacy programme by Aska Branch



FLC at Jimidipeta Rayagada RO



Mega Outreach Credit Camp by Nabard



Nukad Natak & FLC Boudh 24.10. 2024



Nukad Natak & FLC Phulbani 10.10.2024



Nukkad Natak conducted by Chhatamakhana Branch



Padua Nageswari Farmers Producer Co (FPC)
CC - 84068930589 Sanctioned Amt. ₹ 10 lakhs



PMJJBY claim settlement of Tulsi Karna



Sarfaesi Possession Taken by our Binka Branch On Dtd. 18.12.2024



Semiliguda The Hotel Emerald TL 84065027455 Sanctioned Amt. ₹ 3 crore



Vigilance Awareness Programme by Udepli Branch Bargarh

UTKAL GRAMEEN BANK

13th Annual Report 2024-25



With best compliments from

Shri Surya Kanta Dash

Chairman

Utkal Grameen Bank

Head Office, Doorsanchar Bhawan,
Near New Bus Stand, Bolangir - 767 001

Tel. : 06652-357264

www.utkalgrameenbank.co.in

chairman@ukgb.in





Message from the Chairman

Dear Stakeholders,

It gives me immense pleasure to place before you the 13th Annual Report and Financial Statement of Utkal Grameen Bank for the financial year 2024-25.

The Bank is providing banking services to the residents of 17 Southern and Western districts of Odisha comprising mostly of difficult terrain, hilly, LWE and aspirational districts, through its 433 Branches, 8 Regional Offices, 1 Service Branch, 8 AMHs and 1221 CSPs with a mission to uplift the economic conditions of the underprivileged and hitherto financially excluded population.

The visionary guidance received from the Hon'ble Board & Sponsor bank; suitable strategies adopted by the Management, consistent efforts made by our Branches and ROs and most importantly the sustained patronage received from our valued customers could help us achieve improvement in many parameters some of which are as under:

Profitability:

- Net Profit increased to Rs. 169.00 Cr. as on 31.03.2025 from Rs. 136.76 Cr last year @ 23.57%.
- Return on Assets increased to 1.54% as on 31.03.2025 from 1.37% last year.
- Return on Equity increased to 10.04% as on 31.03.2025 from 8.19% last year.
- Net Interest Income (NII) increased by 10.57% to Rs. 400.15 Cr. during FY 2024-25 from Rs. 361.91 Cr. during FY 2023-24.
- Net Interest Margin (NIM) is maintained at 3.90% as on 31.3.2025.

Business:

- Total Business of the Bank reached a level of Rs.16244.11 Cr. with a growth of Rs.2353.82 Cr. @ 16.95%.
- Total Deposit registered a growth of Rs.1081.59 Cr at 11.85% and stood at Rs.10211.11 Cr. as on 31.03.25.
- CASA ratio improved to 62.69% as on 31.03.25 from 62.25% as on 31.03.24.
- Total Advances registered an impressive growth of Rs.1272.23 Cr at 26.72% and stood at Rs.6033.00 Cr.

- Housing Loans grew by Rs.177.55 Cr @33.92% YoY to Rs.701.01 Cr.
- Gold Loans grew by Rs.381.97 Cr @41.34% YoY to Rs.1306.00 Cr.
- Credit to Agriculture stood at Rs. 3046.26 Cr as on 31.03.2025 with 27.27% growth.
- SHG Loans outstanding increased to Rs.1375.47 Cr as on 31.03.2025 with 83.32% growth.
- Net worth increased to Rs.680.41 Cr as on 31.03.2025 from Rs.511.41 Cr as on 31.03.2024.
- Business per Branch improved to Rs.37.52 Cr. as on 31.03.2025.
- Business per Employee improved to Rs.10.97 Cr. as on 31.03.2025.

Asset Quality:

- Gross NPA reduced to Rs.303.11 Cr. as on 31.03.2025 from Rs.356.09 Cr. last year.
- Net NPA is Rs.1.40 Cr as on 31.03.2025.
- Gross NPA and Net NPA is 5.02% and 0.02% respectively as on 31.03.2025.
- Provision Coverage Ratio is 99.54%.

Capital Adequacy:

- Capital Adequacy Ratio increased to 12.58% as on 31.03.2025 from 12.37% last year.

Further, we have given equal emphasis on promoting Financial Inclusion and ensuring coverage of every one under Social Security Schemes. During the FY, 208751 PMJDY new accounts have been opened, 159218 no. of PMJJBY, 298298 no. of PMSBY & 48647 no. of APY enrolments have been done ensuring 100% achievement of budget.

Furthermore, in order to increase our digital transaction penetration, we have implemented many new Technology initiatives such as contact less debit cards, Bharat Aadhar Seeding Enabler (BASE), Mobile Banking, Bharat Bill Payment Service (BBPS), LOS etc. which will not only help us improve our digital presence in our area of operation but also attract new customers by adding value to our customer experience.

I acknowledge the support and contribution of our large number of loyal customers and extend my sincere gratitude to all the stakeholders for their persistent support and guidance for the overall development of the Bank.

Yours sincerely,

Surya Kanta Dash

Chairman



Letter of Transmittal

UTKAL GRAMEEN BANK

Head Office : Bolangir

**The Secretary,
Ministry of Finance, Dept. of Financial Services,
Banking Division, Government of India,
Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110001**

Dear Sir,

In accordance with the provisions of Section 20 of the Regional Rural Bank Act 1976, I forward herewith the following documents.

1. A Report of Board of Directors as to the Bank's working and its activities during the period 1st April 2024 to 31st March 2025.
2. A copy of the audited Balance Sheet and Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2025.
3. A copy of the Auditor's report in relation to the Bank's accounts for the period 1st April 2024 to 31st March 2025.

Yours faithfully,

(Surya Kanta Dash)
Chairman

Date : 30.04.2025



BOARD OF DIRECTORS

Shri Surya Kanta Dash CHAIRMAN

Nominee Directors of RBI

1. **Shri Rahul Kanta**

Asst. General Manager, RBI,
Bhubaneswar

Nominee Directors of Sponsor Bank

3. **Shri Priyadarshan**

General Manager, Associates &
Subsidiaries Dept., State Bank of India,
Corporate Center, Mumbai

4. **Shri Shailesh Chandra Bhatt**

Deputy General Manager (ABU)
State Bank of India, Local Head Office,
Bhubaneswar

Nominee Directors of NABARD

2. **Shri Kamalkanta Pattnaik**

Deputy General Manager, NABARD,
Regional Office, Odisha, Bhubaneswar.

Nominee Directors of Govt. of Odisha

5. **Shri Tarakanta Bhakta**

Deputy Secretary,
Finance Department Govt. of Odisha,
Bhubaneswar

COMMITTEE OF DIRECTORS

AUDIT COMMITTEE

1. Shri Shailesh Chandra Bhatt, DGM, SBI, LHO, BBSR
2. Shri Kamalakanta Pattnaik, DGM, NABARD, BBSR
3. Shri Rahul Kanta, AGM, RBI, BBSR
4. Shri Tarakanta Bhakta, Deputy Sec., GoO, BBSR

CUSTOMER SERVICE COMMITTEE

1. Shri Rahul Kanta, AGM, RBI, BBSR
2. Shri Kamalakanta Pattnaik, DGM, NABARD, BBSR
3. Shri Shailesh Chandra Bhatt, DGM, SBI, LHO, BBSR

IT COMMITTEE

1. Shri Kamalakanta Pattnaik, DGM, NABARD, BBSR
2. Shri Rahul Kanta, AGM, RBI, BBSR
3. Shri Shailesh Chandra Bhatt, DGM, SBI, LHO, BBSR

FRAUD MONITORING COMMITTEE

1. Shri S.K Dash, Chairman, UGB
2. Shri Shailesh Ch. Bhatt, DGM, SBI, LHO, BBSR
3. Shri Rahul Kanta, AGM, SBI, Corporate Centre
4. Shri Tarakanta Bhakta, Deputy Sec., GoO, BBSR

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

1. Shri Rahul Kanta, AGM, RBI, BBSR
2. Shri Kamalakanta Pattnaik, DGM, NABARD
3. Shri Shailesh Ch. Bhatt, DGM, SBI, LHO, BBSR

SPECIAL REVIEW COMMITTEE OF STAFF ABOVE 55 YRS OF AGE

1. Shri Rahul Kanta, AGM, RBI, BBSR
2. Shri Shailesh Ch. Bhatt, DGM, SBI, LHO, BBSR
3. Shri Tarakanta Bhakta, Deputy Sec., GoO, BBSR

**STATUTORY AUDITORS****AGASTI & ASSOCIATES**

UCN No. - 0260360
97, Unit- 9, Bhoi Nagar
Bhubaneswar-751022
e-mail- Agasti_associates@yahoo.com

BRANCH AUDITORS

- | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. M/s Amar Kanta & Associates | 8. M/s Dillip Samir & Associates | 15. M/s Rajesh Biswanath & Co. |
| 2. M/s M K Thebaria & Associates | 9. M/s R K Jena & Co. | 16. M/s PRKS & Associates |
| 3. M/s Nalam Associates | 10. M/s Satapathy & Associates | 17. M/s PAMS & Company |
| 4. M/s K G Agrawal & Co. | 11. M/s N Pradhan & Associates | 18. M/s H K Chandak & Co. |
| 5. M/s M U Associates | 12. M/s B N Misra & Co. | 19. M/s R R Mishra & Co. |
| 6. M/s D V R Murty & Co. | 13. M/s S S Tekariwal & Co. | 20. M/s M R Gupta & Co. |
| 7. M/s M K & M K | 14. M/s S P P Associates | 21. M/s Brahmananda & Co. |

REGIONAL OFFICES**Berhampur**

Harsha Arcade, Subbarao Square
Berhampur, Ganjam - 760001
ro.berhampur@ukgb.in
Mob.9938313133

Rayagada

Convent Road, Near Sacred Heart School
At/PO/Dist. Rayagada - 765001
ro.rayagada@ukgb.in
6370589199

Jeypore

NKT Road, Hotel Woods, 1st Floor
At/PO - Jeypore - 764003
Dist. Koraput
ro.jeypore@ukgb.in
Mob.9777112451

Sambalpur

At. Infront of Poddar Petrol Pump Cuttack
Road, Dhanupali
PO. Dhanupali, Dist. Sambalpur
ro.sambalpur@ukgb.in
Mob.9438809985

Bargarh

Near Khajurtikira Shiva Mandir
At/PO/Dist. Bargarh - 768028
ro.bargarh@ukgb.in
Mob.9437841256

Phulbani

Penji Sahi, FCI Road, At/PO. Phulbani
Dist. Kandhamal 766001
ro.phulbani@ukgb.in
Mob.7683943916

Bolangir

Doorsanchar Bhawan, 2nd Floor
Near New Bus stand
At/PO/Dist. Bolangir 767001
ro.bolangir@ukgb.in
Mob.9040980024

Bhawanipatna

Bahadur Bagicha Pada
At/Po:Bhawanipatna
Dist. Kalahandi
ro.bhawanipatna@ukgb.in
Mob.9337943915



KEY PERFORMANCE INDICATORS

(Rs. In' 000)

A. KEY PERFORMANCE INDICATORS	2022-23	2023-24	2024-25
1. No. of District covered	17	17	17
2. No. of branches	433	433	433
a) Rural	364	364	364
b) Semi Urban	54	54	54
c) Urban	15	15	15
3. Total staff (Excluding Sponsor Bank Staff)	1396	1426	1481
of which Officers	773	750	818
4. Deposits	80453695	91295200	102111105
Growth %	5.26	13.48	11.85
5. Borrowing outstanding	5784736	5673181	5196828
6. Gross Loan & Advances outstanding	37572285	47607688	60329960
Growth %	21.16	26.71	26.72
of 6 above, loans to Priority sector	30531327	36321079	45390446
of 6 above, loans to Non Target Group	7040958	11286609	14939515
of 6 above, loans to SC/ST	10288374	10494166	10285561
of 6 above, loans to SF/MF/AL	16170599	19419108	24714311
of 6 above, loans to Minorities	561563	586571	562194
7. CD Ratio	46.70	52.15	59.08
8. Investments Outstanding	54146711	54396588	51657379
SLR Investments Outstanding	43389849	38446586	33814877
Non SLR Investments Outstanding	10756862	15950002	17842502
B. MONTHLY AVERAGE			
9. Average Deposits	75987635	83522236	91795767
Growth%	1.94	9.92	9.91
10. Average Borrowings	2986529	4145735	5441285
Growth%	-35.04	38.81	31.25
11. Average Gross Loans & Advances	34827088	43720119	53093810
Growth%	17.18	25.53	21.44
12. Average Investments	49972658	49030695	49597196
Growth%	2.13	-1.88	1.16
Average SLR Investments	45930861	39390727	36372819
Growth%	2.10	-14.24	-7.66
Average Non-SLR Investments	4041797	9639968	13224377
Growth%	2.57	138.51	37.18
13. Average working funds	91282602	99890927	109892139



(Rs. In' 000)

C. LOAN DISBURSED DURING THE YEAR	2022-23	2023-24	2024-25
14. Loans Disbursed during the year	28937826	39780362	53536259
Growth %	43.09	37.47	34.58
of 14 above, loans to Priority Sector	19982700	26239387	40745978
of 14 above, loans to Non-Target Groups	8955126	13540975	12790280
of 14 above, loans to SC/ST	4223821	2875731	2872634
D. PRODUCTIVITY			
15. Per Branch Business	272577	320792	375153
Per Staff Business	84546	97407	109683
E. RECOVERY PERFORMANCES			
16. TOTAL			
Demand	30001243	33550034	42399202
Recovery	17450040	20713291	33573523
Overdue	12551203	12836743	8825679
Recovery % (June Position)	58.16	61.74	79.18
17. FARM SECTOR			
Demand	18062765	19555079	26329243
Recovery	10967885	12331433	18509222
Overdue	7394880	7223646	7820021
Recovery % (June Position)	60.72	63.06	70.30
18. NON-FARM SECTOR			
Demand	11938478	13994955	16069959
Recovery	6482155	8381858	15064301
Overdue	5456323	5613097	1005658
Recovery % (June Position)	54.29	59.89	93.74
F. ASSETS CLASSIFICATION			
19. a) Standard	32589852	44046742	57298890
b) Sub-standard	246848	185879	279397
c) Doubtful	4468823	3151174	2567495
d) Loss	266762	223893	184178
Total	37572285	47607688	60329960
Standard Assets as % to Gross Loans & Advances outstanding	86.74	92.52	94.98
G. PROFITABILITY ANALYSIS			
20. Interest paid on			
a) Deposits	2991957	3497899	3972711
b) Borrowings	147643	245815	309094




(Rs. In' 000)


	2022-23	2023-24	2024-25
21. Salary (including leave encashment)	1339340	1736245	2594154
22. Other Operating Expenses	541004	777914	686848
23. Provisions made during the year	2086593	551772	-58727
a) Against NPAs	305000	208338	-114875
b) Other Provisions	1781593	343434	57049
c) Amortization	0	0	0
24. Interest received on			
a) Loans & Advances	3156254	3706581	4542892
b) Investments	3377526	3656206	3740466
c) Others	0	0	0
25. Other Income	986073	814482	911651
26. Loss/Profit	643110	1367624	1690028
27. Share Capital including share capital	16536883	16830873	16830873
28. DI & CGC			
a) Claims settled cumulative	348972	348972	348972
b) Claims received but pending adjustment	0	0	0
c) Claims pending with Corporation	0	0	0
29. Cumulative Provision			
a) Against NPAs	4177194	3560946	3017101
b) Against Standard Assets	97663	135224	178112
c) Against Intangible Assets frauds etc.	0	0	0
30. Interest Derecognized During the year	183448	77794	85638
31. Loans Written off during the year			
a) No. of Accounts	10790	9406	6531
b) Amount	677151	824162	428818
32. Accumulated loss	13084425	11716801	10026773
33. Reserves	0	0	0
Net NPAs	805239	0	13969
% Provisions to gross NPAs	83.84	100.00	99.54
% Gross NPAs to advances	13.26	7.48	5.02
% Net NPAs advances	2.41	0	0.02
CRAR	10.83	12.37	12.58




Deposit (Cr)




Profit/ Loss (Cr)




Advances (Cr)




Profit/ Loss Per Employee (Lakh)




Business (Cr)




Profit/ Loss Per Branch (Lakh)



Business Per Employee (Cr)



Business Per Branch (Cr)





BOARD OF DIRECTORS' REPORT 2024-25

The Board of Directors have immense pleasure in presenting the 13th Annual Report of Utkal Grameen Bank (UGB) together with the Audited Statement of Accounts, Auditors' Report and the report on business and operations of the Bank for the Financial Year ended on 31st March 2025, in terms of Section 20 of the Regional Rural Banks Act, 1976.

Brief Introduction

Utkal Grameen Bank was formed on 01.11.2012 vide notification issued by the Ministry of Finance, Govt of India after amalgamation of erstwhile RRBs namely Utkal Gramya Bank, Bolangir sponsored by State Bank of India and Rushikulya Gramya Bank, Berhampur sponsored by Andhra Bank. The Bank as an amalgamated entity is sponsored by State Bank of India with its head office at Bolangir.


Area of Operation and Branch Network

Bank is operating in 17 districts in western and southern parts of Odisha, which are mostly economically backward and dominated by tribal population. As on 31st March, 2025, Bank has 433 Branches grouped under 3 Networks and 8 Regional Offices located at Bolangir, Bargarh, Sambalpur, Bhawanipatna, Jeypore, Rayagada, Berhampur and Phulbani, one SARB at Sambalpur and eight AMHs, one in each RO are also functional. Further, the Bank has 1221 Customer Service Points (CSPs) managed by 6 Corporate BCs. Of the 433 branches, while 15 branches are located in urban areas, 54 branches are located in semi urban areas and the rest 364 are located in rural areas.

Business Review

The Bank's business has registered a growth of Rs.2353.82 Cr at 16.95% to reach Rs.16,244.11Cr as on 31st March 2025 as against Rs.13,890.29 Cr as on 31st March 2024.

Business growth of Rs 2,353.82 crore comprised of absolute deposit growth of Rs.1081.59 Cr (11.85%) and absolute advances growth of Rs. 1272.23 Cr (26.72%) during the FY.



Profit Analysis

The Bank registered a Net Profit of Rs.169.00 Cr as on 31.03.25 as against a Net Profit of Rs. 136.76 Cr as on 31.03.24, registering a growth of 23.57% after providing for Rs.4.29 Cr. towards Standard Assets provision, Rs.1.49 Cr. towards provision for fraud. However, Rs.11.49 Cr towards NPA provision, & Rs.0.07 Cr. towards theft & burglary provision were reversed to charges during the year.

The Operating profit of the Bank stood at Rs 163.22 crore as on 31.3.2025, with a negative growth of Rs 28.72 crore (14.96%), as against Rs 191.94 crore as on 31.3.2024.




Income and Expenditure

(Rs. in crore)

Particulars	2022-23	2023 - 24	2024 - 25	Growth%
Interest Income	676.36	736.28	828.33	12.50
Interest Expenditure	313.96	374.37	428.18	14.37
Non-Interest Income	98.60	81.45	91.17	11.93
Non-Interest Expenditure	188.03	251.42	328.10	30.50
Gross Profit/Operating profit (a)	272.97	191.94	163.22	-14.95
Taxes	0	0	0	0.00
Deferred Tax Asset & Earlier year adjustments (excess)	0	0	0	0.00
Provisions and Contingencies (b)	208.66	55.18	-5.78	-110.64
Prior Period depreciation & rent	0	0	0	0.00
Net Profit(+)/Loss(-) (a-b)	64.31	136.76	169.00	23.65

Net Interest Income (NII)


Total interest income during the FY is Rs.828.33 Cr whereas the total interest expenditure is Rs.428.18 Cr. The net interest income is Rs.400.15 Cr during current FY as against Rs.361.91 Cr during the previous FY.





Interest Expenditure

- Interest paid on deposits has increased to Rs 397.27 Cr during FY.2024-25 as against Rs.349.79 Cr of last FY, an increase by Rs.47.48 Cr (13.57%).
- The Bank has paid Rs.30.91 Cr towards interest on borrowings (from SBI and NABARD refinance) during the FY 2024-25 as against Rs 24.58 Cr during last FY with an increase of Rs.5.73 Cr.




Operating expenditure

Operating expenditure has increased by Rs.76.68 Cr (30.50%) to Rs. 328.10 crore during the FY 2024-25 from Rs. 251.42 Cr in last FY 2023-24.

Interest Income

- Interest income increased from Rs. 736.28 Cr to Rs.828.33 Cr during FY 2024-25 with an absolute growth of Rs.92.05 crore (@ 12.50%).
- The Bank has earned an interest income of Rs.454.29 Cr from loans and advances in FY 2024-25 as against Rs. 370.66 Cr in 2023- 24 with a growth of Rs.83.63 Cr (@ 22.56%).
- The interest income received from investments stood at Rs. 374.05 Cr in FY 2024-25, increased by Rs.8.43 Cr at 2.31%, as against Rs 365.62 Cr in the last FY.



Provision for NPAs:

NPA of the Bank reduced to Rs.303.11 Cr as on 31.03.2025 from Rs.356.09 Cr as on 31.03.2024, thus the excess provision for NPAs of Rs.11.49 Cr is reversed to charges during FY.2024-25 and Rs.4.29 Cr has been provided for Standard Assets Provision, taking the total Provisions available on Advances to Rs.319.52 Cr (including cumulative provision of Rs.17.81 Cr on Standard Assets and Rs.301.71 Cr on NPA).



(Rs. in crores)

Assets	2022-23		2023-24		2024-25	
	Outstanding	Provisions	Outstanding	Provisions	Outstanding	Provisions
Standard	3258.99	9.77	4404.68	13.52	5729.89	17.81
Sub-Standard	24.68	2.46	18.58	18.58	27.94	26.54
Bad & Doubtful	446.88	388.58	315.12	315.12	256.75	256.75
Loss	26.68	26.68	22.39	22.39	18.42	18.42
Total NPAs	498.24	417.72	356.09	356.09	303.11	301.71
Total Advances	3757.23	427.49	4760.77	369.61	6033.00	319.52

Ratio Analysis

S.N	Ratios	2022-23	2023-24	2024-25	
				Amt / Ratio	% Change
1	Yield on advances	9.06	8.48	8.56	0.94
2	Yield on investments	7.26	7.48	7.57	1.20
3	Cost of deposits	3.94	4.19	4.33	3.34
4	Cost of borrowings	4.94	5.93	5.68	-4.22
5	Avg. cost of funds	3.98	4.27	4.40	3.04
6	Avg. return on funds	7.98	7.94	8.07	1.64
7	Cost of management	2.06	2.52	2.99	18.65
8	Misc .Income as % to Working Funds	1.08	0.82	0.83	1.22
9	Net Margin	0.73	1.38	1.55	12.32
10	Financial Margin	3.99	3.64	3.66	0.55
11	Risk Cost	2.29	0.55	-0.05	-109.09
12	Return on Assets	0.70	1.37	1.54	12.41
13	Expenses ratio	40.79	56.71	66.78	17.76
14	Gross NPAs	498.24	356.09	303.11	-15.30
15	Net NPAs	80.52	0.00	1.40	-
16	% Provisions to gross NPAs	83.84	100.00	99.54	0.00
17	% Gross NPAs to advances	13.26	7.48	5.02	-33.16
18	% Net NPAs to net advances	2.41	0	0.02	-
19	CRAR	10.83	12.37	12.58	1.70

Balance Sheet Size

The balance sheet size as on March 2025 is Rs. 11,734.97 Cr with an increase of Rs.1214.34 Cr over March 2024 level.

CAPITAL & RESERVES

Authorized Capital

Pursuant to The Regional Rural Banks (Amendment Act) 2015, the Authorized Capital of the Bank was raised from 50,00,000 Equity Shares of Rs. 10/- each aggregating to Rs. 5 crores to 200,00,00,000 Equity Shares of Rs. 10/- each aggregating to Rs. 2000 crores vide Govt. of India Gazette notification dated 12 May 2015 and NABARD circular No-156/IDD.09/2015.



Paid up Capital

The Bank's paid up capital stood at Rs 1683,08,72,780/- (168,30,87,278 shares of Rs 10 each) as on 31.03.2025, subscribed by Government of India, State Government and State Bank of India in the ratio of 50:15:35. The share capital position of our bank is as below:

(Amt in Rs)

Stakeholders	Share of Holdings	Capital as on 31.03.2024	Capital as on 31.03.2025
Govt. of India	50%	841,54,36,390	841,54,36,390
Sponsor Bank (SBI)	35%	589,08,05,470	589,08,05,470
Govt. of Odisha	15%	252,46,30,920	252,46,30,920
Total	100	1683,08,72,780	1683,08,72,780

The following table gives the position of Tier-I, Tier- II Capital, Reserves and computation of CRAR :

(Rs. in crores)

	Capital	2022-23	2023-24	2024-25
1	Tier -I			
	a. Paid up Capital	1653.69	1683.09	1683.09
	b. Share Capital Deposit	0.00	0.00	0.00
	c. Accumulated Loss	1308.44	1171.68	1002.68
	Total Tier -I Capital	345.25	511.41	680.41
2	Tier -II			
	a. Perpetual Bond	8.13	8.13	8.13
	b. General Provisions & Reserves	9.77	13.52	17.81
	Total Tier -II Capital	17.90	21.66	25.95
	Grand Total (Tier I + Tier II)	363.15	533.07	706.36
3	a. Adjusted value of funded risk assets i.e., balance sheet items	3313.02	4254.27	5566.87
	b. Adjusted value of non-funded risk assets i.e., balance sheet items	38.85	55.65	47.43
	c. a+b	3351.87	4309.92	5614.30
	d. Percentage of Capital (Tier-I + Tier II) to Risk Weighted Assets	10.83	12.37	12.58

Perpetual Bond

The share of cost of implementation of CBS amounting to Rs.8.13 crore was received from Sponsor Bank against issue of Perpetual Bonds as per directives of NABARD.

Net worth

Net worth of the Bank stood at Rs.680.41 Cr as on March'25 with a growth of Rs.169.00 Cr (33.05%) against Net worth of Rs. 511.41 Cr of last FY.

The Capital Adequacy Ratio (CRAR) has improved to 12.58% as on 31.03.2025 vis-a-vis 12.37% as on 31.03.2024 as against the minimum 9% CRAR stipulated by NABARD.



OPERATIONAL AND GOVERNANCE REFORMS IN RRBs (VIABILITY PLAN):


Bank had prepared a Viability Plan (3-year strategic roadmap) as per the instruction of DFS, vide Gol's letter no.7/8/2022-RRB dated 14.09.2022 on subject of Operational and Governance Reforms in RRBs and the same was submitted to DFS through NABARD on 29th September 2022 after being duly vetted by our Sponsor Bank & approved by the Bank's Board. DFS had also requested Indian Banks' Association (IBA) to coordinate with RRBs, Sponsor Banks and NABARD for providing technology adoption and up gradation to RRBs so as to enable them to serve customers more efficiently. DFS had emphasized the need for technology upgradation of RRBs, strategies for NPA reduction, IT initiatives, improving financial inclusion, enhancing credit delivery to rural areas and support being given by sponsor banks to RRBs.

Bank has submitted the revised Viability Plan targets for FY.2024-25 to DFS through NABARD on 18th June 2024, as per the NABARD instruction, which was duly vetted by our Sponsor Bank & approved by the Bank's Board. Bank has achieved most of the parameters under the Viability Plan target as on 31.03.2025.

Deposits

Deposits registered a growth of Rs. 1081.59 Cr over March 2024 level at a growth rate of 11.85%. Total deposits as on 31.3.2025 stands at Rs. 10211.11 Cr as against Rs. 9129.52 Cr as on 31.3.2024.

(Rs. in crores)



Deposit Mix

CASA deposits grew by Rs. 718.98 Cr at 12.65% to reach Rs. 6,401.76 Cr as on 31.03.2025 as against Rs. 5,682.78 Cr as on 31.03.24. Term Deposits grew by Rs. 362.61 Cr at 10.52%, to reach a level of Rs 3,809.35 Cr as on 31.03.2025 as against Rs. 3,446.74 Cr as on 31.03.2024. The share of CASA has increased to 62.69% as on 31.03.2025 from 62.25% as on 31.03.2024.

(Rs. in crores)

Deposit Mix	31.03.23	31.03.24	31.03.25
Current A/c	96.99	107.41	121.35
Growth	-31.15	10.42	13.94
Growth %	-24.31	10.74	12.98
Savings Bank A/c	4755.83	5575.37	6280.41
Growth	262.01	819.54	705.04
Growth %	5.83	17.23	12.65
Total CASA	4852.82	5682.78	6401.76
Growth	230.86	829.96	718.98
Growth %	4.99	17.10	12.65
Term Deposits	3192.55	3446.74	3809.35
Growth	171.44	254.19	362.61
Growth %	5.67	7.96	10.52
Total Deposits	8045.37	9129.52	10211.11
Growth	402.30	1084.15	1081.59
Growth %	5.26	13.48	11.85



Borrowings

The aggregate borrowings of the Bank stood at Rs.511.54 Cr as on 31.03.2025 as against Rs.559.18 Cr as on 31.03.2024.

	Institution	2022-23	2023-24	2024-25	Variance
1	NABARD	578.00	550.00	511.00	-39.00
2	NSTFDC (The National Scheduled Tribes Financial Dev. Corpn)	0.47	0.36	0.54	0.18
3	OD from Sponsor bank (SBI)	0.00	8.82	0.00	-8.82
	Total	578.47	559.18	511.54	-47.64

Investments

Total investments portfolio of the Bank has decreased by Rs. 273.92 Cr. @ 5.04% to Rs 5165.74 Cr. as on 31.03.25 from Rs 5439.66 Cr as on 31.03.24.

(Rs. in crores)

Investment	31.03.23	31.03.24	31.03.25
SLR	4338.98	3844.66	3381.49
Growth	-371.38	-494.32	-463.17
Growth%	-7.88	-11.39	-12.05
NON -SLR	5.00	3.00	3.00
Growth	2.75	-2.00	0.00
Growth %	122.22	-40.00	0.00
TDR with other Bank	1070.69	1592.00	1781.25
Growth	384.84	521.31	189.25
Growth%	56.11	48.69	11.89
Total Investment	5414.67	5439.66	5165.74
Growth	16.21	24.99	-273.92
Growth%	0.30	0.46	-5.04

Investment Policy:

The Investment Policy of the Bank was formulated in 2008 and the same was reviewed/ revised and approved by the Board from time to time. However, from the financial year 2018-19, we have adopted the model uniform investment policy circulated by our Sponsor Bank for its RRBs, conforming to the RBI guidelines, which was reviewed by the Board during Financial Year 2024-25.

SLR Investments

In terms of Section 24 of the BR Act 1949, the Bank has maintained investments in the avenues laid down in the Policy, to fulfill the SLR requirements. All SLR investments are made in GOI/State Govt. Securities/Sovereign Gold Bond only. The purchase and sale of Govt. Securities are undertaken through the Portfolio Management Services Department (Interest Rate Market Desk) of our Sponsor Bank, SBI.

Non SLR Investments

Non-SLR investments are in Mutual Funds and TDRs with other scheduled Banks. The Bank has been monitoring and following up for prompt receipt of principal & interest dues. There was no instance of income leakage from Non-SLR investment portfolio during the year.

CRR and SLR

The Bank has complied with the regulatory requirement of maintenance of adequate balances towards CRR and SLR. There is a well-laid down system of assessing the CRR and SLR requirements taking into account the NDTL. There was no default in maintenance of CRR / SLR requirements during the year. The Bank has kept



Rs. 410.89 Cr in CRR and Rs. 3,381.49 Cr in SLR as on 31.03.2025.

Credit Portfolio

The Credit portfolio of the Bank increased to Rs.6,032.99 Cr as on 31.03.2025, with a growth of Rs.1,272.99 Cr, from Rs.4,760.77 Cr as on 31.03.2024. It is mainly due to growth of Rs.86.14 Cr in KCC, Rs.625.14 Cr in SHG, Rs 231.65 Cr in Housing loans and Rs.381.97 Cr in Gold Loans during the FY.2024-25.

Credit to Agriculture

Total Credit to Agriculture and Allied activities including agriculture-portion of SHG lending, stood at Rs.3,046.26 Cr as on 31.3.2025 as against Rs.2,393.58 Cr as on 31.03.2024 with a growth of Rs.652.68 Cr mainly in KCC & SHG segment. However, the total number of Bank's loan accounts in Agriculture sector has increased from 276235 as on 31.03.2024 to 279170 as on 31.03.2025.

The Bank has disbursed Rs.2,861.91 Cr to agriculture during the FY 2024-25 as against the disbursement of Rs. 2074.56 Cr in previous FY (2023-24). There is an increase in disbursement of Rs.787.35 Cr from the previous FY due to maximum fresh sanction / enhancement /renewal in KCC & SHG accounts.

Total credit to agriculture and allied activities constitutes 50.49% of the total credit portfolio as on 31.3.2025 vis-à-vis 50.28% as on 31.03.2024. There is a marginal increase in percentage in Agri. Sector in the FY 2024-25 from the previous FY due to consistent growth in Agri-segment loans as well as SME and Personal Segment loans.

Further, as per the instruction of Reserve Bank of India, Bank has extended Collateral free agriculture loans including loans for allied activities up to Rs.2.00 lakhs per borrower.

Crop loans under Revised Kisan Credit Card System

As per the directions of Government of India and NABARD, we have implemented Revised Kisan Credit Card for crop loan borrowers from Kharif 2012. Loan limits are fixed for 5 years and documents are obtained for the maximum permissible limit. Year-wise limits are fixed basing on prevailing Scales of Finance and keeping in view the future cost of investment.

We have issued 213816 no. of KCCs as on 31.3.2025 with an outstanding credit of Rs.1575.69 Cr as against previous FY (2023-24) level of 218628 no. of KCCs with outstanding of Rs.1,522.64 Cr.

During the FY 2024-25, we have disbursed an amount of Rs.1342.09 Cr to 178244 KCC account holders as against Rs.1217.50 Cr to 171568 card holders during the FY2023-24.

Interest Subvention (Govt. of India)

As per Government of India guidelines, Bank is charging 7 % interest rate per annum (upfront) to all the short term crop loan borrowers with limit up to Rs.3.00 lakhs and GoI is providing 1.5% interest subvention to the Bank in this regard. Accordingly, Bank is in the process of submitting the claim of Rs.11.45 Cr towards 1.5% interest subvention on Short Term crop loans to GoI for the FY 2024-25. Further, as per the directives of GoI, we have passed on the benefit relating to 3% Prompt Repayment Incentive to farmers to the extent of Rs.12.82 Cr towards prompt repayment of short term crop loans up to Rs. 3.00 lakhs for the FY 2024-25 and the claim has been submitted to GoI accordingly.

Crop Loans - Interest Subvention (Govt. of Odisha)

Govt. of Odisha has issued new guidelines for providing interest subvention @2% on short term crop loan with limit upto Rs.3.00 lakhs & additional 2% interest subvention on short term crop loan for loans upto Rs.1.00 lakh for prompt repayment as per instruction contained in the letter SLBC/ODI/2023-24/710 dtd.02.12.2023. We have submitted our claim for Rs.8.35 Crore towards 2% interest subvention to prompt paying farmer availing short term crop loan upto a limit of Rs.3.00 lakh and Rs.4.63 crore towards 2% additional interest subvention to prompt paying farmers availing short term crop loan upto Rs.1.00 lakh for the FY 2024-



25. The interest subvention will be passed on to the beneficiaries after receipt of the claim amount from Govt. of Odisha.


Conducting of Village Level Meeting

All branches have conducted meeting at the village point for renewal of KCC. To ensure maximum coverage of farmers, meetings were conducted in the evening, morning hours and farmers were sensitized to renew their crop loans to be eligible for Crop Insurance in case of crop loss due to drought & natural calamities along with benefits of interest subvention provided by Govt. of Odisha and Govt of India making effective rate of interest to 0% p.a. for short term loans for agriculture and allied activities. Apart from operating staff at Branches, functionaries from Regional Offices and Head Office have participated in the meeting, which yielded good results in renewal of KCC. Night camps, login days were observed to maximize the KCC renewal percentage.

Self Help Groups

Our Bank has financed 61733 Self Help Groups (Covering about 6.17 lakh rural women) with an outstanding portfolio of Rs.1375.93 Cr as on 31.3.2025. The Bank has disbursed Rs.1502.75 Cr to 52062 Groups during the year 2024-25.

(Rs. in crores)



(Rs. in crores)



SHGs Interest Subvention:

Interest subvention scheme for Women SHGs under DAY-NRLM for the year 2024-25

Under the Scheme, all Women SHGs promoted by NRLM or other Central or State Government Line Departments or NABARD or any NGOs are charged interest rate @ 7% on loans up to Rs. 3.00 lakhs and @ 10% on loans above Rs.3.00 lakhs up to Rs.5.00 lakhs. Government of India subvents the Bank to the extent of 4.50% for loans up to Rs. 3.00 lakhs and 5.00% for loans above Rs.3.00 lakhs up to Rs.5.00 lakhs. Bank had claimed Rs.19.24 Cr towards Interest subvention from Government of India under NRLM for the year 2023-24 through NABARD NRLM portal. For the FY.2024-25, Bank is in process of submitting claim of interest subvention under NRLM. Further loans to SHGs, which are not covered under DAY NRLM, are charged at interest rate of 12.50% p.a.

Further, with introduction of Mission Shakti Scheme by Govt. of Odisha, for better visibility & creation of greater awareness among WSHGs, Govt. of Odisha has reduced the interest burden of WSHGs by providing loans at 0% annual interest to both Rural and Urban WSHGs. This facility is available, w.e.f 1st April 2022 through the state Interest subvention Scheme irrespective of their promoting agencies. Department of Mission Shakti, Govt. of Odisha has designed a SHG Bank Linkage and Interest Subvention (BLIS) portal in the financial year 2021-22 through which the appropriate interest subvention amount is calculated and passed on to the eligible WSHGs accounts through DBT mode. Our Bank has signed a MOU with the Department of Mission Shakti, Govt. of Odisha for sharing of WSHG details in the BLIS portal. Accordingly, the required SHG



data of our Bank for the year 2024-25 has been uploaded in the BLIS portal of Govt. of Odisha which will enable the concerned Department to pass on the appropriate interest subvention amount to the WSHGs through DBT mode without any manual intervention.

Priority Sector Lending

In terms of RBI Circular No: RBI/FIDD/2020-21/72, Master Direction Master Directions FIDD.CO.Plan.BC.5/04.09.01/ 2020-21, dated September 4, 2020, updated as on October 20, 2022, 75% of outstanding advances should be towards Priority Sector, which constitutes loans extended to (a) Agriculture (Farm credit, Agriculture infrastructure, Ancillary activities) (b) Micro, Small and Medium Enterprises (Manufacturing and Service Sector, KVI and OD to PMJDY) (c) Education (d) Housing (e) Social Infrastructure (f) Renewable Energy (g) Weaker Sections and (h) Others (SHG/JLG, distressed persons, Loans to State Sponsored Organizations for Scheduled Castes/Scheduled Tribes).

RRBs have to achieve target of 75% of their outstanding advances for priority sector lending. Targets under Priority Sector and its sub sectors along with the performance are as indicated in the table below.

Categories (of the total Advances)	Target in %	Position as at 31.03.2025 (in %)	
		Without PSLC	With PSLC
Total Priority Sector	75% of total outstanding	117.60%	94.26%
Agriculture	18% of total outstanding	78.90%	37.50%
Small and Marginal Farmers	10.00% of total outstanding	64.00%	22.60%
Micro Enterprises	7.50% of total outstanding	9.30%	14.50%
Weaker Sections	15% of total outstanding	83.00%	83.00%

(Rs. in Cr)

		2022-23		2023-24		2024-25	
		No. of A/cs	Outstanding	No. of A/cs	Outstanding	No. of A/cs	Outstanding
1	Weaker Sections	218854	2008.09	242278	2541.77	262218	3204.12
2	Women borrowers	122251	1140.41	152040	1554.61	191728	2101.33
3	Minorities	13433	56.16	13613	58.66	14229	56.22
4	SCs/STs	144296	1028.84	148635	1049.42	140504	1028.56

Priority Sector Lending Certificates

As per RBI master circular No. FIDD.CO. Plan. BC 23/04.09.01/2015-16 dated 07.04.2016 of PSLC, trading in e-Kuber portal is done on an ongoing basis. All traded PSLCs will expire by 31st March and will not be valid beyond the reporting date (March 31st), irrespective of the date it was traded.

We started trading in e-Kuber portal from FY 2017-18. During the FY 2024-25, we have sold PSLC of Rs.1600.00 Cr with premium gain of Rs.26.18 Cr and purchased PSLC of Rs.700 Cr with premium payment of Rs.0.07 Cr. We have earned a net premium gain of Rs.26.11 Cr during this FY against net premium gain of Rs.14.30 Cr during FY 2023-24.



Participation in State Credit Plans

The Bank's participation in State Credit Plan is as under:

(Rs. In Crores)

	Particulars	2022-23		2023-24		2024-25	
		Target	Achievement	Target	Achievement	Target	Achievement
1	Crop Loans	1031.73	1151.00	1088.44	1217.50	2221.41	1342.08
2	Other Agr. & allied activities	454.35	535.09	406.12	857.05	107.15	1519.83
3	Non Farm Sector (NFS)	697.98	1057.15	1210.75	1439.51	2102.23	760.04
4	Other Priority Sector (OPS)	389.96	160.66	380.31	270.06	353.63	452.64
5	Total Priority Sector	2574.02	2903.92	3085.62	3784.13	4784.42	4074.59
	% of achievement		112.82%		122.64%		85.16%

Retail Lending

During the year, along with sanitization of the existing portfolio, Bank has continued focus on retail lending to Housing, Mortgage Loans, Personal Gold Loans, MSME etc. Capacity building of the operating staff has been given top priority by conducting training programmes for diversification of the credit portfolio and to increase profitability. The year-end position is as under:

(Rs. In Crores)

Sl.	Segments	31.03.2023		31.03.2024		31.03.2025	
		No of A/Cs	Amt	No of A/Cs	Amt	No of A/Cs	Amt
1	Housing Loans	4320	328.98	5437	523.46	6608	701.01
2	Mortgage Loans	328	29.19	968	80.70	1626	136.01
3	Education Loans	142	4.11	83	2.48	64	2.29
4	Demand Loans	8033	95.73	8301	108.63	9415	151.66
5	NFS - Term Loan/MSME	9211	493.47	7568	666.91	8969	640.47
6	Personal Loans	926	17.35	755	16.02	684	15.88
7	Personal Gold Loans	97211	614.15	143384	924.03	185428	1280.18
	Total	120171	1582.98	166496	2332.23	212794	2927.50

Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India (CERSAI)

Our Bank had registered with CERSAI in terms of RBI guidelines and complied with the instructions. Equitable/Registered Mortgages and Hypothecation in respect of all our loans as on 31.03.2025, which are covered under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act), have been registered with CERSAI. With this, the details of the security interest created in favour of our bank is available on a public domain for search by citizens / other banks / FIs as a result of which the potential fraud/multiple financing against the same property can be prevented.

Our Bank is a member of four Credit Information Companies (CICs) viz. Transunion CIBIL India Ltd., CRIF High Mark Credit Information Services Private Limited, Equifax Credit Information Services Private Limited & Experian Credit Information Company of India Private Limited. The CICs collect and maintain records of



individuals' and non-individuals' (commercial entities) payments pertaining to loans and credit cards from Banks and other lenders on a fortnight basis. Using this information a Credit Information Report (CIR) and Credit Score is developed, enabling lenders to evaluate and approve loan applications.

Our Bank has been uploading the data on a fortnight basis in the web portals of the CICs and all Regional Offices and Branches are accessing the credit history of the loan applicants in their credit decisions. Our Bank is also giving priority to Dispute Resolution within the stipulated time. Any disputes

regarding CIBIL, CRIF of customers of our bank and other customers are raised to the appropriate authority of CIBIL and CRIF and are being followed regularly to resolve in the situated time period.

Asset Quality

Asset Management Hub (AMH) have been set up at 08 centers i.e. Berhampur, Sambalpur, Balangir, Bargarh, Phulbani, Bhawanipatna, Jeypore, Rayagada for centralized processing of credit proposals. It is acting as a tool for creation of quality assets and improving the performance of the bank, by using cost effective methods and business oriented approach. Presently, 08 nos. of Hub branch are acting as credit branch for the 88 Spoke Branches linked to it on the basis of geographic proximity, operational convenience and business level.

Loan Origination System:

To automate the Credit application processing System, Loan Originating Software (LOS) was implemented in the Bank. Branches are processing / sanctioning all KCC and Personal loan through LOS platform and other modules are on process to be implemented in the Bank.

CGFMU:

Our Bank has become a Member Lending Institution (MLI) with Credit Guarantee Fund for Micro Units (CGFMU) after signing an agreement on 05.06.2023 with NCGTC; to provide Credit Guarantee coverage to Micro, Small units especially without collateral & third party Guarantee and to enhance Government's efforts in promoting and developing entrepreneurship. Loans to Manufacturing, service sectors under MUDRA, Loans to JLG groups, Finance to SHG and over draft facility under PMJDY can be covered under this scheme. The Fund provides Guarantee against default in repayment of micro loans extended by the lending institutions.

CM-SRIM:

"Chief Ministers Scheme for reimbursement of interest to MSME's (CM-SRIM)" is applicable from FY 2023-24 which is implemented by Government of Odisha. The objective of the scheme is to help Manufacturing MSME units by way of reimbursing interest paid by them to the Bank on working capital loans availed from our Bank. Borrowers are claiming Interest Subvention under CM-SRIM through the designated portal and govt. of Odisha is reimbursing the interest amount on MSME loans.

MISSION SHAKTI SCOOTER YOJANA:

Govt. of Odisha has introduced a new scheme named MISSION SHAKTI SCOOTER YOJANA with an objective to provide "Interest Free Loan for purchase of Scooter by Mission Shakti Federation Leaders and Community Support Staff (CSS)." In the scheme Govt of Odisha has maintained a interest subsidy intermediary account at our Bolangir branch and parked advance fund to realize interest due in such Mission Shakti Scooter loans @12%p.a. on monthly basis. Under the scheme we have sanctioned 394 numbers of scooter loan as on 31.03.2025 and realized Rs.37.32 lakhs from Govt. of Odisha Advance fund towards interest due during 2024-25.

FINANCING FPO/ FPC:

FPO is a generic name, which means and includes Farmer· producers 'organization incorporated/ registered either under Part IXA of Companies Act or under Co-operative Societies Act of the concerned States and formed for the purpose of leveraging collectives through economies of scale in production and marketing of



agricultural and allied sector. Bank has formulated guidelines for financing Farmer Producer Organizations/ Farmer Producer Companies.

Further, Our Bank has signed a MOU with NABSanrakshan for providing collateral free loans with Credit Guarantee Coverage to FPOs/ FPCs for loans upto Rs.2.00 Crore. Bank has sanctioned 11 nos. of loans to FPOs/ FPCs amounting Rs.1.30 Crore during the FY 2024-25.

Management of Non Performing Assets:

The Non-Performing Assets have decreased by Rs.52.98 Cr to Rs.303.11 Cr as on 31st March 2025 from Rs.356.09 Cr as on 31st March 2024. Gross NPAs as a percentage to total advances has decreased from 7.48% as on 31.3.2024 to 5.02% as on 31.3.2025 and Net NPAs (as a percentage to Net advances) is 0.02% as on 31.03.2025.

(Rs. In Crores)

Assets	2022-23		2023-24		2024-25	
	Outstanding	%	Outstanding	%	Outstanding	%
Standard	3258.99	86.74	4404.68	92.52	5729.89	94.98
Sub-Standard	24.68	0.66	18.58	0.39	27.94	0.46
Bad & Doubtful	446.88	11.89	315.12	6.62	256.75	4.26
Loss	26.68	0.71	22.39	0.47	18.42	0.30
Total NPAs	498.24	13.26	356.09	7.48	303.11	5.02
Total Advances	3757.23	100.00	4760.77	100.00	6033.00	100.00

Strategies for NPA Reduction:

The following strategies were adopted to reduce / contain the NPAs:

- i. Monitorable Action Plan (MAP) prepared on quarterly basis and submitted to RBI, NABARD and performance presented to the Board for review.
- ii. Branch wise and Region wise targets allotted under different parameters for the purpose and being monitored on regular basis.
- iii. Monthly review of high value loans introduced for controllers based on the outstanding as under.
 - a. Rs.2 lakhs to Rs.5 lakhs by Manager Business of each Regional Office.
 - b. Above Rs. 5 lakhs by Regional Managers
 - c. Above 10 lakhs - regular fortnight review by respective General Managers and monthly review by Chairman.
- iv. Strengthening of SARB for follow up & recovery of high value NPAs.
- v. Allocation of NPA intensive Branches to officials of HO/RO for monitoring.
- vi. Intranet site was customized and strengthened to facilitate the branches to know their performance as well as other branches to create a competitive atmosphere among them.
- vii. Telephonic/personal call to the NPA borrowers by RO/HO officials.
- viii. Conduct of Recovery-cum-renewal camps.
- xi. Special focus on high value NPAs during P- Review meetings & NPA review meetings.
- xii. Various campaigns were launched for NPA reduction, progress monitored and top performers were felicitated by GM & Chairman .
- xiii. Seizure and auction expedited.



- xiv. Action under SARFAESI Act intensified by serving 13(2) & 13(4) notices and going for possession and auction.
- xv. Filing & follow up of DRT cases expedited.
- xvi. Special OTS scheme with Board approval implemented for loans with outstanding up to Rs. 5.00 lakhs.
- xvii. Active Participation in Lok Adalats ensured.
- xviii. Bank Adalats conducted every month.
- xix. Resolution agencies are engaged for SARFAESI action.

Salient outcome of such strategies are as under:

(Amt. in crores)

NPA KCC RENEWED/ UPGRADED		NPA SHG RENEWED/ UPGRADED		NPA SME & P-segment loans RENEWED/ UPGRADED	
No of A/c	Amt Reduced	No of A/c	Amt Reduced	No of A/c	Amt Reduced
7790	52.07	1165	15.98	3919	46.98

UGB Special OTS 2024-2025 was launched w.e.f. 01.04.2024, to reduce NPAs.

(Amt in Cr)

Outcome of UGB Special OTS as on 31.03.2025			
A/c	Amount O/s	Amount Settled	Amount Recovered
3807	12.49	7.24	5.85

Through SARFAESI action, recovery of Rs.7.61 Cr made in 167 no. of accounts.

For recovery in AUCA a special campaign "CONQUER AUCA" launched w.e.f. 01.04.2024 and as on 31.03.2025, Rs.14.89 Cr has been recovered.

Stressed Assets Recovery Branch (SARB)

Stressed Assets Recovery branch (SARB) was strengthened to handle high value NPA accounts and entrusted for migration of high value loans from the Branches and to start/continue Legal Action/ SARFAESI action. SARB is handling 133 nos of high value NPA accounts amounting to Rs. 13.22 Cr & 34 nos of AUCA accounts amounting to Rs. 5.18 Cr.

SARB has recovered Rs.2.73 Cr of net NPA and booked 21 nos of high value compromise proposals for Rs.2.22 Cr during the FY 2024-25.

Compromise settlements

Bank has recovered sizeable amount of NPAs during the year 2024-25 under compromise settlements which were overdue for several years.

(Rs. in crores)

Compromise	2022-23	2023-24	2024-25
No. of A/Cs	16963	17424	13286
Amount	86.06	62.98	31.52

These settlements include settlement of bad debts in Lok Adalats, Bank Adalats, UGB Special OTS, and other general compromises.

Internal Control System - Inspection & Audit

All activities of the Bank are subject to internal audit function, which mainly comprises of Risk Focused Internal Audit (RFIA) applicable for all the branches, Concurrent Audit covering 50% of the business of the Bank, Credit Audit for Loan limit of Accounts of Rs.5 crore & above, Compliance Audit of the Branches to verify the authenticity of the compliance submitted by the branches, SNAP Audits by ROs as & when required.



Special audit of 30 no. of branches was conducted for verification of proper record maintenance of the branches.

Risk Focused Internal Audit (RFIA)

The Risk Focused Internal Audit System has been implemented in the Bank from August-2013, as advised by our Sponsor Bank and the criteria were further refined with the Bank raising the benchmark for the Inspection ratings with effect from 08.11.2016. For further strengthening of the audit system the new format of RFIA has been introduced in the Bank w.e.f. 30.12.2017 as advised by the Sponsor Bank.

During the Financial Year 2024-25, 228 Branches were due for Audit based on its rating and 228 Branches have been audited.

The rating acquired by audited branches is as under:

Rating	Out of 228 Branches audited during 2024-25
Well Controlled - A+	17
Adequately Controlled - A	211
Moderately Controlled - B	Nil
Unsatisfactorily Controlled - C	Nil
Total	228

Out of 228 Audit Reports, which were due for closure during the year, 151 reports have been dealt with.

Concurrent Audit

As per the policy guidelines issued by NABARD, Concurrent audit was introduced in our Bank from the Financial Year 2017-18 to strengthen the internal control system. Currently, concurrent Audits are being conducted at 63 branches with the support of 10 Auditors, who have been selected from the Bank's retired officers and engaged on contractual basis.

The Scope of Concurrent Audit is designed to Verify the (a) Cash Transactions (b) Clearing transactions (c) Remittances/cheques for collection (d) Deposits (e) Loans & Advances (f) LC/BG (g) House Keeping (h) Verification of credit card/Debit Card (i) Audit of Customer Services Point (CSPs) (k) Others.

Web based Concurrent Audit System (WEBCAS) has been implemented to conduct Concurrent Audit of branches.

Compliance Audit

Compliance Audits were conducted in 120 branches to verify the authenticity of the compliance reports submitted by the branches in accordance with regulatory and internal guidelines.

Apart from this, the following audits have also been carried out to enhance the efficiency levels:

IS Audit & Cyber Security Audit:

The Data Centre of the Bank is subject to IS Audit every year. Accordingly, IS audit and Cyber Security audit was conducted at our data center Mumbai, Head Office, 1 Regional Office and 4 branches during Feb 2025 by CERT-IN Empaneled Auditor, M/s Avasure Technologies Pvt. Ltd.

The Scope of above audits were whether bank is complying all the relevant instructions according to NABARD guidelines on comprehensive Cyber Security framework for RRB and guidelines for Information Security and other checks and controls published by RBI related to Electronic Banking

Branches with limited IT architecture are covered during the RFIA audit.

AUA/KUA Audit:

As per UIDAI guidelines it is mandatory for every AUA/KUA to conduct annual audit and report should be submitted to UIDAI. As our Bank is an Authentication User Agency (AUA) as well as KYC user agency (KUA) the



AUA/KUA Audit of the Bank was conducted during Feb 2025 by CERT-IN empaneled auditor, M/s Avasure Technologies Pvt. Ltd.

APY Audit:

In terms of PFRDA circular No- PFRDA/2023/15/Sup-PoP/01 dated 29.05.2023 annual accounts and process maintained under APY are to be audited on annual basis by an independent external chartered accountant/audit firm. Accordingly, Bank has conducted APY audit for the period FY 2023-24 in April 2024 by the Central Statutory Auditor, M/s Tej Raj & Pal.

Credit Audit

Accounts with a sanctioned limit of Rs.5.00 crore and above were identified for credit audit. During the financial year 2024-25, credit audits were conducted for all 10 eligible loan accounts by senior officers of Scale-III and Scale -IV, possessing substantial experience in the advance portfolio. Additionally, all 7 credit audit reports for the previous financial year 2023-24 were dealt with.

Audit Committee of the Board

The Audit Committee of the Bank's Board has been constituted. The Deputy General Manager, (Agri), State Bank of India, Local Head Office, Bhubaneswar (Director in the Bank's Board) is the Chairman of the Audit Committee. The Deputy General Manager (NABARD), Odisha Regional Office, Bhubaneswar (Director in the Bank's Board), The Deputy General Manager, Reserve Bank of India, Bhubaneswar (Director in the Bank's Board) and the Deputy Secretary, Finance Department, Govt. of Odisha, Bhubaneswar (Director in the Bank's Board) are the members of the Audit Committee. The Committee has met 3 times during the year and monitored the inspection activities, asset management and accounting excellence of the Bank.

Risk Management Committee

As per RBI guidelines, and Sponsor Bank instruction, with the approval of the Board, Bank has formed a Risk Management Committee at Board Level and also one at Management level. The Structure of the committee are as follows:

Risk Management Committee (Board Level): Head of the Committee- Chairman OF the Bank

Members: Nominee Director (Sponsor Bank), Nominee Director (NABARD), Nominee Director (RBI)

Risk Management Committee (Management Level): Head of the Committee- Chairman OF the Bank

Members: GM-I, GM-II, GM-III, HOD (Advances), HOD (Planning & Development), HOD (Audit & Inspection).

The Committee has met at management level four times during the year, with detailed discussions held on all agenda items. Appropriate actions were taken based on the committee's recommendations.

Management Audit

The Management Audit of our Bank was conducted by our Sponsor Bank from 22/07/2024 to 26/07/2022 (Date of Report 14/08/2024). Compliance with the Management Audit Report executive summary and Main Report submitted on dated 13/09/2024 and 28.10.2024 respectively. and executive summary closed on 27.01.2025.

NABARD Inspection under Section 35(6) of the Banking Regulation Act 1949

The NABARD Audit for the financial year ending 31.03.2024 commenced on 15.07.2024, and the audit report is yet to be received.

Policy Framework of the Bank

Efforts have been made to identify all areas of Banking and put in place a policy framework for consistency in our approach. While framing the Policies, all extant instructions of Reserve Bank of India, NABARD, Sponsor Bank and general principles of banking as envisaged in various Acts governing the Banking, have been taken into account. Our Bank has the following policies now on record, duly deliberated in the Board Meetings and approved by the Board.



SI No	Name of the Policy	SI No	Name of the Policy
1	Investment Policy	32	Ambience Policy
2	KYC/AML Policy	33	BC Policy
3	IS & IT Policy	34	Cyber Security Policy
4	Compensation Policy	35	Grievance & Redressal Policy(Staff)
5	Feequent Dishonour of Cheque Policy	36	Complaint Handling Policy
6	IS Audit Policy	37	Cross Selling Policy
7	Compliance Audit Policy	38	Policy on Sexual harrassment of women at work place
8	HR Policy as per Mitra Committee Recommendations	39	Write Off Policy
9	Vacation Policy	40	Seizure Policy
10	Depreciation Policy	41	Customers Right Policy
11	Manual on Vigilance Administration and Disciplinary Action	42	Customers Grievance Policy
12	Electronic Waste (e -waste) Policy	43	Interest Rate Policy
13	Fraud Risk Management Policy	44	Financial Inclusion and Business Corresponding Policy
14	Whistle Blower Policy	45	Compromise Settlement Policy
15	Compliance Policy	46	"Purchase & Procuremnet Policy
16	Mobile Banking Policy	47	INB Policy
17	Outsourcing Policy	48	Premises Rent Policy
18	Asset Management Hub Framework Policy	49	Record Retention Policy
19	DEAF Policy	50	Banking Ombudsman Policy
20	Assets & Liability Management Policy	51	Cash Management Policy
21	ICAAP Policy	52	Delegation of Financial Power Policy
22	Concurrent Audit Policy	53	Branch Visit Policy
23	Internal Audit Policy	54	Cheque Collection,Dishonour & Compensation Policy
24	Training Policy	55	Policy for General Management of Branches
25	Transfer Policy	56	Safe Deposit Locker Policy
26	NPA Management Policy	57	Policy For Empanelment De - panelment Of Lawyers
27	Loan Policy	58	Credit Information Company Policies
28	Credit Risk Management Policy	59	Bank Deposit Policy
29	Risk Management Policy	60	Insurance Business Policy
30	Medical Insurance Policy	61	Payment and Settlememnt Policy
31	Policy on empanelment of Investigtive agencies		



These policies are meant to help ensure that the Bank has an effective and proven systems and procedures on every key area of the Bank's functioning. The policies also guide the operating staff to comply with the regulatory requirements.

Financial Inclusion

As part of financial inclusion, the bank has deployed 1221 CSPs through 6 (Six) Corporate Business Correspondents (BCs). The Corporate BCs working for the Bank are CSC e- Governance Services India Limited, Organisation for Development Integrated Social and Health Action (ODISHA), FIA Technology Services Pvt. Ltd., Samvridhdi Inclusive Growth Network (SIGN), Zero- mass Pvt. Ltd. (ZMPL) & Odisha Livelihood Mission (OLM) to provide basic banking facilities in 10887 villages out of which 315 villages are with population of 2000 and above and remaining 10494 villages with a population less than 2000.

The CSPs carry out the banking transactions on real time basis at the fixed location Kiosks in our CBS platform. The following banking transactions are enabled at Bank Mitra Points:

- a. Opening Savings Bank & Recurring Deposit Accounts
- b. Cash withdrawal and deposit.
- c. Deposit in Loan Accounts
- d. AEPS transactions both On-us and Off-us, financial and non-financial such as Balance enquiry and Mini-statement.
- e. Enrollment of Social Security Schemes such as PMSBY, PMJJBY & APY.
- f. Remittance of funds through IMPS.
- g. Collection & Recovery of Loan / CC accounts dues
- h. Sourcing of KCC/SHG Renewal Proposals

The entire Financial Inclusion (FI) operations at KIOSKs work on the principle of Biometric authentication of the beneficiaries and are online, hitting our CBS server instantly, which facilitates updation of transactions carried out by CSPs on real time basis in CBS Server.

After implementation of KIOSK Common version since June-2022, CIF based account opening and transactions are discontinued and account opening through e-KYC and Aadhar based transactions only are permitted.

The following is the share of transactions (%) performed at CSPs as compared with the total bank transactions.

Sl. No.	Transactions at CSPs	% of Total Transaction	
		2023-24	2024-25
1	Cash Withdrawal & Deposit transactions	0.07	0.07
2	AEPS -Onus	11.85	12.16
3	AEPS -Off us	3.68	3.78
4	RuPay Card transactions	0.01	0.01
5	Total overall percentage.	3.63	3.59

As at the end of the FY 2024-25, no. of SB Accounts opened and maintained by Bank Mitras is 12,55,752 with a CASA balance of Rs. 369.29 Cr and no. of RD Accounts opened and maintained by Bank Mitras is 1221 with a balance of Rs. 0.53 Cr.

Social Security Schemes (PMJJBY, PMSBY & APY)

In order to provide life and accidental insurance cover to all eligible customers under PMJJBY, PMSBY & APY and achieve the target under PMJJBY, PMSBY & APY a campaign named "DHARA SRAVANA, DHARA SRAVANA 2.0, EARLY ACHIEVERS, SISIRA SARATA, MOMENTOUS NOVEMBER & VICTORIOUS DECEMBER" were launched during the FY.



Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)

Bank has enrolled 159218 new customers under PMJJBY during FY 2024-25, taking the total accounts to 409351. A total of 424 claims were settled for Rs.848.00 lakhs under PMJJBY during FY 2024-25.

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)

Bank has enrolled 298298 new customers under PMSBY during FY 2024-25, taking the total to 1177202 accounts. A total of 89 claims were settled for Rs. 177.00 lakhs under PMSBY during FY 2024-25.

Atal Pension Yojana (APY)

Bank has enrolled 48647 new customers under Atal Pension Yojana (APY) during FY 2024-25, taking the total to 157230 accounts. Our Bank was felicitated by PFRDA with Award of "Wondrous Warrior of Winning Wednesday Campaign" for the months of September 2024 and also 'Warrior' Award for November & December 2024 respectively. Additionally, our bank was felicitated by PFRDA with Award of "APY TRENDSETTERS (05.06.2024-31.07.2024)", "APY EARLY ACHIEVERS (05.06.2024-30.09.2024)", "APY RETIREMENT REVOLUTIONARIES (05.08.2024-05.10.2024)", "APY MEGA MILESTONE AWARD with Exemplary Milestone (05.06.2024-05.10.2024)" & "APY OLYMPICS with Champion Medal (20.11.2024-31.12.2024)" during the FY 2024-25.

Financial Literacy Week (FLW)

Our Bank observed Financial Literacy Week from 24th February to 28th March 2025 on the theme of "Financial Literacy- Women's Prosperity" which aligns with overall strategic objectives of the National Strategy for Financial Education 2020-2025. The focus was on the following sub themes.

- a) Financial Planning
- b) Saving & Risk Management
- c) Availing credit for Growth

The publicity material in the form of pamphlets, brochures and banners were distributed during the camps to spread the message of financial awareness among the customers.

Swachh Bharat Abhiyan

The cleanliness campaign of 2024-25 named "Special Campaign 4.0 for institutionalizing Swachhata and minimizing pendency in Government Offices" was observed from - 2nd Oct to 31st Oct, 2024 in which most of our branches, Regional Offices and Head Offices have participated and served as a great initiative in making people aware of the importance of cleanliness.

Aadhaar Enrolment and Updation Centres

Our Bank has opened Aadhaar Enrolment centres at 45 locations i.e. 10% of the Branch network as per UIDAI guidelines to extend Aadhaar enrolment and updation services to the public including our customers. As per revised UIDAI guidelines, Bank has migrated from outsourcing to in-house model by deploying own Aadhaar KITS in 30 active centres ; however operators are continued to be outsourced from the existing service provider, M/s ODISHA.

Customer Value Enhancement (CVE):

SBI Life Insurance

Our Bank is enrolled as a corporate agent of SBI Life Insurance Corporation Limited, to meet the life insurance needs of the Bank's customers, as part of Financial Inclusion apart from earning non- interest income. The Bank mobilized a New Business Premium (NBP) of Rs.28.37 Cr and earned a commission of Rs.6.10 Cr during the FY 2024-25 against the NBP of Rs.19.87 Cr and commission of Rs.4.05 Cr during FY 2023-24.

SBI General Insurance

We have commenced SBI General Insurance Business since the FY.2016-17 as a Corporate Agent to market Insurance products focusing on Group Health Insurance Scheme, Group Personal Accidental Insurance



Scheme apart from insurance of the Assets financed by the Bank to the eligible and willing customers. During FY 2024-25 Bank booked New Business Premium (NBP) of Rs.8.54 Cr and earned a commission of Rs.0.72 Cr against the NBP of Rs. 4.27 Cr and commission of Rs. 0.37 Cr during FY 2023-24.

SBI Mutual Fund

With a view to provide an alternate avenue of investment to customers, Bank has made an arrangement with SBI Mutual Fund to act as a distributor of mutual funds since 2018. Bank has mobilized 4789 no. of fresh SIPs and lumpsum business of Rs.17.79 Cr during this FY against 1494 no. of fresh SIPs and lumpsum business of Rs.2.Cr during last FY. Bank has earned a commission of Rs.8.40 lakh during FY against Rs.0.15 lakh during the FY 2023-24.

IT INITIATIVES IMPLEMENTED DURING FY 2024-25

Bank has implemented below IT service, which are currently live and running:

1. Own Domain (ukgb.in) mail
2. AEPS-Aadhar pay
3. RTGS & NEFT
4. IMPS (Immediate Payment Services in branches and Kiosk)
5. Micro ATM
6. Digital Account Opening (Video based KYC and Insta account)
7. Missed Call Alert
8. Swayam passbook Kiosk
9. Internet Banking (Within bank and outside fund transfer including NEFT/RTGS/IMPS, green PIN generation, Social Security Scheme PMJJBY/PMSBY/APY Enrollment, E-STDR/TDR/RD creation, premature closure and auto renewal, Online ATM card request, Cheque book request and cheque related services(Stop payment/ Remove Stop)
10. Whatsapp Banking(Balance enquiry, mini statement, Account Statement, Location of branches, information on rate of interest).
11. Account Aggregator (FIP and FIU)
12. BEPG (Bharat E-Commerce Payment Gateway)
13. KCC-ISS integration.
14. Aadhar Vault
15. Loan Originating System (LOS)
16. Assets and Liability Management (ALM)

Bank has implemented below IT services during FY 2024-25:

Contactless Debit Card: A contactless card is a credit, debit, or prepaid card that uses radio frequency identification (RFID) or near-field communication (NFC) technology to make payments without needing to insert the card into a reader. It is required to simply hold the card near the reader for a few seconds, for processing of payment transaction. Our bank is issuing contactless debit cards since 04.07.2024.

Bharat Aadhar Seeding Enabler (BASE) functionality:

It is a platform launched by the National Payments Corporation of India (NPCI). It facilitates Aadhaar Seeding and De-seeding activities in a self-service mode, primarily for Direct Benefit Transfer (DBT) programs. This platform allows citizens to:

Request Aadhaar Seeding

Move Aadhaar Seeding from one bank to another bank



Check service status

View Aadhaar Mapped Status and Mapping history

This initiative aims to make the process more accessible and user-friendly by enabling these activities digitally. Our Bank is on live on BASE since 08.10.2024, and our customers can themselves seed/deseed Aadhaar through BASE.

Implementation of Proxy Solutions:

A Proxy Server acts as an intermediary agent between its clients and the servers which they want to access, performing functions directed towards a variety of purposes, like security, caching, etc, in its capacity as an intermediary. Proxy service has been implemented in our bank since dtd.27.12.2024 for accessing 3rd party URLs and the bank's emailing solution through the CBS branch network which is provided by our ASP, C-Edge. This functionality enables our branches to access the required 3rd party websites and URLs such as PMFBY (crop insurance), UIDAI, Bhulekh, Banks' outlook mail etc. through our secure CBS network.

Implementation of Mobile Banking:

After getting approval from RBI on dtd. 13.12.2024, our bank has implemented and is live on Mobile Banking since 18.01.2025, Our Mobile banking application is available on Google play store and App store as "Utkal Mobile Banking". Now our customers can perform transactions within or outside of our bank through different channels such as NEFT/RTGS/IMPS and can use different services as below:

1. Intra Bank Money transfer to own account
2. Intra Bank Money transfer to others account
3. Inter Bank Money transfer to other account
4. Online FD/ RD account Opening
5. Online Premature closure of FD/ RD accounts
6. ATM Pin generation
7. Social Security Enrolment (e.g. PMJJBY, PMSBY and APY)
8. Online Cheque book request
9. Online Cheque book related services (Cancellation, stop cheque)
10. ATM Channel and Limit control
11. ATM card Activation/Deactivation and card blocking
12. Online Nomination
13. Online Submission of 15G/15H

BBPS integration in INB & Mobile banking:

Bharat Bill payment system (Bharat Connect) is an integrated platform connecting banks and non-bank entities offering bill payment services with various billers. BBPS provides a single, interoperable platform for bill payments across categories like electricity, mobile, DTH, gas, water, etc. Our Internet banking and mobile banking applications are now enabled with BBPS through Billdesk (Indialdeas.com) and our customers are now able to make payment of various services such as electricity, mobile, DTH, gas, water, credit card etc.

EaseGrieve Application: It is an application for handling grievances of employees which is developed in house in line with the employees grievance redressal policy of bank. In this application employees can register themselves and submit their grievances or complaints which will be presented to "Employees grievance redressal committee" and which is resolved at regular intervals and information is also provided to the concerned employee.

DLP and IRM in Microsoft Outlook 365 mail:

DLP (Data Loss Prevention) focuses on preventing sensitive information from leaving an organization's control



via email. DLP solutions scan email content and attachments for sensitive data (e.g., Aadhar, financial data) based on defined rules and policies. When a violation is detected, DLP can take actions like blocking the email, quarantining it for review, or warning the sender. The primary goal of DLP in email is to mitigate the risk of accidental or intentional data leaks.

Information Rights Management (IRM), on the other hand, focuses on controlling what recipients can do with an email and its attachments after it has been sent. IRM solutions apply persistent protection to the email content, restricting actions like forwarding, printing, copying, or saving by unauthorized users. Even if an email is accidentally forwarded, IRM ensures that only intended recipients with the correct permissions can access and use the information as intended.

Bank has implemented the DLP and IRM in all the O365 email IDs in this FY.

WEBCAS (Web based Concurrent Audit System) is made live in our bank. WEBCAS is a Web-Based application and is designed to cater to the needs of Banks in carrying out the complete Internal Audit process in electronic form.

OTMS (Offsite transaction Monitoring system) is made live in our Bank. It's a web-based solution that generates deviations and exceptions, based on certain business rules defined by bank and it is designed for monitoring of suspicious/doubtful transactions made at branches during day-to-day operation in CBS. All the exceptions are being attended to by the Branches promptly.

Fraud Risk Management: Fraud Risk Management application, designed for detecting payment fraud or suspicious activity by monitoring account and customer level behaviour is implemented in our Bank for ATM/POS as well as for IMPS channels.

Based on the rules defined by the bank, exception transactions have been reported and received by us, via daily automated reports in mail and for one exception transactions are getting declined if it satisfy the rule criteria.

Information Security:

The Bank pays utmost importance towards safeguarding the information technology assets of the bank. The Bank has formulated Information Security Policy, Information Technology Policy and implemented after obtaining Board's approval. As a policy, the Information technology assets of the bank at our Application Service Provider M/s C- Edge Technologies Ltd, are subjected to information security review on yearly basis by an external IS audit agency. Bank's controlling offices are subject to Information Security Audit by external agency at periodic intervals.

Biometric authentication system for login to the CBS application is implemented across all branches. This eliminates login of unauthorized persons into the application and also aids in fixing accountability for any frauds or malpractices.

Also, the bank has replaced all the EOL(end of Life) systems and desktops with newly procured systems and for enhancing systems security, Active Directory Services(ADS) and Antivirus has been implemented in all the desktops and systems in all branches and offices.

Branch Connectivity Upgradation:

The CBS platform functions on Wide Area Network (WAN), which functions on connectivity provided through various carriers like VSAT, 4G, RF and SD-WAN.

As the volume of transactions have increased over the years, to enable branches to perform transactions at a faster rate, up gradation of the branch connectivity to 2 Mbps RF has been taken up. As on 31.03.2025, 433 branches have been upgraded to 2 Mbps RF/4G/VSAT connectivity. SD-WAN is implemented at 405 branches as on 31.03.2025.

Besides, 433 branches have also been migrated to server less JAVA application as on 31.03.2025.



Security Measures - CCTVs and Burglar Alarm Systems

Physical security systems that effectively protect the Bank assets, customers and employees assume paramount importance in view of increasing incidence of robberies, mischief. The Bank has provided CC TV Cameras, Burglar Alarms & Fire extinguishers to all 433 branches of the Bank.

Customer Service & Complaints Management System

Complaints provide useful feedback to review and revisit our activities and systems and procedures. A genuine complaint from a customer means an opportunity to the Bank to upgrade our skills and efficiency. The Bank has put in place complaints/ grievances redressal policy to redress the grievances of the customers and improve the quality of customer service. The Bank has emphasized on timely disposal of complaints and follow up system has been strengthened to dispose off the complaints within set timelines. Branches are conducting customer meets where their views and feedback are solicited in order to take corrective steps, wherever necessary. Regional Managers concerned are attending the customer meetings whenever feasible. The following system of monitoring of complaints for their redressal and submission of compliance is in vogue:

Nature of Complaints	Officer incharge at Regional Office/BranchLevel	At Head Office Level
General Complaints (Other than vigilance nature)	Branch Manager (At Br level) Regional Manager (at RO level)	Chief Manager (Accounts & Compliance) General Manager of respective network
General Complaints (Vigilance nature)	- -	General Manager (Vigilance) Chairman
Complaints from Banking Ombudsman	Regional Manager /Branch Manager	Head of the Dept. (Accounts & Compliance) General Manager of respective network

The status of complaints received is being put up to the Board of Directors in every Board meeting for their information and review.

A Sub-Committee in the name of the 'Customer Service Committee' has been constituted at the Board level. Also, Customers Service Standing Committee is in place at Branch level, Regional Office level and Head Office level.

Customer Complaints : Status as on 31.03.2025

S No.	Particulars	No.
1	No. of Complaints pending at the Beginning of the year	0
2	No. of Complaints received during the year 2024-25	170
3	Total Complaints	170
4	No. of Complaints Redressed / Disposed-off during the year	170
5	No. of Complaints pending at the end of the year	0



For complaints received through Banking Ombudsman, General Manager-I is designated as "Principal Nodal Officer" of the Bank at Head Office. The position of complaints received through/ from Banking Ombudsman during the year is as below:

S No.	Particulars	No.
1	No. of Complaints pending at the Beginning of the year	0
2	No. of Complaints received during the year 2024-25	45
3	Total Complaints	45
4	No. of Complaints Redressed / Disposed-off during the year	45
5	No. of Complaints pending at the end of the year	0

Whistle Blower Policy: With an objective of providing an avenue for raising concerns related to frauds, corruption or any other misconduct whistle blower policy is also in place.

Right to Information Act:

The Bank implemented the Right to Information Act, 2005 in letter & spirit setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of bank in order to promote transparency and accountability in the working of Bank's various functionaries.


	CAPIOs	CPIOs	Appellate Authority
Branch	Branch Manager	Regional Manager	General Manager
Regional Office	Regional Manager	General Manager	Chairman
Head Office	Head of the Department (Accounts & Compliance)	General Manager	Chairman

Under RTI Bank has received 43 applications and 5 appeals during the FY 2024-25, which were disposed off within the stipulated time frame.

Human Resource Management

As at the end of FY2024-25, the staff and its composition are as under:

Category	No. of staff
Officers OS-IV	5
Officers OS-III	26
Officers OS-II	261
Officers OS-I	526
Customer Service Associate	611
Office Assistant	52
Total	1481





During the year, 56 staff members have retired, 86 staff members have resigned, 3 Staff members have expired and 1 Staff member has been dismissed from the Bank's Service.

Recruitments

Based on the recruitment year 2024-25, Bank has posted 13 OS-II, 74 OS-I & 119 CSA during 2024-25. However, 8 nos. of CSA were appointed on compassionate grounds.

Promotions

During 2024-25, 45 CSA were promoted to Officer Scale-I, 40 Officer Scale-I to Officer Scale-II, 6 Officer Scale-II to Officer Scale-III & 1 Officer Scale-III to Officer Scale-IV.

Training-Staff Learning Centre (UGBLC)

The Bank had laid down a Training Policy, which envisages training to all staff members, at least once in three years for officers, once in four years for CSA and once in five years for Office Assistants. This year 236 Officers were deputed to external training institutions like RBI (Bhubaneswar), BIRD (Lucknow, Mangaluru & Kolkata), SBIRB (Hyderabad) to attend trainings on important subjects like NAMCABS MSME Finance, SME, CFT/AML, e-KYC, Preventive vigilance, NPS, RISK & Recovery, Legal aspects, Reservation policy, Cyber Security Credit Appraisal for Bankers, Security features of bank notes & Note refund rules etc., 96 Officers (SC/ST) and CSA (SC/ST) for Pre-promotional training at SBILD (Gopalpur & Rourkela). Newly joined Officers and CSA have been given induction training at SBILD (Gopalpur & Rourkela). Further in house Training programme has been arranged for 279 Staff members of the Bank.

Staff welfare Measures

Group Personal Accident Insurance Policy

Most of our staff members are youngsters and travel by road, frequently for various official works viz. Cash remittance, field visits for recovery and inspection of units, review meetings etc., and are exposed to the risk of road accidents and face a life threat also.

We have taken the Group Personal Accident Insurance Policy with the following sum insured to create a sense of security among the staff members and build loyalty to the organization.

Sl No.	Cadre	Sum Insured
1.	Officers	Rs.10.00 lakh
2.	Customer Service Associate	Rs.5.00 lakh
3.	Office Assistant	Rs.3.00 lakh

Medical Insurance for hospitalization

Medical Insurance for hospitalization for all existing staff has been renewed with United India Insurance w.e.f 01.04.2025 . The coverage is Rs. 4.00 lakhs for officers and Rs. 3.00 lakhs for Customer Service Associate & Office Assistant.

Gratuity and Leave Encashment Fund

The Bank has taken care of provisional requirements in respect of Gratuity and Leave Encashment. The total corpus as on 31.03.2025 is to the tune of Rs.69.80 crores towards Gratuity and Rs.28.23 crores towards Leave Encashment.

Pension Scheme in the Bank

The Bank has introduced Utkal Grameen Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 and Utkal Grameen Bank (Officers' and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part III, Section 4 vide Notification No.533 dated 24.12.2018. The Revised Pension Scheme for Regional Rural Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024 was implemented in our Bank with effect from 01.11.1993, following Board approval and instructions from the Department of Financial Services,



Ministry of Finance, Government of India, as per their letters F.No. 8/4/2024-RRB, dated 03.10.2024, and F.No. 8/20/2010-RRB, dated 03.10.2024, in compliance with the order of the Hon'ble Supreme Court. Furthermore, in accordance with the instruction of the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, a total amount of Rs.82.55 Crores has been paid towards 100% settlement of pension arrears, effective from 01.11.1993, to all eligible pensioners, family pensioners, and fresh optees. The Bank has amortized the increased pension liability of Rs. 82.55 Crores over a period of five years, with 20% of the total pension liability being expensed each year, starting from the financial year ending March 31, 2025, in accordance with the Reserve Bank of India circular RBI/2024-25/127/DOR.ACC.REC. No.67/21.04.018/2024-25 dated March 20, 2025.

Wage Revision

The Bank has paid a total of Rs.36.48 Crores towards the 12th BPS wage revision. The Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, via its letter no. 8/1/2023-RRB dated 18.09.2024, has conveyed its approval for the implementation and grant of computer increments to all employees of our Bank who were in service or probation as of 01.11.1993. In this regard, a total amount of Rs.33.38 Crores has been paid towards 100% settlement of arrears.

Industrial Relations

The Management and Officers Association and Employees Union have worked in tandem for the welfare of the staff members and business development, sorting out routine issues with amicable solutions. Cordial and amiable working atmosphere has prevailed during the year.

Welfare of SC/ST and OBC Employees

The Bank has maintained cordial relations with the SC/ST Welfare Council/Association, OBC Welfare Association and complied with statutory requirements in all aspects of recruitments, promotions etc. The Bank has identified one liaison officer for SC & OBC staff members and another liaison officer for ST staff members to route the grievance in proper channel. The Bank has taken all steps to keep up the morale and motivation of the employees.

Policy on Sexual Harassment of Women at Workplace

Internal Complaint Committee has been formed and is functional at Head Office & Regional Offices.

Payment of Ex-gratia

The Bank has implemented the GOI instructions, contained in the notification No: F.20/5/ 2003-RRB dated 9.6.2006, on payment of ex-gratia in lieu of appointment on compassionate grounds for the legal heirs of the bereaved staff members and also to the staff who are chronically sick and immobile on sick grounds.

Compassionate Appointment:

The Bank has implemented the scheme for appointment under Compassionate grounds, after approval from Bank's Board in the meeting held on 26.02.2019, in terms of NABARD direction vide letter no.NB.IDD.RRB/1216/316//2018-19 dated 09.01.2019 in line with GoI, MOF, DFS letter F.No.7/38/2014-RRB dated 31.12.2018& revised guidelines issued by GOI, DFS, MOF vide its letter no. F.No.8/1/2023-RRB dated 4th August 2023 for dependent family member of deceased permanent employee of the Bank.

Vigilance Administration

As our Bank is growing in size and there is infusion of young and inexperienced workforce, vigilance together with sensitization of staff to be vigilant has been a thrust area.

The set up of Vigilance administration in our Bank has been introduced with the active involvement of Sponsor Bank vide their letter No: A&S/RRB/SKJ/ 415 dated 12th Sep 2017 and after obtention of Board's approval. The setup has been further strengthened by implementation of revised vigilance administration in our Bank w.e.f. 15.02.2021 vide Sponsor Bank Letter No. A&S/RRB/ HD/424 dt. 29.01.2021, after obtention of



Board's approval. According to the revised vigilance administration, the Chief Vigilance Officer (CVO) of State Bank of India is overseeing the Vigilance Administration of our Bank, through ACVO (Additional Chief Vigilance Officer) appointed by DFS (Department of Financial Services) and posted at State Bank of India, Corporate Office, Mumbai. The ACVO is regularly monitoring the vigilance activities of our Bank and tendering CFA, FSA and SSA (as required) in case of all officers and award staff of our Bank. ACVO is also monitoring the following vigilance activities:

i) Review of pendency of the vigilance cases (ii) Implementation of Complaint Handling Policy and Whistle Blower Policy (iii) Preventive Vigilance Committee (PVC) meetings (iv) Regular Preventive Vigilance visits of branches by Vigilance Department officials, (v) Job rotation (vi) Submission of Annual Property Returns of the Officers, (vii) Examination of Staff accountability position (viii) Regular vigilance related training programs for officials, (ix) Fraud monitoring and (x) Timeline for disposal of Disciplinary Cases.

The post of CVO (Chief Vigilance Officer) in our Bank has been re-designated as General Manager (Vigilance).

Vigilance Awareness week: The Bank has organized Vigilance Awareness Week (VAW) from 28th October to 03rd November, 2024 in the Head Office, Regional Offices and Branches.

Board:

The Board of the Bank is constituted by

- (a) Chairman of the Bank
- (b) Two non-official directors appointed by Government of India
- (c) One nominee director each from Reserve Bank of India and NABARD
- (d) Two nominee directors from Sponsor Bank
- (e) Two nominee directors from state Government of Odisha.

With Chairman of the Bank as Chairman of the Board.

Board Meeting Rules stipulate that the Board meets minimum six times a year, at least once in a quarter. During the calendar year 2024, 06 meetings were held. The minimum quorum required for a meeting of the Board to transact business is four and no meeting was adjourned for want of quorum. Meetings of the Board during the calendar year 2024 were conducted on 22.03.2024, 01.05.2024, 28.06.2024, 02.08.2024, 07.11.2024 and 30.12.2024.

Attendance of Directors at Board Meeting during the calendar year 2024:-

Sl No.	Name of the Director	Designation	W.E.F.	No. of Meetings held	No. of Meetings attended
1	Shri Alekha Chandra Beura* Shri Surya Kanta Dash	Chairman of the Bank	17.09.2020 26.06.2024	2 4	2 4
2	Non official Director - vacant	-	-	-	-
3	Non official Director - vacant	-	-	-	-
4	Shri Rahul Kanta	RBI Nominee Director	15.05.2023	6	6
5	Shri Kamalakanta Pattnaik	NABARD Nominee Director	16.06.2022	6	6
6	Shri Shailesh Chandra Bhatt	SBI Nominee Director	07.12.2023	6	4
7	Shri Priyadarshan	SBI Nominee Director	03.09.2021	6	6
8	Shri Tarakanta Bhakta	State Govt. Nominee Director	17.07.2020	6	6
9	State Govt. Nominee Director-Vacant	-	-	-	-

*These members are replaced during current FY by the new members in the Board.



The Board has undergone the following changes in the composition on account of transfer of officials during the year:-

Bank Chairman, Shri Alekha Chandra Beura has been replaced by Shri Surya Kanta Dash.

The Bank placed on record the invaluable guidance and services rendered by the outgoing chairman Shri Alekha Chandra Beura.

Acknowledgements

The Board of Directors of the Bank express their sincere gratitude for the continued trust and patronage received from the customers who have stood with the Bank all through.

The Board takes immense pleasure in expressing their gratitude to Sponsor Bank, Government of India, Government of Odisha, Reserve Bank of India, NABARD, NPCI, UIDAI, PFRDA & other Financial Institutions and Banks for their unflinching and valuable support, guidance and cooperation extended from time to time.

The Board also expresses sincere thanks to all the District Collectors, Project Directors of DRDA and other Govt. Departments of Bolangir, Subarnapur, Bargarh, Sambalpur, Deogarh, Jharsuguda, Sundargarh, Kalahandi, Nuapada, Kandhamal, Boudh, Koraput, Malkangiri, Rayagada, Nabarangpur, Gajapati & Ganjam districts in Odisha, for their support and encouragement.

The Board acknowledge the support and services rendered by the Technology Service Providers viz., M/s C-Edge Technologies, Mumbai and Corporate Business Correspondents.

The Board extends its heartfelt gratitude to M/s Agasti & Associates, the Central Statutory Auditors of the Bank and other Statutory Branch Auditors for their cooperation in completing the Audit of the Bank's Financial Statements for the Year 2024- 25 in time.

The Board also expresses its gratitude to the Print and Electronic media for their cooperation in giving wide publicity for the Bank.

The Board also thanks the Officers' Association, Employees' Union and SC/ST/OBC Welfare Associations for their constructive role played in overall development of the Bank.

The Board also acknowledge the excellent performance, sense of involvement, ownership and dedicated services rendered by each and every staff member for the overall performance of the Bank in all key parameters.

For and on behalf of Board of Directors of Utkal Grameen Bank

Sd/-
(Surya Kanta Dash)
Chairman



Independent Auditor's Report on Standalone Financial Statements

To,

**The Members
Utkal Grameen Bank
Bolangir**

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

1. We have audited the Financial Statements of Utkal Grameen Bank ('the Bank') which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2025, the Statement of Profit and Loss, the statement of cash flows for the year then ended and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the Returns for the year ended on that date of 28 branches (including SARB) and Head Office audited by us and 226 branches audited by other branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by the bank by the National Bank of Agriculture and Rural Development. Also included in the Balance Sheet and the Profit and Loss Statement are the returns from 179 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 24.54 percent of advance, 29.69 percent of deposits, and 12.46 percent of interest income.

2. In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Regional Rural Bank Act, 1976 and the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- a. In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the bank as at March 31, 2025;
- b. In the case of the of Profit/Loss Account, of the profit for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. This audit has been conducted as per the guidelines of the Institute of Chartered Accountants of India. We are independent of the bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in [jurisdiction], and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

Attention is invited to the following matters:

- 1) As stated in Schedule 18 notes to Accounts, para 11-2(c) of the Financial Statements, the accounts of the Pension Trust has not yet been finalised, which is a subject of Confirmation and Reconciliation.
- 2) As stated in Note No. 12.5 of Schedule 18 of the Financial Statements, considering the continuous support of the Government of Odisha, Government of India and Sponsor Bank i.e. SBI, the Bank is and will



continue to be able to meet its financial obligations as they fall due. Accordingly, the Bank has prepared its accounts on a "Going Concern" basis.

Various indicators confirming the operational performance of the Bank and affirming the Going concern assumptions are detailed below:

- a. Increased Customer Base
- b. Increased in Business
- c. Maintenance of CRR/SLR as per statutory requirement
- d. Ability to meet financial obligation when they falls due.

With reference to gazette notification no. CG-DL-E-07042025-262329, dated 07.04.2025 issued by Ministry of Finance, Govt. of India, Odisha Gramya Bank sponsored by Indian Overseas Bank and Utkal Grameen Bank sponsored by State Bank of India to be amalgamated into a single Regional Rural Bank, which shall be called as Odisha Grameen Bank with its head office at Bhubaneswar under the sponsorship of Indian Overseas Bank which shall come into effect on and from the 1st day of May, 2025.

- 3) As stated in Note No. 12 of Schedule 18 of the Financial Statements, certain items of assets and liabilities are pending for reconciliation. The same are under process of year-wise-reconciliation and subject to consequential adjustments, if any.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Management's Responsibilities for the Financial Statements

4. The Bank's management is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position and financial performance of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Regional Rural Bank Act 1976, Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') and National Bank for Agriculture and Development (NABARD) from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

5. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the



aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

6. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
 - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
 - Report that the audit at branch level is not be able to conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained at branch, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern.
 - Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
7. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
8. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
9. The matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period.

Other Matter

We did not audit the financial statements/information, of 179 branches which have not been subject to audit but included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements/ financial information for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements/information of 226 branches has been audited by the other branch auditors whose reports have been furnished to us and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, are based solely on the report of such branch auditors.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

Subject to the limitations of such disclosures and on the basis of the audit indicated in above paragraphs read together with "Significant Accounting Policies" and "Notes on Accounts" in Schedule-17 and Schedule-



18, we report as under:

- a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit and have found them to be satisfactory;
- b) The transactions of the branch which have come to our notice have been within the powers of the Bank.
- c) the returns received from the branch have been found adequate for the purposes of our audit.

10. We further report that:

- a. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from branches not visited by us.
- b. The Balance Sheet, and the Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from branches not visited by us.
- c. The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt by us in preparing this report.
- d. In our opinion, the Balance Sheet, and the Profit and Loss Account comply with the applicable accounting standards, except for the effects of the matter described in the Basis for Opinion paragraph and to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

Place : Bolangir Date : 29.04.2025	Firm Name : Agasti & Associates Regn No.: 313043E Seal With Address : 97, Bhoinagar, Bhubaneswar - 751022	Sd/- Signature of the Auditor: Name : Biswanath Agasti Membership No. : 051026 UDIN:25051026BMOSEO1643
---------------------------------------	--	--



UTKAL GRAMEEN BANK

HEAD OFFICE : BOLANGIR

BALANCE SHEET AS ON 31.03.2025

(Amt. in "000")

PARTICULARS	SCHEDULE	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
EQUITY & LIABILITIES			
Equity Capital	1	1,68,30,873	1,68,30,873
Perpetual Bond	1(A)	81,383	81,383
Share Capital Deposit	1(B)	0	0
Reserves & Surplus	2	(-)1,00,26,773	(-)1,17,16,801
Deposits	3	10,21,11,105	9,12,95,200
Borrowings	4	51,15,445	55,91,798
Other Liabilities & Provisions	5	32,37,638	31,23,841
TOTAL EQUITY & LIABILITIES		11,73,49,671	10,52,06,294
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India			
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	6	44,99,378	45,11,976
Investments	7	1,81,72,462	1,59,84,327
Loans & Advances	8	3,38,44,877	3,84,76,586
Fixed Assets	9	5,73,12,859	4,40,46,742
Other Assets	10	1,11,658	54,660
TOTAL ASSETS	11	34,08,437	21,32,003
Contingent Liabilities		11,73,49,671	10,52,06,294
Bills for Collection	12	14,85,287	11,22,002
Principal Accounting Policies and Notes on Accounts	NIL 17 & 18	NIL	NIL

The accompanying schedules are integral parts of the financial statements.

Sd/-

Shri Surya Kanta Dash

Chairman

Sd/-

Shri Rahul Kanta

Nominee Director, RBI

Sd/-

Shri Kamalkanta Pattnaik

Nominee Director NABARD

In terms of our report of even date

For Agasti and Associates

Chartered Accountants

FRN No 313043E

Sd/-

(CA Biswanath Agasti)

Partner (Memb. No. 051026)

Sd/-

Shri Priyadarshan

Nominee Director, SBI

Place : Bolangir

Date : 29.04.2025

**UTKAL GRAMEEN BANK**

HEAD OFFICE : BOLANGIR

PROFIT & LOSS STATEMENT AS ON 31.03.2025

(Amt. in "000")

PARTICULARS	SCHEDULE	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
I. INCOME			
Interest earned	13	82,83,358	73,62,787
Other income	14	9,11,651	8,14,482
TOTAL		91,95,009	81,77,269
II. EXPENDITURE			
Interest expended	15	42,81,805	37,43,714
Operating expenses	16(A)	32,81,002	25,14,159
Provisions & contingencies	16(B)	(-)57,826	5,51,772
TOTAL		75,04,981	68,09,645
III. PROFIT & LOSS		16,90,028	13,67,624
Profit before tax		16,90,028	13,67,624
Less : Tax Provision	0	0	
Provision for Income Tax For the Financial Year		0	0
Profit after Tax	0	-	-
Brought forward Profit/Loss		16,90,028	13,67,624
Balance of Profit/Loss Account		-1,17,16,801	-1,30,84,425
IV. Appropriations		-1,00,26,773	-1,17,16,801
Transfer to Statutory Reserves		-	-
Transfer to other reserves		-	-
Balance carried over to Balance Sheet		-1,00,26,773	-1,17,16,801

The accompanying schedules are integral parts of the financial statements.

Sd/-
Shri Surya Kanta Dash
 Chairman

Sd/-
Shri Rahul Kanta
 Nominee Director, RBI

Sd/-
Shri Kamalkanta Pattnaik
 Nominee Director NABARD

In terms of our report of even date
For Agasti and Associates
 Chartered Accountants
 FRN No 313043E
 Sd/-
 (CA Biswanath Agasti)
 Partner (Memb. No. 051026)

Sd/-
Shri Priyadarshan
 Nominee Director, SBI

Place : Bolangir
 Date : 29.04.2025

**SCHEDULE : 1 EQUITY CAPITAL**

(Amt. in "000")

		As on: 31.03.2025	As on: 31.03.2024
I.	Authorised Capital		
	(200,00,00,000 Shares of Rs. 10/- each)	2,00,00,000	2,00,00,000
II.	Issued & Subscribed Capital		
	(Shares of Rs. 10/- each)	1,68,30,873	1,68,30,873
	Govt of India (50%)	84,15,436	84,15,436
	State Bank Of India (35%)	58,90,805	58,90,805
	Govt of Odisha (15%)	25,24,631	25,24,631
	TOTAL	1,68,30,873	1,68,30,873
	TOTAL	1,68,30,873	1,68,30,873

SCHEDULE : 1 A PERPETUAL BOND

(Amt. in "000")

		As on: 31.03.2025	As on: 31.03.2024
I.	PERPETUAL BOND		
	State Bank of India	81,383	81,383
	TOTAL	81,383	81,383

SCHEDULE : 1 B SHARE CAPITAL DEPOSIT

(Amt. in "000")

		As on: 31.03.2025	As on: 31.03.2024
	SHARE CAPITAL DEPOSIT		
I.	Govt of India	0	0
II.	State Bank Of India	0	0
III.	Govt of Odisha	0	0
	Total	0	0

SCHEDULE : 2 RESERVES & SURPLUS

(Amt. in "000")

		As on: 31.03.2025	As on: 31.03.2024
I.	Statutory Reserves	0	0
II.	Capital Reserves	0	0
III.	Capital Reserves on Consolidation	0	0
IV.	Share Premium	0	0
	Other Reserves (Specify nature)	0	0
V.	Revenue & other Reserves	0	0
VI.	Balance in Profit & Loss Account	(-) 1,00,26,773	(-) 1,17,16,801
	TOTAL	(-) 1,00,26,773	(-) 1,17,16,801



SCHEDULE : 3 DEPOSITS

(Amt. in "000")

		As on: 31.03.2025	As on: 31.03.2024
A.	Deposits of Branches in India		
I.	Demand Deposits		
	i) From Banks	0	0
	ii) From Others	12,13,541	10,74,114
II.	Savings Bank Deposits	6,28,04,131	5,57,53,654
III.	Term Deposits		
	i) From Banks	0	0
	ii) From Others	3,80,93,433	3,44,67,432
	TOTAL (I + II + III)	10,21,11,105	9,12,95,200
B. I.	Deposits of Branches outside India	0	0
	TOTAL (I + II)	10,21,11,105	9,12,95,200

SCHEDULE : 4 BORROWINGS

(Amt. in "000")

		As on: 31.03.2025	As on: 31.03.2024
I.	Borrowings in India		
	i) Reserve Bank of India	0	0
	ii) Other Banks	0	0
	(Sponsor Bank i.e. State Bank of India)	0	88,246
	iii) Other Institutions and Agencies (NABARD)	51,10,000	55,00,000
	iv) NSTFDC	5,445	3,552
II.	Borrowings outside India	0	0
	TOTAL (I + II)	51,15,445	55,91,798
	Secured Borrowings		
	(Included in I & II above)	51,15,445	55,91,798

SCHEDULE : 5 OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

(Amt. in "000")

		As on: 31.03.2025	As on: 31.03.2024
I.	Bills Payable	26,620	30,001
II.	Inter-Office Adjustments	4,658	327
III.	Interest accrued	26,11,930	23,49,040
IV.	Others	5,94,430	7,44,473
	TOTAL	32,37,638	31,23,841



SCHEDULE : 5-IV DEPOSITS

(Amt. in "000")

IV	DETAILS OF OTHER LIABILITIES (SCHEDULE 5-IV)	As on: 31.03.2025	As on: 31.03.2024
	Subsidy Reserve Fund	25,774	27,830
	Sundry deposits	0	0
	Sundry Deposit TDS -SYS -Credit	98,341	73,023
	Grameen pay Order (GPO)	0	0
	Crop Insurance Amount	0	0
	Tax Deducted at Source /TDS	2,150	3,091
	Sundry Creditors	0	6
	CA 276 HO with UGB Balangir	0	0
	Security Deposit Public	4,035	3,834
	Miscellaneous Provision	20,104	7,543
	Standard Asset Provision	1,78,112	1,35,224
	Prov. On Pension, Leave liability, Gratuity & Wage payment	0	3,22,000
	Provision for Income Tax		
	SD-Unidentified cash	0	0
	SYS Susp Orginating Credit	0	0
	Other System Susp A/C	0	60
	Others	2,65,914	1,71,862
	GROUP TOTAL	5,94,430	7,44,473

SCHEDULE : 6 CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(Amt. in "000")

		As on: 31.03.2025	As on: 31.03.2024
I.	Cash in hand (Including foreign currency notes- NIL)	3,90,443	3,69,141
II.	Balance with Reserve Bank of India		
	i) In Current Account	41,08,935	41,42,835
	ii) In Other Accounts	0	0
	TOTAL (I + II)	44,99,378	45,11,976



SCHEDULE : 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(Amt. in "000")

		As on: 31.03.2025	As on: 31.03.2024
I.	In India		
	i) Balances with Banks		
	a) In Current Accounts	3,59,960	64,325
	b) In other Deposit Accounts	1,78,12,502	1,59,20,002
	ii) Money at Call & Short Notice/ Short Term Deposit		
	a) With Banks	0	0
	b) With other institutions	0	0
	TOTAL (i + ii)	1,81,72,462	1,59,84,327
II.	Outside India		
	i) In Current Accounts	0	0
	ii) In other Deposit Accounts	0	0
	iii) Money at Call & Short Notice	0	0
	TOTAL (i + ii + iii)	0	0
	GRAND TOTAL (I + II)	1,81,72,462	1,59,84,327

SCHEDULE : 8 INVESTMENTS

(Amt. in "000")

		As on: 31.03.2025	As on: 31.03.2024
I.	Investments in India in		
	i) Government securities	3,38,14,877	3,84,45,107
	ii) Other approved Securities	0	1,479
	iii) Shares	0	0
	iv) Debentures and Bonds	0	0
	v) Investment in Associates	0	0
	vi) Others (to be specified) (SBI Mutual Fund)	30,000	30,000
	TOTAL	3,38,44,877	3,84,76,586
II.	Investments Outside India in		
	i) Government Securities (including local authorities)	0	0
	ii) Investment in Associates	0	0
	iii) Other Investments (to be specified)	0	0
	TOTAL	0	0
	GRAND TOTAL (I + II)	3,38,44,877	3,84,76,586
III.	Investments in India		
	i) Gross value of Investments	3,38,44,877	3,84,76,586
	ii) Aggregate of Provisions for depreciation	0	0
	iii) Net Investment	3,38,44,877	3,84,76,586
IV.	Investments Outside India	0	0
	i) Gross value of Investments	0	0
	ii) Aggregate of Provisions for depreciation	0	0
	iii) Other investments (to be specified)	0	0



SCHEDULE : 9 ADVANCES

(Amt. in "000")

		As on: 31.03.2025	As on: 31.03.2024
A. i)	Bills Purchased & Discounted	0	0
ii)	Cash Credits, Overdrafts & Loans repayble on demand	3,34,43,034	2,67,73,699
iii)	Term Loans	2,38,69,825	1,72,73,043
	TOTAL	5,73,12,859	4,40,46,742
B. i)	Secured by Tangible Assets	5,69,18,130	4,39,91,861
ii)	Covered by Bank/Government Guarantees	3,32,307	0
iii)	Unsecured	62,422	54,881
	TOTAL	5,73,12,859	4,40,46,742
C. I.	Advances in India		
i)	Priority Sector	4,25,07,329	3,36,03,259
ii)	Public Sector	0	0
iii)	Banks	0	0
iv)	Others	1,48,05,530	1,04,43,483
	TOTAL	5,73,12,859	4,40,46,742
II.	Advances Outside India		
i)	Due from Banks	0	0
ii)	Due from Others	0	0
a)	Bills Purchased & Discounted	0	0
b)	Syndicated loans	0	0
c)	Others	0	0
	TOTAL	0	0
	GRAND TOTAL (C. I + II)	5,73,12,859	4,40,46,742
	TOTAL ADVANCE	6,03,29,960	4,76,07,688
	NPA PROVISION	30,17,101	35,60,946
	NET ADVANCE	5,73,12,859	4,40,46,742



SCHEDULE : 10 FIXED ASSETS

(Amt. in "000")

		As on: 31.03.2025	As on: 31.03.2024
I.	Premises	0	0
	At cost as on 31st March of the preceding year	0	8
	Additions during the year	0	0
	Deductions during the year	0	8
	Depreciation to date	0	0
IA.	Premises under construction	0	0
	TOTAL	0	0
II.	Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)		
	At cost as on 31st March of the preceding year	3,71,657	3,51,251
	Additions during the year	83,911	20,408
	TOTAL	4,55,568	3,71,659
	Grand Total (I+II)	4,55,568	3,71,659
	Deductions during the year	0	2
	Accumulated Depreciation to date	3,43,910	3,16,997
	BALANCE(W.D.V)	1,11,658	54,660
	GRAND TOTAL	1,11,658	54,660



SCHEDULE : 11 OTHER ASSETS

(Amt. in "000")

		As on: 31.03.2025	As on: 31.03.2024
I.	Inter Office Adjustments	0	0
II.	Interest Accrued	17,14,840	15,52,829
III.	Tax paid in advance	5,299	5,299
IV.	Stationery and Stamps	2,615	4,450
V.	Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims	0	0
VI.	Others	16,85,683	5,69,425
	TOTAL	34,08,437	21,32,003
	DETAILS OF OTHER ASSETS (SCHEDULE 11-VI)	As on: 31.03.2025	As on: 31.03.2024
	Suspense Advance	87	109
	Deffered Revenue Expenditure (Unamortised Pension Arrear Expenditure)	6,60,434	0
	System suspense	0	0
	IT prov / Advance Tax paid	0	0
	Tax Credit Entitlement	0	0
	Others	10,25,162	5,69,316
	Total	16,85,683	5,69,425

SCHEDULE : 12 CONTINGENT LIABILITIES

(Amt. in "000")

		As on: 31.03.2025	As on: 31.03.2024
I.	Guarantees given on behalf of constituents		
	a) In India	9,48,707	11,13,049
	b) Outside	0	0
II.	Unclaimed Deposit in DEAF A/c	5,36,580	8,953
	TOTAL	14,85,287	11,22,002



SCHEDULE : 13 INTEREST EARNED

(Amt. in "000")

		As on: 31.03.2025	As on: 31.03.2024
I. (A)	Interest on Advances	45,42,892	37,06,581
(B)	Interest on Bills Discount		
II.	Income on Investments	26,80,786	29,05,464
III.	Interest on balances with Reserve Bank of India / other inter-bank Bank funds	10,59,680	7,50,742
IV.	Others:IBPC	0	0
	TOTAL	82,83,358	73,62,787

SCHEDULE : 14 OTHER INCOME

(Amt. in "000")

		As on: 31.03.2025	As on: 31.03.2024
I.	Commission, Exchange, Brokerage	37,189	52,064
II.	Profit on sale of investments (net)		
	Less : Loss on sale of investments	0	0
III.	Profit on revaluation of investments		
	Less : Loss on revaluation of investments (Amortisation)	0	0
IV.	Profit on sale of land, buildings and other assets	0	0
	Less : Loss on sale of land, buildings and other assets	0	0
V.	Profit on exchange transactions		
	Less : Loss on exchange transactions	0	0
VI.	a) Lease finance income	0	0
	b) Lease management fee	0	0
	c) Overdue charges	0	0
	d) Interest on lease rent receivables	0	0
VII.	Miscellaneous Income	8,74,462	7,62,418
	TOTAL	9,11,651	8,14,482

SCHEDULE : 15 INTEREST EXPENDED

(Amt. in "000")

		As on: 31.03.2025	As on: 31.03.2024
I.	Interest on Deposits	39,72,711	34,97,899
II.	Interest on Reserve Bank of India/ Inter-Bank Borrowings	3,09,094	2,45,815
	TOTAL	42,81,805	37,43,714

**SCHEDULE : 16 (A) OPERATING EXPENSES**

(Amt. in "000")

		As on: 31.03.2025	As on: 31.03.2024
I.	Payments to employees	25,94,154	17,36,245
II.	Rent, Taxes and Lighting	68,753	71,194
III.	Printing and Stationery	14,584	11,688
IV.	Advertisement and Publicity	237	153
V.	Depreciation on Bank's Property	26,913	14,565
VI.	Director's fees, allowances and expenses	0	0
VII.	Auditor's fees and expenses	3,500	3,263
VIII.	Law Charges (including branch Auditors)	3,730	2,461
IX.	Postage, Telegrams, Telephones etc.	6,999	7,034
X.	Repairs and Maintenance	1,83,240	1,18,000
XI.	Insurance	1,07,008	87,794
XII.	Other expenditure	2,71,884	4,61,762
	TOTAL	32,81,002	25,14,159

DETAILS OF OTHER EXPENDITURES (SCHEDULE 16-XIII)

		As on: 31.03.2025	As on: 31.03.2024
	BOOKS & PERIODICALS	3,171	3,364
	ENTERTAINMENT EXPENSES	5	223
	TRAINING/MEETING/SEMINARS	1,884	2,520
	TRAVELLING ALLOWANCES	9,227	10,357
	HALTING ALLOWANCES	17,592	12,561
	VEHICLE HIRING/FUEL EXPENSES	18,116	18,411
	CLEARING HOUSE	0	0
	DATA ENTRY CHARGE	0	0
	SUNDRY EXPENSES	2,21,889	4,14,326
	GROUP TOTAL	2,71,884	4,61,762

SCHEDULE : 16 (B) PROVISIONS

(Amt. in "000")

	DETAILS OF PROVISION	As on: 31.03.2025	As on: 31.03.2024
	Standard Assets Provision	42,887	37,562
	Bad Debt Provision	(-) 1,14,875	2,08,338
	Prov. Towards Fraud	14,858	(-) 4,952
	Prov. for theft & Burglary	(-) 696	1,262
	Misc. Provision	0	(-) 12,438
	Prov on wage payment	0	2,72,000
	Prov. Towards Pension	0	50,000
	TOTAL	(-) 57,826	5,51,772



SCHEDULE – 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A. Background:

Government of India vide its Notification No. F No. 1/1/2012 RRB dated 01.11.2012 published in Gazette of India being issued by the Ministry of Finance, Department of Financial Services, GOI on 01.11.2012 instructed to amalgamate two Regional Rural Banks viz. "Rushikulya Gramya Bank" and "Utkal Gramya Bank" into a new Regional Rural Bank named as "Utkal Grameen Bank".

Utkal Grameen Bank (UGB or the Bank) is a Scheduled Bank, sponsored by the State Bank of India, engaged in providing a wide range of products and services to individuals, commercial enterprises, corporates, public bodies and customers. The Bank is governed by the Banking Regulation Act, 1949 and the Regional Rural Bank Act, 1976.

B. Basis of Preparation:

The Bank's financial statements are prepared under the historical cost convention, on the accrual basis of accounting ongoing concern basis, unless otherwise stated and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms / guidelines prescribed by the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) / Reserve Bank Of India (RBI), Banking Regulation Act 1949, Regional Rural Bank Act, 1976 and amendments thereto and Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), and the practices prevalent in the banking industry in India.

C. Use of estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the reported income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable and are based upon management's evaluation of the relevant facts and circumstances as of the date of financial statements. Future results could differ from these estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognised in the period in which the results are known / materialised.

D. Significant Accounting Policies:

1. Revenue Recognition:

- a) Income is accounted on an accrual basis, except otherwise stated.
- b) Interest income is recognized in the Profit and Loss Account as it accrues except, income from Non-Performing Assets (NPAs), comprising of advances and investments where revenue recognition is postponed till removal of uncertainty of ultimate collection, as per the prudential norms prescribed by the RBI/NABARD or other regulatory authorities.
- c) Income (other than interest) on interest bearing investments in "Held to Maturity (HTM)" category acquired at a discount to the face value, is recognized only at the time of sale / redemption.
- d) In case of Suit filed accounts, legal and other expenses incurred are charged to Profit and Loss Account and at the time of recovery of such expenses is accounted as income.
- e) Commission/Exchange/fee income and Locker rent have been recognized on realization basis.
- f) Interest on overdue term deposit is accounted for on renewal basis.



2. Investments:

- a) The transactions in all securities are recorded on "Settlement Date".
- b) Investments in India have been made in both SLR and Non-SLR securities and are classified into three categories viz. Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS) and Held for Trading (HFT) as per RBI Guidelines.
- c) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as "Held to Maturity (HTM)". Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as "Held for Trading (HFT)". Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as "Available for Sale (AFS)".
- d) An investment is classified as HTM, HFT or AFS at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.
- e) SLR securities under HTM category lie within the prescribed limit i.e. 18.00% of NDTL. Investments in SLR securities have been accounted for at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium have been amortized over the period remaining to maturity. It has reflected the amortized amount in schedule 13-Interest earned: item II – Income on investments as a deduction.
- f) Investments held under AFS and HFT categories are individually revalued at market price or fair value determined as per the regulatory guidelines and only the net depreciation of each group for each category {viz.
- i) Government securities, (ii) Other Approved Securities, (iii) Shares, (iv) Bonds and Debentures, (v) Subsidiaries and Joint Ventures and (vi) others} is provided for and net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual security remains unchanged after marking to market.
- g) Profit or Loss on sale of investment is recognized in the Profit and Loss account.

3. Loans or Advances and Provisions thereon:

3.1 Loans and advances are classified as performing (Standard) and non-performing, based on the guidelines/ directives issued by NABARD & RBI. Loan assets become Non-Performing Asset (NPA) where:

- In respect of agriculture advances:
 - i. For short duration crops, where the installment of principal or interest remains overdue for two crop seasons and
 - ii. For long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one crop season.
- In respect of Non Agriculture advances:
 - i. In respect of term loans, interest and / or installment of principal remains overdue for a period of more than 90 days.
 - ii. In respect of Overdraft or Cash Credit Advances, the account remains "out of order", i.e. if the outstanding balance exceeds the sanctioned limit or drawing power continuously for a period 90 days, or if there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance sheet, or if the credits are not adequate to cover the interest debited during the same period.

Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines/directives prescribed by the RBI:

3.2 NPAs are classified into Sub-standard Assets, Doubtful Assets and Loss Assets based on the following criteria stipulated by RBI:



- a) Sub-standard: A loan asset that has remained non-performing for a period less than or equal to 12 months.
- b) Doubtful: A loan asset that has remained in the sub-standard category for a period of 12 months.
- c) Loss: A loan asset where loss has been identified but the amount has not been fully written off.

3.3 Provisions on Advances are made as under:

I. Standard Assets:

General Provision for Standard Assets at the following rates:

a. Direct Advances to Agriculture, Individual Housing & SMEs Sector at 0.25%	0.25%
b. Commercial Real Estate Sector	1.00%
c. Commercial Real Estate Sector (Residential Housing Sector)	0.75%
d. All other not included in (a), (b) and (c) above	0.40%

II. Sub-Standard Assets:

General Provision for Sub-Standard Assets at the following rates:

Loan asset that has remained non-performing for a period less than or equal to 12 month is a Sub-Standard Asset	15% on the total outstanding
Additional provision for exposures which are unsecured ab-initio (i.e. where realizable value of security is not more than 10% ab-initio)	10%

III. Doubtful Assets:

A loan asset that has remained in the sub-standard category for a period of 12 months is Doubtful Asset

Secured Portion	Up to One year: 25%
	One to three years: 40%
	More than three years: 100%
Unsecured Portion	100%

IV Loss Assets:

A loan asset where Loss has been identified but the amount has not been fully written off is a Loss Asset. 100% Provision on outstanding Advances.

3.4 Advances are net of specific loan loss provisions, unrealized interest, ECGC claims received, and bill rediscounted.

3.5 In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as a performing asset if it confirms to the guidelines prescribed by the regulators.

3.6 Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognized as revenue in the year of recovery.

3.7 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for Standard Assets as per extant RBI guidelines. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet and are not considered for arriving at the net NPAs.



3.8 Interest realized on NPAs is taken in to income account provided the credits in the accounts towards interest are not out of fresh/additional credit facilities sanctioned to the borrower concerned.

3.9 Appropriation of recoveries in NPAs i.e. towards principal or interest due as per the Bank's extant instructions is done in accordance with the following priority.

- a. Charges
- b. Unrealized Interest/Interest
- c. Principal

4. Floating Provisions:

The Bank may make a policy for creation and utilization of floating provisions separately for advances, investments and general purposes. The quantum of floating provisions for creation may be assessed at the end of the financial year. The floating provisions may be utilized only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of the Board of Directors.

5. Fixed Assets, Depreciation and Amortization:

5.1 Fixed assets are carried at historical cost less accumulated depreciation.

5.2 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put-to-use. Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put-to-use are capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

5.3 As per new guidelines, depreciation on fixed assets will be charged at SLM method. Under the new method, depreciation has been charged on the basis of number of days put to use on a proportionate basis. In the final year of depreciation, a book value of Rs. 1.00 (Rs. One only) will be left in the books so to say that the book value of any assets will not be zero at any point of time till it is discarded by the Bank. Where there is a revision of the estimated useful life of an asset, the depreciable amount should be charged over the revised remaining useful life". Page 5 of 7

5.4 Depreciation on assets is charged on straight line method at the rates as under:

Description of Fixed Assets	Depreciation Rate
Premises	1.67%
Furniture, Fixture other than Electrical Fittings	10.00%
Electrical Fittings Fixture	10.00%
Computer Electrical Fittings	20.00%
Safe Locker, Strong Room Doors	5.00%
Motor Car	20.00%
Computers	33.33%
UPS Battery Network Cabling	33.33%
Software CBS	33.33%
Air Conditioning System	12.50%
Plant Mechinary 10	10.00%
Plant Mechinary 2 12.5	12.50%
Plant Mechinary 4 33.33	33.33%
Server	25.00%
Network Cabling	20.00%



5.5 In respect of fixed assets acquired during the year, depreciation is charged on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use during the year.

6. Employee Benefits:

a. Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short - term employee benefits, such as medical benefits, closing allowance etc. which are expected to be paid for the services rendered by employees, are recognized during the period when the employee renders the service.

b. Long Term Employee Benefits

i. Gratuity: The Bank provides gratuity benefits to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, or on death during employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to the cap prescribed by the Statutory Authorities. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by Trustees based on an independent external actuarial valuation carried out annually.

ii. Pension: The model Pension Scheme Regional Rural Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 was implemented in our Bank with effect from 01.04.2018 after Board approval, based on approval by Government of India, received by us through NABARD vide letter No.NB.IDD/344/316(Pension)/2018-19 dated 23rd October, 2018 in compliance with the Hon'ble Supreme Court Judgement in SLP No.39288 of 2012 dated 25th April, 2018. The Revised Pension Scheme for Regional Rural Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024 was implemented in our Bank with effect from 01.11.1993, following Board approval and instructions from the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, as per their letters F.No. 8/4/2024-RRB, dated 03.10.2024, and F.No. 8/20/2010-RRB, dated 03.10.2024, in compliance with the order of the Hon'ble Supreme Court. Furthermore, as per the advice of the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, 100% of the pension arrears w.e.f. 01.11.1993 have been paid to all eligible pensioners/family pensioners.

iii. Leave Encashment: The Bank provides a Leave Encashment benefit to all eligible employees. The benefit is paid as a lump sum to vested employees upon retirement, death during employment, or other specified circumstances like VRS, resignation as per the rules. Vesting occurs at different stages in accordance with the bank's policies. The Bank makes periodic contributions to a fund based on an independent external actuarial valuation conducted annually to ensure the adequacy of liability and compliance with regulatory requirements.

c. Defined Contribution Plans such as Provident Fund, NPS etc. are recognized as an expense and charged to the Profit & Loss Account on an accrual basis.

7. Taxes on Income:

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 – “Accounting for Taxes on Income” respectively and which are based on the tax laws prevailing in India. Deferred Tax adjustments comprises of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognised by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account. Deferred tax assets are recognised and re-assessed at



each reporting date, based upon management's judgement as to whether their realisation is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits.

8. Contingent Liabilities & provisions:

9.1 In conformity with AS - 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by ICAI, the bank recognises the provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and would result in a probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

9.2 No provision is recognised for:

I. Any possible obligation that arises from past events and existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the bank.

II. Any present obligation that arises from past events but is not recognised because

a. It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or

b. A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

III. Contingent Assets are not recognised in the financial statements.

9. Cash and cash equivalents:

Cash and cash equivalents include Cash and Balances with RBI, Balances with Banks and money at call and short notice.

Sd/-

Shri Surya Kanta Dash
Chairman

Sd/-

Shri Rahul Kanta
Nominee Director, RBI

Sd/-

Shri Kamalkanta Pattnaik
Nominee Director NABARD

In terms of our report of even date

For Agasti and Associates

Chartered Accountants

FRN No 313043E

Sd/-

(CA Biswanath Agasti)

Partner (Memb. No. 051026)

Sd/-

Shri Priyadarshan

Nominee Director, SBI

Place : Bolangir

Date : 29.04.2025

**SCHEDULE –18: NOTES TO ACCOUNTS****1. Regulatory Capital**

a) Composition of Regulatory Capital:

(Amounts in ₹ Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Common Equity Tier 1 capital	68041.00	51140.72
ii)	Additional Tier 1 capital	-	-
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	68041.00	51140.72
iv)	Tier 2 capital	2594.95	2166.07
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	70635.94	53306.79
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	561430.44	430992.51
vii)	CET 1 Ratio (%) (CET 1 as a percentage of RWAs)	12.12%	11.87%
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	12.12%	11.87%
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	0.46%	0.50%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	12.58%	12.37%
xi)	Leverage Ratio	4.36%	5.31%
xii)	Percentage of the shareholding of		
	a) Government of India	50%	50%
	b) Government of Odisha	15%	15%
	c) Sponsor Bank (SBI)	35%	35%
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	-	2939.90

b) Draw down from Reserves: The Bank has not drawn down any amount from statutory and general reserves during this current financial year.

i) Share Capital

In terms of Gazette Notification dated 12th May, 2015, in regard to amendment of Regional Rural Bank Act, 1976, the authorized capital of the Bank enhanced to Rupees two thousand crore, divided into two hundred crore of fully paid-up shares of ten rupees each effective from the 4th February 2016. Share Capital consists of Shares subscribed to by the Government of India, Sponsor Bank and Government of Odisha in the ratio 50:35:15 as follows:

	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
Authorised Capital		
(200,00,00,000 Shares of Rs10/- each)	2000,00,00,000	2000,00,00,000
Issued, Subscribed & Paid up Share Capital		
Govt of India (841543639 Shares of Rs 10/- each)	841,54,36,390	841,54,36,390
State Bank of India (589080547 share of Rs10/- each)	589,08,05,470	589,08,05,470
Govt of Odisha (252463092 share of Rs10/- each)	252,46,30,920	252,46,30,920
Total	1683,08,72,780	1683,08,72,780



ii) Perpetual Bond:

Consequent upon implementation of CBS, the Bank has incurred a total expenditure of Rs.16,27,65,784/- out of which Sponsor Bank's share @ 50% amounts to Rs.8,13,82,892/-. The above amount has been contributed on 08.01.2016 by State Bank of India in form of Perpetual Bond. The same is therefore reflected in the books of accounts under the head "Perpetual Bond" under Liabilities.

iii) The Networth of the Bank has gone up to Rs.68041.00 Lakh (previous FY networth Rs.51140.72 Lakh) on account of earning profit of Rs.169.00 Cr. During this FY.

2. Asset liabilities Management:

a) Maturity pattern of certain items of assets and liabilities:

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	1-14 days	15-28 days	29 days to 3 months	Over 3 months and upto 6 months	Over 6 months and upto 1 year	Over 1 year and upto 3 years	Over 3 years and upto 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	244.97	213.88	934.58	1345.02	3049.84	3826.42	325.87	270.52	10211.11
Advances	569.63	30.57	214.48	715.27	1511.42	971.47	651.48	1067.05	5731.37
Investments	0	0	46.32	15.47	150.21	595.49	1459.91	1117.09	3384.49
TDRs	338.00	100.00	275.00	504.00	564.25	0.00	0.00	0.00	1781.25
Borrowings	0	0	0	0	511.54	0	0	0	511.54
Foreign currency assets	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Foreign currency liabilities	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

3. INVESTMENTS:

(a) Composition of Investment Portfolio as at 31.03.2025 (All investments are in India only)

(Amounts in ₹ crore)

	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments
Held to Maturity							
Gross	1769.05	0	0	0	0	0	1769.05
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0	0	0	0	0	0	0
Net	1769.05	0	0	0	0	0	1769.05
Available for Sale							
Gross	1612.44	0	0	0	0	0	1612.44
Less: Provision for depreciation and NPI	0	0	0	0	0	0	0
Net	1612.44	0	0	0	0	0	1612.44
Held for Trading	0	0	0	0	0	0	0



Gross	0	0	0	0	0	0	0
Less: Provision for depreciation and NPI	0	0	0	0	0	0	0
Net	0	0	0	0	0	0	0
Total Investments	3381.49	0	0	0	0	0	3381.49
Less: Provision for non-performing investments	0	0	0	0	0	0	0
Less: Provision for depreciation and NPI	0	0	0	0	0	0	0
Net	3381.49	0	0	0	0	0	3381.49

Composition of Investment Portfolio as at 31.03.2024 (All investments are in India only)

(Amounts in ₹ crore)

	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments
Held to Maturity							
Gross	1747.22	0.15	0	0	0	0	1747.38
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0	0	0	0	0	0	0
Net	1747.23	0.15	0	0	0	0	1747.38
Available for Sale							
Gross	2097.28	0	0	0	0	0	2097.28
Less: Provision for depreciation and NPI	0	0	0	0	0	0	0
Net	2097.28	0	0	0	0	0	2097.28
Held for Trading							
Gross	0	0	0	0	0	0	0
Less: Provision for depreciation and NPI	0	0	0	0	0	0	0
Net	0	0	0	0	0	0	0
Total Investments	3844.51	0.15	0	0	0	0	3844.66
Less: Provision for non-performing investments	0	0	0	0	0	0	0
Less: Provision for depreciation and NPI	0	0	0	0	0	0	0
Net	3844.51	0.15	0	0	0	0	3844.66



(b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve
(Amounts in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
i) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
a) Opening balance	Nil	1.38
b) Add: Provisions made during the year	Nil	Nil
c) Less: Write off / write back of excess provisions during the year	Nil	1.38
d) Closing balance	Nil	Nil
ii) Movement of Investment Fluctuation Reserve		
a) Opening balance	Nil	Nil
b) Add: Amount transferred during the year	Nil	Nil
c) Less: Drawdown	Nil	Nil
d) Closing balance	Nil	Nil
iii) Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category	Nil	Nil

(c) Sale and transfers to/from HTM category/ Permanent category: The value of sales and transfers of securities to/from HTM category has not exceeded 5 per cent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year.

(d) Non-SLR Investment Portfolio

(i) Non-performing non-SLR investments (Amounts in ₹ crore)

SI No.	Particulars	Current Year	Previous Year
a)	Opening balance	Nil	Nil
b)	Additions during the year since 1 st April	Nil	Nil
c)	Reductions during the above period	Nil	Nil
d)	Closing balance	Nil	Nil
e)	Total provisions held	Nil	Nil

(ii) Issuer composition of non-SLR investments (Amounts in ₹ crore)

Sr. No.	Issuer	Amount		Extent of Private Placement		Extent of 'Below Investment Grade' Securities		Extent of 'Unrated' Securities		Extent of 'Unlisted' Securities	
		Current year	Previous Year	Current year	Previous Year	Current year	Previous Year	Current year	Previous Year	Current year	Previous Year
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
a)	PSUs	227.25	214.00	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	Fis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	Banks	1554.00	1378.00	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	Private Corporates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e)	Subsidiaries/ Joint Ventures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



f)	Others (Mutual Fund)	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-
g)	Provision held towards depreciation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total *	1784.25	1595.00	-	-	-	-	-	-	-	-

(e) Repo transactions (in face value terms)

The details of securities sold and purchased under repos and reverse repos during the year are given below:

(Amounts in ₹ crore)

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on March 31
i) Securities sold under repo				
a) Government securities	Nil	Nil	Nil	Nil
b) Corporate debt securities				
c) Any other securities				
ii) Securities purchased under reverse repo				
a) Government securities	Nil	Nil	Nil	Nil
b) Corporate debt securities				
c) Any other securities				

4. ASSET QUALITY :

a) Classification of advances and provisions held during current year

(Amounts in ₹ crore)

	Standard	Non -Performing			Total	
	Total Standard Advances	Sub - standard	Doubtful	Loss	Total Non -Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	4404.67	18.59	315.11	22.39	356.09	4760.76
Add: Additions during the year					78.47	78.47
Less: Reductions during the year*					131.46	131.46
Closing balance	5729.88	27.95	256.75	18.42	303.11	6033.00
*Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Upgradation					58.27	58.27
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					30.31	30.31
iii) Technical/ Prudential Write-offs					0.00	0.00
iv) Write-offs other than those under (iii) above					42.88	42.88



Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	13.52	18.59	315.12	22.39	356.09	369.61
Add: Fresh provisions made during the year	4.29				78.47	82.76
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans	0				132.85	132.85
Closing balance of provisions held	17.81	26.54	256.74	18.42	301.71	319.52
Net NPAs						
Opening Balance		-	-	-	-	
Add: Fresh additions during the year					1.40	
Less: Reductions during the year					-	
Closing Balance		1.40	-	-	1.40	Nil
	Standard	Non -Performing			Total	
	Total Standard Advances	Sub - standard	Doubtful	Loss	Total Non - Performing Advances	
Floating Provisions						Nil
Opening Balance						Nil
Add: Additional provisions made during the year						Nil
Less: Amount drawn down during the year						Nil
Closing balance of floating provisions						Nil
Technical write-offs and the recoveries made thereon						
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						Nil
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						Nil
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						Nil
Closing balance						Nil



Classification of advances and provisions held during last year (2023 -24)

(Amounts in ₹ crore)

	Standard	Non -Performing			Total	
	Total Standard Advances	Sub - standard	Doubtful	Loss	Total Non - Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	3258.99	24.68	446.88	26.68	498.24	3757.23
Add: Additions during the year					58.85	58.85
Less: Reductions during the year*					201.00	201.00
Closing balance	4404.67	18.59	315.11	22.39	356.09	4760.76
*Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Upgradation					53.68	53.68
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					64.90	64.90
iii) Technical/ Prudential Write-offs					0.00	0.00
iv) Write-offs other than those under (iii) above					82.42	82.42
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	9.76	2.47	388.57	26.68	417.72	417.72
Add: Fresh provisions made during the year	3.76				20.79	24.55
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans	0				82.42	82.42
Closing balance of provisions held	13.52	18.59	315.12	22.39	356.09	356.09
Net NPAs						
Opening Balance		Nil	Nil	Nil	Nil	
Add: Fresh additions during the year					Nil	
Less: Reductions during the year					Nil	
Closing Balance		Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

	Standard	Non -Performing			Total
	Total Standard Advances	Sub - standard	Doubtful	Loss	Total Non - Performing Advances
Floating Provisions					
Opening Balance					Nil
Add: Additional provisions made during the year					Nil
Less: Amount drawn down during the year					Nil
Closing balance of floating provisions					Nil



Technical write-offs and the recoveries made thereon						
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						Nil
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						Nil
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						Nil
Closing balance						Nil

Ratios (in per cent)	Current Year	Previous Year
Gross NPA to Gross Advances	5.02%	7.48%
Net NPA to Net Advances	0.02%	0
Provision coverage ratio	100.00%	100.00%

b) Sector wise Advances and Gross NPAs

Sl. No.	Sector *	Current Year			Previous Year		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	3046.26	246.22	8.08%	2393.58	286.42	11.97%
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	418.41	14.95	3.57%	518.40	40.25	7.76%
3	Services	222.06	19.98	9.00%	148.51	3.35	2.26%
4	Personal loans	852.31	7.71	0.90%	571.62	9.55	1.67%
	Sub -total (A)	4539.04	288.86	6.36%	3632.11	339.57	9.35%
B	Non-Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Industry	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Personal loans	1493.95	14.25	0.95%	1128.66	16.52	1.46%



	Sub -total (B)	1493.95	14.25	0.95%	1128.66	16.52	1.46%
	Total (A+B)	6033.00	303.11	5.02%	4760.77	356.09	7.48%

**Regional Rural Banks may also disclose in the format above, sub sectors where the outstanding advances exceeds 10 percent of the outstanding total advances to that sector. For instance, if a bank's outstanding advances to the Khadi and Village industry (KVI) exceed 10 percent of the outstanding total advances to 'Industry' sector it should disclose details of its outstanding advances to KVI separately in the format above under the 'Industry' sector.*

c) Details of accounts subjected to restructuring

		Agriculture and allied activities		Corporates (excluding MSME)		Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)		Retail (excluding agriculture and MSME)		Total	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Standard	Number of borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gross Amount (₹ crore)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provision held (₹ crore)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub - standard	Number of borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gross Amount (₹ crore)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provision held (₹ crore)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doubtful	Number of borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gross Amount (₹ crore)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provision held (₹ crore)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	Number of borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gross Amount (₹ crore)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provision held (₹ crore)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



d) Disclosure of transfer of loan exposures

Details of stressed loans transferred during the year (to be made separately for loans classified as NPA and SMA)			
(all amounts in ₹ crore)	To ARC's	To permitted transferees	To other transferees (please specify)
No: of accounts	-	-	-
Aggregate principal outstanding of loans transferred	-	-	-
Weighted average residual tenor of the loans transferred	-	-	-
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	-	-	-
Aggregate consideration	-	-	-
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-	-
Details of loans acquired during the year			
(all amounts in ₹ crore)	From SCBs, RRBs, Co-operative Banks, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	From ARC's	
Aggregate principal outstanding of loans acquired	Nil	Nil	
Aggregate consideration paid	Nil	Nil	
Weighted average residual tenor of loans acquired	Nil	Nil	

e) Fraud Accounts

Particulars	Current year	Previous year
Number of frauds reported	3	NIL
Amount involved in fraud (₹ crore)	1.50	NIL
Amount of provision made for such frauds (₹ crore)	1.50	NIL
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (₹ crore)	NIL	NIL

During the financial year Rs.1.75 lakhs has been recovered in two fraud cases and the corresponding provision amount has been reversed. The total provision for fraud stands at Rs.1.49 Cr. as on 31.03.2025.

5. Exposures

a) Exposure to real estate sector

Sr.	Category	(Amounts in ₹ crore)	
		Current Year	Previous Year
(i)	Direct Exposure	701.00	523.46



(a)	Residential Mortgages Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented. Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances shall be shown separately. Exposure would also include non -fund based (NFB) limits	701.00	523.46
(b)	Commercial Real Estate Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non -fund based (NFB) limits	Nil	Nil
(c)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures.	Nil	Nil
	i. Residential	Nil	Nil
	ii. Commercial Real Estate	Nil	Nil
(ii)	Indirect Exposure	Nil	Nil
	Fund based and non -fund-based exposures on National Housing Bank and Housing Finance Companies.	Nil	Nil
Total Exposure to Real Estate Sector		701.00	523.46

b) Unsecured Advances

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total unsecured advances of the bank	307.95	360.87
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	0.00	0.00
Estimated value of such intangible securities	0.00	0.00

c) Intra Group Exposure

Particulars	Current Year	Previous Year
Total amount of intra -group exposures	Nil	Nil
Total amount of top -20 intra -group exposures	Nil	Nil
of intra -group exposures to total exposure of the	Nil	Nil
Details of breach of limits on intra -group exposures and regulatory action thereon	Nil	Nil



d) Unhedged Foreign Currency Exposure There is no unhedged Foreign Currency Exposure of the Bank. e) Single Borrower and Group Borrower exposure limits exceeded by the Bank: The Bank has not exceeded the Single Borrower exposure and Group Borrower exposure prudential limit as prescribed by RBI.

6. Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

a) Concentration of deposits

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total deposits of the twenty largest depositors	236.04	240.61
Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	2.31	2.64

b) Concentration of advances

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total advances to the twenty largest borrowers	525.36	453.76
Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank	8.71%	9.53%

*Advances shall be computed based on credit exposure i.e. funded and non-funded limits including derivative exposures where applicable. The sanctioned limits or outstanding, whichever are higher, shall be reckoned. However, in the case of fully drawn term loans, where there is no scope for re-drawal of any portion of the sanctioned limit, banks may reckon the outstanding as the credit.

c) Concentration of exposures

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total exposure to the twenty largest borrowers/customers	525.36	453.76
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers/customers to the total exposure of the bank on borrowers/customers	8.71%	9.53%

**Exposures shall be computed as per applicable RBI regulation.

d) Concentration of NPAs

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Exposure to the top twenty NPA accounts	6.63	7.00
Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	2.19%	1.97%



7. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(Amounts in ₹ La khs)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	89.53	88.54
ii)	Add: Amounts transferred to DEA Fund during the year	5310.29	1.02
iii)	Less: Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims	34.02	0.03
iv)	Closing balance of amounts transferred to DEA Fund	5365.80	89.53

Banks shall specify here that the closing balance of the amount transferred to DEA Fund, as disclosed above, are also included under 'Schedule 12 - Contingent Liabilities - Other items for which the bank is contingently liable' or 'Contingent Liabilities - Others,' as the case may be.

8. Disclosure of complaints

a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman

Sr. No	Particulars	Previous year	Current year
	Complaints received by the bank from its customers		
1.	Number of complaints pending at beginning of the year	0	0
2.	Number of complaints received during the year	112	170
3.	Number of complaints disposed during the year	112	170
3.1	Of which, number of complaints rejected by the bank	0	0
4.	Number of complaints pending at the end of the year	0	0
	Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman		
5.	Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman	28	45
5.1.	Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	28	43
5.2	Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/advisories issued by Office of Ombudsman	0	1
5.3	Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	0	1
6.	Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in Integrated Ombudsman Scheme, 2021 (Previously Banking Ombudsman Scheme, 2006) and covered within the ambit of the Scheme.



b) Top five grounds of complaints received by the bank from customers

Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	Number of complaints pending at the end of the year	Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
Current Year					
ATM/Debit Cards	0	34	+70.00	0	0
Internet/Mobile/Electronic Banking	0	64	+392.31	0	0
Account opening/ difficulty in operation of accounts	0	6	-116.67	0	0
Mis-selling/Para - banking	0	1	-	0	0
Pension and facilities for senior citizens/ differently abled	0	0	-100.00	0	0
Loans and advances	0	19	+11.76	0	0
Levy of charges without prior notice/ excessive charges/ foreclosure charges	0	6	-	0	0
Staff behaviour	0	7	-30.00	0	0
Others	0	33	-10.81	0	0
Total	0	170	+51.79	0	0
Previous Year					
ATM/Debit Cards	0	12	+9.09	0	0
Internet/Mobile/Electronic Banking	0	20	+300.00	0	0
Account opening/ difficulty in operation of accounts	0	13	+8.33	0	0
Mis-selling/Para - banking	0	1	-	0	0
Pension and facilities for senior citizens/ differently abled	0	2	+100.00	0	0
Loans and advances	0	17	+325.00	0	0
Levy of charges without prior notice/ excessive charges/ foreclosure charges	0	0	-	0	0
Staff behaviour	0	10	+66.67	0	0
Others	0	37	-7.50	0	0
Total	0	112	+36.59	0	0



9. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

No Penalty is imposed by the Reserve Bank of India under the provisions of the (i) Banking Regulation Act, 1949, (ii) Payment and Settlement Systems Act, 2007 and (iii) Government Securities Act, 2006 (for bouncing of SGL).

10. Other Disclosures

a) Business ratios

Particular	Current Year	Previous Year
Interest Income as a percentage to Working Funds	7.54	7.37
Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.83	0.82
Cost of Deposits (%)	4.33	4.19
Net Interest Margin (%)	3.90	3.90
Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.49	1.92
Return on Assets (%)	1.54	1.37
Business (deposits plus advances) per employee (in Lakh)	1096.83	974.07
Profit per employee (in Lakh)	11.42	9.59

b) Bancassurance business

The details of fees / brokerage earned in respect of insurance broking, agency and bancassurance business:

(Amounts in ₹ crore)

Name of the Company	Current Year	Previous Year
SBI Life Insurance Co. Ltd.	6.10	4.05
SBI General Insurance Co. Ltd.	0.72	0.37

c) Marketing and distribution

The details of fees / remuneration received in respect of the marketing and distribution function (excluding bancassurance business)

(Amounts in ₹ lakh)

Name of the Company	Current Year	Previous Year
SBI Mutual Fund	8.40	0.15

d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

The amount of PSLCs (category wise) sold and purchased during the year

(Amounts in ₹ crore)

Category of PSLC	Current year				Previous Year			
	Sold	Premium Earned	purchase	Premium Paid	Sold	Premium Earned	purchase	Premium Paid
PSLC (Agri)	0	0	0	0	0	0	0	0
PSLC (SM)	1600	26.18	0	0	900	14.30	0	0
PSLC (General)	0	0	500	0.05	0	0	0	0
PSLC (Micro)	0	0	200	0.02	0	0	0	0
Total	1600	26.18	700	0.07	900	14.30	0	0



e) Payment of DICGC Insurance Premium

(Amounts in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Payment of DICGC Insurance Premium	9.63	8.82
ii)	Arrears in payment of DICGC premium	Nil	Nil

11. DISCLOSURE REQUIREMENTS AS PER THE ACCOUNTING STANDARDS

11.1 Accounting Standard –5 – Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies:

§ During the year, there were no material prior period income / expenditure items.

§ There is no change in the Significant Accounting Policies adopted during the Financial Year 2024-25 as compared to those followed in the previous Financial Year 2023-24.

11.2 Accounting Standard –15 - Employee benefit

a) Gratuity: The Bank has taken policies under Group Gratuity Scheme framed with LIC of India & India First. and premium is paid by debiting to charges account. During September 2024, Rs.3.06 Crores was remitted to LIC. The corpus of the Bank towards the liability was Rs. 60.85 Crores (LIC- Rs.59.32 Crores and India First-Rs.1,53 Crores). The LIC's estimate on Gratuity Liability amounts to Rs.68.55 Crores The shortfall of Rs.7.70 Crores has been paid to LIC of India to cover the liability during this year.

b) Leave encashment: The liability on account of Leave Encashment, based on actuarial valuation as on 31.03.2025, stands at Rs. 28.81 Crores. The Bank has maintained a corpus of Rs. 22.99 Crores (SBI Life – Rs. 14.71 Crores and HDFC Life – Rs. 8.28 Crores). The shortfall of Rs. 5.82 Crores has been remitted to SBI Life Insurance co. Ltd. During this year to ensure full coverage of the liability.

c) Pension: The Revised Pension Scheme for Regional Rural Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024 was implemented in our Bank with effect from 01.11.1993, following Board approval and instructions from the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, as per their letters F.No. 8/4/2024-RRB, dated 03.10.2024, and F.No. 8/20/2010-RRB, dated 03.10.2024, in compliance with the order of the Hon'ble Supreme Court. Furthermore, in accordance with the instruction of the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, a total amount of Rs.82.55 Crores has been paid towards 100% settlement of pension arrears, effective from 01.11.1993, to all eligible pensioners, family pensioners, and fresh optees. The Bank has amortized the increased pension liability of Rs. 82.55 Crores over a period of five years, with 20% of the total pension liability being expensed each year, starting from the financial year ending March 31, 2025, in accordance with the Reserve Bank of India circular RBI/2024-25/127/DOR.ACC.REC. No.67/21.04.018/2024-25 dated March 20, 2025. The amount of unamortised expenditure is Rs.66.04 Cr and the consequential net profit would be Rs.102.96 Cr instead of Rs.169.00 Cr, if the unamortised expenditure had been fully recognised in the Profit & Loss Account.



After the introduction of the Utkal Grameen Bank (employees) pension regulation 2018, pension to all eligible employees are being provided with effect from 01.04.2018. The Bank makes periodic contributions to the fund administered by the trustees. However, the accounts of trust is yet to be finalized and further actuarial valuation for deriving shortfall fund is in progress.

d) National Pension System (NPS): Following approval granted by the Government of India, the Bank implemented a revision of the employer's contribution towards NPS, increasing it from 10% to 14% of pay and dearness allowance for its employees, effective from November 11, 2020. In this regard, the total amount of Rs. 11.93 Crores has been paid towards additional 4% arrears during this year.

e) Wage revision: The Bank has paid a total of Rs.38.25 Crores (Provision made in FY 2023-24-Rs.27.20 Crores and Rs.11.05 Crores paid in this FY by debiting to the charges account) towards the 12th BPS wage revision.

The Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, via its letter no. 8/1/2023-RRB dated 18.09.2024, has conveyed its approval for the implementation and grant of computer increments to all employees of our Bank who were in service or probation as of 01.11.1993. In this regard, a total amount of Rs.33.38 Crores has been paid towards 100% settlement of arrears.

11.3 Accounting Standard –18 – Related Party Disclosures

Related parties where control/significant influence exists or with whom transactions have taken place during the year.

Sponsor bank (State Bank of India) and their subsidiaries and Associates

The following is the summary of significant related party transactions:

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Liquid Asset/Liabilities		
Equity Received from SBI	-	-
Refinance received from SBI	-	8.82
Equity capital of SBI	589.08	589.08
Tre -II perpetual Bond of SBI	8.14	8.14
Current Account Balance with SBI	27.73	0.32
Investment made with: (SBI & Associates)		
TDR with SBI	227.25	214.00
TDR with Andhra Pradesh Grameen Vikash Bank	64.00	125.00
TDR with Telengana Grameen Bank	198.00	-
TDR with YES Bank	-	278.00
SBI Mutual Fun d	3.00	3.00
Income/Expenditure		
Interest received from SBI	18.46	16.95
Interest Received from Andhra Pradesh Grameen Vikash Bank	10.70	15.84



Interest Received from Telengana Grameen Bank		8.39
Interest Received from Yes Bank	10.14	9.16
Payment to Group Leave Encashment Policy with SBI Life Insurance Company Limited	5.82	3.91
Commission from SBI MF	0.08	0.0015
Commission from SBI Life Insurance Co.Ltd	6.10	4.05
Commission from SBI General Insurance Co.Ltd	0.72	0.37
Payment for Pension Trust to SBI Life Insurance Company Ltd.	5.00	159.67
ASP service Payment Cedge Technologies Ltd.	14.04	11.69
Interest paid to SBI on OD account	1.24	0.82
Salary/ Allowances paid to SBI staffs on deputation	2.63	1.85

Key Management Personnel

Name of the Personne	Designation
Sri Surya Kanta Dash	Chairman
Sri Prasenjeet Narayan Hota	General Manager -I
Sri Rashmi Ranjan Sai	General Manager -II
Sri Bansidhar Sahoo	General Manager -III
Sri Kulamani Thakur	General Manager (Vigilance)

11.4 Accounting Standard –20 - “Earnings per Share”

Particulars	Current Year	Previous Year
Number of Equity Shares outstanding at the beginning of the year	1683087278	1683087278
Number of Equity Shares issued during the year	NIL	NIL
Number of Equity Shares outstanding at the end of the year		
Weighted average number of equity shares used in computing basic earnings per share	NIL	NIL
Weighted average number of shares used in computing diluted earnings per share	NIL	NIL
Net profit / (loss) (₹ in Crore)	169.00	136.76
Basic earnings per share (₹)	1.00	0.81
Diluted earnings per share (₹)	NIL	NIL
Nominal value per share (₹)	10	10

11.5 Accounting Standard –22 - Accounting for Taxes on Income

Since the Bank has huge accumulated losses, the deferred tax Asset has not been recognized and accounted for.

11.6 Accounting Standard – 28 “Impairment of Assets”

In the opinion of the Bank's Management, there is no indication of impairment to the non-monetary assets during the year.

11.7 Accounting Standard – 29 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”

Breakup of 'Provisions and Contingencies' shown under head Expenditure in Profit and Loss account as follows



(Amounts in ₹ crore)

Provisions debited to Profit & Loss Account	Current Year	Previous year
Provision on Non-Performing Assets	(11.49)	20.83
Provision on Standard Assets	4.29	3.76
Floating Provision on Advances	Nil	Nil
Provision on Restructured Assets	Nil	Nil
Provision for Depreciation on Investments	Nil	Nil
Provision for Fraud	1.49	(0.49)
Provision for Burglary & Theft	(0.07)	0.13
Provision for MTM	Nil	(1.38)
Provision for wage revision and pension	Nil	32.20
Misc. provision	Nil	0.13
Total	(5.78)	55.18

Contingent Liability of Rs. 148.53 crore (Previous year Rs. 112.20 crore) like Bank Guarantee, DEAF etc have been shown under schedule-12. Apart from the aforesaid, the Bank has pending cases of Income Tax amounting Rs.15.75 Lakhs for AY 2010-11, Rs.8.62 Lakhs for AY 2011-12, Rs.12.82 Lakhs for AY 2012-13, Rs.2.03 Cr for AY 2020-21, Rs.33.16 Cr for AY 2021-22 & Rs.30.38 Cr for AY 2022-23 before CIT(A).

Contingent Liability of Rs. 148.53 crore (Previous year Rs. 112.20 crore) like Bank Guarantee, DEAF etc have been shown under schedule-12. Apart from the aforesaid, the Bank has pending cases of Income Tax amounting Rs.15.75 Lakhs for AY 2010-11, Rs.8.62 Lakhs for AY 2011-12, Rs.12.82 Lakhs for AY 2012-13, Rs.2.03 Cr for AY 2020-21, Rs.33.16 Cr for AY 2021-22 & Rs.30.38 Cr for AY 2022-23 before CIT(A).

12. ADDITIONAL DISCLOSURES

1. Other Assets in Schedule 11 includes Suspense advance amounting to Rs 0.87 Lakhs, and other settlement and other accounts amounting to Rs.102.52 Cr are under the process of reconciliation and subject to consequential adjustments, if any.

2. Balance under the head Inter Office adjustments reflects Rs. 46.58 Lakh being the pending items for which advices are in transit as on the closing date are under reconciliation and subject to consequential adjustments, if any.

Further, Other Liabilities in Schedule 5 includes adjusting account amounting to Rs 26.59 Cr, other settlement accounts and others are under the process of reconciliation and subject to consequential adjustments, if any.

Further, Other Liabilities in Schedule 5 includes subsidy reserve fund amounting to Rs 2.58 Cr. The same are under the process of borrower-wise- reconciliation and subject to consequential adjustments, if any.

3. During the year the Bank has booked a profit of Rs.169.00 Cr. and the accumulated loss of the Bank as on 31st March 2025 stands at Rs.1002.68 Cr. shown under Reserves & Surplus (Schedule 2) in the Balance Sheet.

4. Previous year figures have been regrouped/reclassified, wherever necessary, to conform to current year classification.



5. Considering the continuous support of the Government of Odisha, Government of India and Sponsor Bank i.e. SBI, the Bank is and will continue to be able to meet its financial obligations as they fall due. Accordingly, the Bank has prepared its accounts on a "Going Concern" basis.

Various indicators confirming the operational performance of the Bank and affirming the Going concern assumptions are detailed below:

- a. Increased Customer Base
- b. Increased in Business
- c. Maintenance of CRR/SLR as per statutory requirement
- d. Ability to meet financial obligation when they falls due.

With reference to gazette notification no. CG-DL-E-07042025-262329, dated 07.04.2025 issued by Ministry of Finance, Govt. of India, Odisha Gramya Bank sponsored by Indian Overseas Bank and Utkal Grameen Bank sponsored by State Bank of India to be amalgamated into a single Regional Rural Bank, which shall be called as Odisha Grameen Bank with its head office at Bhubaneswar under the sponsorship of Indian Overseas Bank which shall come into effect on and from the 1st day of May, 2025.

As per our report of even date

Signatures for Schedules 1 to 18.

Sd/-
Shri Surya Kanta Dash
 Chairman

Sd/-
Shri Rahul Kanta
 Nominee Director, RBI

Sd/-
Shri Kamalkanta Pattnaik
 Nominee Director NABARD

In terms of our report of even date
For Agasti and Associates
 Chartered Accountants
 FRN No 313043E
 Sd/-
 (CA Biswanath Agasti)
 Partner (Memb. No. 051026)


Sd/-
Shri Priyadarshan
 Nominee Director, SBI

Place : Bolangir
 Date : 29.04.2025





AREA OF OPERATION



17 Districts
out of which
10 are LWE and 9
are Aspirational
District

63% of the
Geographical
Area & 46.29%
of the State
Population